लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ४७, १९६०/१८८२ (शक)

[१४ से २५ नवम्बर, १९६०/२३ कार्तिक से ४ अग्रहायण, १८८२ (शक)]

Chamber Fumigated 18/X/73

2nd Lok Sabha

बारहवां सत्र, १९६०/१८८२ (शक)

(खण्ड ४७ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय सूची

ीय माला, खण्ड ४७—अंक १ से १०—१४ से २५ नवम्बर, १९६०/२३ कार्तिक से ४ अग्रहायण १८८२ (शक)]

क १	सोमवार, १४ नवम्बर, १९६०	पृष्ठ
	२३ कार्तिक, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--		
तारांकित प्रश्न संख्या १ से ९		१—२३
प्रश्नों के लिखित उत्तर--		
तारांकित प्रश्न संख्या १० से ४२		२३—२९
अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ५३		४०—६३
निधन सम्बन्धी उल्लेख		६२
स्थगन प्रस्तावों के बारे में		६२—६३
विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में		६३—६५
सभा पटल पर रखे गये पत्र		६५—६८
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति		६८—६९
सिन्धु पानी सन्धि के बारे में वक्तव्य		६९—७१
विशेषाधिकार समिति--		
प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना		७२
मोटरगाड़ी कर्मचारी विधेयक--		
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना		७२
महेन्द्र प्रताप सिंह जायदाद (निरसन) विधेयक—पुरस्थापित		७२
मोटर गाड़ी (द्वितीय संशोधन) विधेयक—		
विचार करने का प्रस्ताव		७३—७५
खंण्ड २ से १० तथा १ पारित करने का प्रस्ताव		७५
कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक		७५—९५
विचार करने का प्रस्ताव		७५—९२
खण्ड २ से ६ तथा १ पारित करने का प्रस्ताव		९३—९५

	पृष्ठ
बिलासपुर वाणिज्यिक निगम (निरसन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	९६—९७
खण्ड १ से ४—पारित करने का प्रस्ताव .	९७
भारतीय विमान (संशोधन) विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	९७—१०२
खंड २ से ६ तथा १ पारित करने का प्रस्ताव	१०२
पूर्वाधिकार अंश (लाभांश का विनियमन) विधेयक—	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव .	१०२—१०४
सभा का कार्य	१०४–०५
दैनिक संक्षेपिका	१०६—११४
अंक २—मंगलवार, १५ नवम्बर, १९६०/२४ कार्तिक, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ४३ से ५२	११५—३९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५३ से ९४	१३९—५९
अतारांकित प्रश्न संख्या ५४ से २३९ .	१६०—२०३
सभा पटल पर रखे गये पत्र	
कार्य मंत्रणा समिति .	२०३–२०४
छप्पनवां प्रतिवेदन	२०४
पूर्वाधिकार अंश (लाभांश का विनियमन) विधेयक—	
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव .	२०५—२१०
भारतीय संग्रहालय (संशोधन) विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव .	२१०—३२
खण्ड २ से १३ तथा १—पारित करने का प्रस्ताव . .	२३२–३३
समवाय (संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा भेजे गये रूप में, विचार करने का प्रस्ताव	२३३
दैनिक संक्षेपिका	२३४—४०

पृष्ठ

अंक ३—बुधवार, १६ नवम्बर, १९६०/२५ कार्तिक, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९५ से १०० २४१—६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०३ से ११४ और ११६ से १६८ २६१–९४

अतारांकित प्रश्न संख्या १३९ से १८५ और १८७ से २४४ २९४–३३९

स्थगन प्रस्ताव —

प्रधान मंत्री का वक्तव्य—सिन्धु पानी संधि के बारे में ३४०–४१

विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में ३४१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ३४२—४५

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकहत्तरवां प्रतिवेदन ३४५

समवाय संशोधन विधेयक—

विचाराधीन प्रस्ताव, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ३४६—८३

दैनिक संक्षेपिका ३८४—९४

अंक ४—गुरुवार, १७ नवम्बर, १९६०/२६ कार्तिक, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६९ से १७७ ३९५—४१८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७८ से २०९ . . ४१८—३१

अतारांकित प्रश्न संख्या २४५ से ३०९, ३११ और ३१२ . ४३१—६२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ४६२–६३

याचिकायें—

(१) भारतीय पुरातत्व संस्था विधेयक और . ४६३

(२) राष्ट्रीय स्मारक आयोग विधेयक . ४६३

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में . . ४६३–६४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना —

गैर सरकारी उद्योग क्षेत्र द्वारा कोयले का खनन . ४६४—६६

समवाय (संशोधन) विधेयक —

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ४६६—९१

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ४९२—९७

पृष्ठ

अंक ५—शुक्रवार, १८ नवम्बर, १९६०/२७ कार्तिक, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१० से २१६, २१८ से २२१, २४१ और २४४ ४९९—५२४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१७, २२२ से २४०, २४२, २४३ और २४५ से २५९ . . . ५२५—४०

अतारांकित प्रश्न संख्या ३१३ से ४०१ ५४१—८१

सभा पटल पर रखे गये पत्र ५८१

सभा का कार्य ५८१–८२

धार्मिक न्यास विधेयक—

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करने के लिये समय का बढ़ाया जाना . . . ५८२

विधेयक—पुरस्थापित—

(१) निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक ५८२—८४

(२) वायदे के सौदे (विनियमन) संशोधन विधेयक ५८५

समवाय (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ५८५—६०९

ग़ैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकहत्तरवां प्रतिवेदन . . ६०९–१०

नौवहन के लक्ष्य के बारे में संकल्प—वापस लिया गया ६१०—२५

सामान्य बीमा के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प ६२६

दैनिक संक्षेपिका . . ६२७—३३

अंक ६—सोमवार, २१ नवम्बर, १९६०/३० कार्तिक, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २६० से २६९ . ६३५—५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७० से ३१२ और ३१४ से ३२४ . ६५६—८३

अतारांकित प्रश्न संख्या ४०२ से ४९९ और ५०१ से ५०४ . ६८३—७२७

पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव—

(१) बम्बई में विस्फोट . ७२७–२८

(२) हुगली नदी में एक ड्रेजर का उलटना . . ७२८–२९

(३) उत्तरी सीमांत जिलों में कम्युनिस्टों द्वारा कथित प्रचार ७२९—३२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ७३२–३३

कार्य-मंत्रणा समिति—

सत्तावनवां प्रतिवेदन . . ७३३

महेन्द्र प्रताप सिंह जायदाद (निरसन) विधेयक —

विचार करने का प्रस्ताव ७३३—५०

खण्ड २, ३ तथा १—पारित करने का प्रस्ताव . . ७५०

इंडियन रिफ़ाइनरीज लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ७५१—६३

दैनिक संक्षेपिका ७६४—७१

अंक ७—मंगलवार, २२ नवम्बर, १९६०/१ अग्रहायण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३२६ से ३३५ और ३३७ ७७३—९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३२५, ३३६ और ३३८ से ३६२ . . ७९७—८०९

अतारांकित प्रश्न संख्या ५०५ से ५४८, ५५० से ५७७ और ५७९ से ५८१ ८०९—४१

स्थगन प्रस्ताव—

(१) गश्ती गाड़ी का पटरी पर से उतर जाना . . ८४२–४३

(२) बेरूबारी के मामले में केन्द्रीय सरकार तथा पश्चिमी बंगाल सरकार के बीच कथित गंभीर मतभेद . . ८४३—४५

(३) कुछ राज्यों में सांविधानिक व्यवस्था की कथित विफलता ८४५–४६

सभा पटल पर रखे गये पत्र ८४६–४७

समितियों के लिये निर्वाचन—

(१) प्राक्कलन समिति ८४७

(२) लोक लेखा समिति . ८४७–४८

विधेयक—पुरस्थापित—

(१) रेलवे यात्री किराया (संशोधन) विधेयक . . ८४८

(२) औद्योगिक रोज़गार (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक ८४८

पृष्ठ

कार्य मंत्रणा समिति—

सत्तावनवां प्रतिवेदन ८४९

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव ८५०—८४

दैनिक संक्षेपिका ८८५—९०

अंक ८—बुधवार, २३ नवम्बर, १९६०/२ अग्रहायण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६४, ३६६, ३६८ से ३७५ और ३७७ से ३८२ . ८९१—९१७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६३, ३६५, ३६७, ३७६, ३८३ से ३८९ और ३९१ से ४०४ . . . ९१७—३०

अतारांकित प्रश्न संख्या ५८२ से ६७३ ९३०—७२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ९७२—७५

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

बहत्तरवां प्रतिवेदन ९७५

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव ९७५—१०१७

दैनिक संक्षेपिका १०१८—२६

अंक ९—गुरुवार, २४ नवम्बर, १९६०/३ अग्रहायण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४०५, ४०७ से ४१४, ४१६ और ४१७ . १०२७—४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

अतारांकित प्रश्न संख्या ४०६, ४१५ और ४१८ से ४५२ . १०४८—६४

अतारांकित प्रश्न संख्या ६७४ से ७७८ . . १०६४—११०४

स्थगन प्रस्ताव—

(१) कांगो के सैनिकों द्वारा लियोपोल्डविल में संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से नियुक्त भारतीय अधिकारियों पर हमला . ११०४—१०

(२) तिब्बत में राकेट के अड्डे बनाना और राकेट छोड़े जाना १११०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . १११०—१२

मध्य प्रदेश खाद्य क्षेत्र के बारे में वक्तव्य . . १११२—१४

समवाय (संशोधन) विधेयक—

खण्ड २ से ८, १०, १२, १५, १६, ९, ११, १३, १४, १७ से २३, २६ से ४१, ४३, ४६ से ५४, २४, २५, नया खण्ड ४०-क, ४२, ४४, ४५, ५५, ५६, ५८, ६० से ६४, ६७ से ६९, ७१, ७३, ७६, ७८, ५७, ५९, ६५, ६६ और ७० . ११४०—४०, ११४०—४४

सभा का कार्य ११४०

दैनिक संक्षेपिका . . . ११४५—५२

अंक १०—शुक्रवार, २५ नवम्बर, १९६०/४ अग्रहायण, १८८२ (शक)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण ११५३

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४५३, ४५५, ४५६, ४५८ से ४६५, ४८२, ४९१ और ४६६ ११५३—७५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४५४, ४५७, ४६७ से ४८१, ४८३ से ४९० और ४९२ ११७६—८८

अतारांकित प्रश्न संख्या ७७९ से ८४३ ११८८—१२१८

स्थगन प्रस्ताव—

आसनसोल के निकट कोयला खान में कथित उपद्रव १२१९–२०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . १२२०–२१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

नारियल के तेल और गोले का आयात १२२१–२२

सभा का कार्य १२२२–२३

त्रिपुरा उत्पादन शुल्क विधि (निरसन) विधेयक—पुरस्थापित १२२३

समवाय (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में खण्ड ७०, ७२, ७४, ७५, ७७ और ७९ . . . . १२२४—३५

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

बहत्तरवां प्रतिवेदन १२३५

विधेयक—पुरस्थापित—

(१) औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक (नये अध्याय ५ कक का रखा जाना) (श्री त० ब० विट्ठल राव का) . . १२३५–३६

(२) कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक (धारा ६ के स्थान पर नई धारा का रखा जाना) (श्री त० ब० विट्ठल राव का) १२३६

(३) धर्मार्थ न्यास विधेयक (श्री रामकृष्ण गुप्त का) १२३६

पशु खाद्य के निर्यात पर प्रतिबन्ध विधेयक (श्री झूलन सिंह का)—वापस लिया गया—

विचार करने का प्रस्ताव . . १२३६—४८

नैमित्तिक श्रमिकों की नियुक्ति का अन्त विधेयक (श्री अरविन्द घोषाल का) —

विचार करने का प्रस्ताव १२४९—५४

दैनिक संक्षेपिका . . १२५५—६०

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

———

GMGIPND—LS III—1428 (Ai LSD)—20-12-60—115.

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक सभा

मंगलवार, २२ नवम्बर, १९६०
१ अग्रहायण, १८८२ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

+

†*३२६. **श्री अ० मु० तारिक :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री त० ब० विट्ठल राव :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री २ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १९७४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा योजना के संचालन सम्बन्धी रिपोर्ट की जांच कर ली गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ला० ना० मिश्र):** (क) और (ख). कर्मचारी राज्य बीमा निगम और राज्य सरकारों के परामर्श से इस रिपोर्ट पर अभी विचार हो रहा है।

†**श्री अ० मु० तारिक :** यह रिपोर्ट अंतिम रूप से तैयार करने में कितना समय लगेगा क्योंकि पिछले अधिवेशन से हम यह सुन रहे हैं कि उस पर विचार हो रहा है। क्या ये सिफारिशें स्वीकार की जायेंगी और कब ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** हमने अधिक समय नहीं लिया है। वह रिपोर्ट अप्रैल, १९६० में पेश की गयी थी और हमें सभी राज्य सरकारों से परामर्श करना था। केवल पांच राज्य सरकारों ने अपनी राय भेजी है। फिर, निगम को उसे अभी अंतिम रूप से तय करना है। फरवरी १९६१ में उसकी बैठक होने वाली है और आशा है कि तब तक वह अंतिम रूप से तैयार हो जायगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

1383 (Ai)L.S.D.—1.

†**श्री अ० मु० तारिक** : सरकार ने जिन जिन राज्य सरकारों को यह रिपोर्ट भेजी थी क्या उन सभी से उत्तर प्राप्त हो चुके हैं ? क्या प्रत्येक राज्य सरकार ने अपना उत्तर भेज दिया है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : पांच राज्य सरकारों ने अपने उत्तर भेज दिये हैं ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या इसकी एक प्रति माननीय सदस्यों को दी जायगी ? जब चिकित्सा लाभ परिषद् ने अपनी पिछली बैठक में इस रिपोर्ट पर विचार किया तब उसने क्या सिफारशें की ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : वह रिपोर्ट सभा के पुस्तकालय में पहले से उपलब्ध है और माननीय सदस्य उसे देख सकते हैं । चिकित्सा लाभ परिषद् की बैठक १५ नवम्बर को हुई थी । उसने कुछ सुझाव भेजे हैं । हम उसे खुले आम नहीं बताना चाहते ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : यह लाभ विभिन्न स्थानों में परिवारों को पहुंचाने तथा बड़े बड़े शहरों में अस्पताल बनाने के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : अभी तक करीब ४,८८,००० परिवारों को शामिल किया गया है । अस्पताल बनाने के संबंध में, निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निर्माणकार्य हो रहा है ।

†**श्री तंगामणि** : क्या निगम मुदालियर समिति की रिपोर्ट पर विचार करते समय उस व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना पर, जिसे डा० मेनन ने पेश किया था, विचार करेगा ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : मुदालियर समिति की रिपोर्ट पर अलग से विचार किया जायगा ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या मुदालियर समिति ने यह सिफारिश की है कि वर्तमान संसाधनों से पूरे लाभ देना संभव नहीं होगा और इस लिए अधिनियम के अनुसार मालिकों का अंशदान बहुाया जमये ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : मालिकों का अंशदान बढ़ाने का प्रस्ताव पहले से ही है । मैं समझता हूं कि अप्रैल, १९६१ तक विशेष अंशदान बढ़ाना होगा ।

†**श्री सूपकार** : इस योजना के अन्तर्गत कितने प्रतिशत मालिक आते हैं ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : लगभग १५·७६८ लाख व्यक्ति इसके अन्तर्गत आते हैं ।

†**डा० सुशीला नायर** : माननीय मंत्री को मालूम है कि अस्पताल की इमारत आदि बनाने में देर के कारण करोड़ों रुपया पहले से ही जमा हो गया है । अब अंशदान बढ़ाने का विचार है । अब इस बात के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है कि रुपये का उपयोग समय पर ही किया जायेगा और सुविधाएं दी जायेंगी ?

†**श्री ल०ना० मिश्र** : वह ठीक है कि अस्पताल बनाने का काम शुरू न किये जाने के कारण कुछ रुपया इकट्ठा हो गया है । किन्तु अब हम अस्पताल बना रहे हैं और आशा है कि शीघ्र ही अधिकतर अस्पताल तैयार हो जायेंगे ।

†**डा० सुशीला नायर** : क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं देने में विलम्ब के कारण कर्मचारी राज्य बीमा के अन्य लाभ कर्मचारियों को नहीं दिये

†मूल अंग्रेजी में

जा सकते ? काफी कर्मचारी इस श्रेणी में हैं कि अंशदान देने के बाद उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है। यह स्थिति सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** मैं नहीं समझता कि कर्मचारियों को लाभ से वंचित रखा जाता है। किन्तु यह ठीक है कि उन्हें वे लाभ नहीं मिल रहे हैं जो उन्हें अच्छे अस्पताल होने पर मिलते।

†**श्र पलनियाण्डी :** यह योजना खानों में और सीमेन्ट कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों पर लागू नहीं की गयी हैं। क्या सरकार खान कर्मचारियों और सीमेन्ट कारखाने में काम करने वालों पर लागू की जायगी ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** खान कर्मचारी दूसरे अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं।

†**श्री एन्थनी पिल्ले :** दवाइयों के निरोधक पहलू के सबंध में, क्या मुदालियर समिति ने कोई खास सिफारिश की हैं ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** उहोंने कई सिफारिशें की हैं और संपूर्ण रिपोर्ट पुस्तकालय में उपलब्ध है।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन एक अस्पताल बनाना स्वीकार कर लिया है यदि हां तो क्या ब्यौरा अंतिम रूप से तैयार कर लियां गया है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं।

†**श्री ल० ना० मिश्र :** जी हां।

†**श्री पलनियाण्डी :** मेरा प्रश्न यह था कि सीमेन्ट कारखाने में काम करने वाले कर्मचारी . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न। मैंने काफी प्रश्नों के लिए अनुमति दी है।

श्रीलंका में विदेशियों पर शुल्क

†*३२७. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री हेम बरूआ :
श्री अजित सिंह सरहदी :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री प्र० के० देव :
श्री कोरटकर :
श्री उस्मान अली खां :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीलंका सरकार विदेशियों पर जो शुल्क लगाने का विचार कर रही है क्या उसका प्रभाव उन भारतीयों पर भी पड़ेगा जो बहुत अधिक संख्या में वहां जाते आते हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) वीजा फी २ रुपये से बढ़ाकर ४०० रुपये सालाना कर देने की योजना से श्रीलंका में रहने वाले उन भारतीय राष्ट्रजनों पर प्रभाव पड़ेगा जिनके पास रेजिडेन्स वीसा हैं या जो उनके लिए आवेदन करना चाहते हैं। जो थोड़े समय के लिए श्रीलंका जाते हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

(ख) इस योजना का पूरा पूरा ब्यौरा अभी श्रीलंका की सरकार ने तैयार नहीं किया है और इसलिए वह उपलब्ध नहीं है किन्तु कोलम्बो स्थित हमारा दूतावास श्रीलंका के अधिकारियों के सम्पर्क में है और वह यह मालूम कर रहा है कि इस नियम से श्रीलंका में भारतीय राष्ट्रजनों पर क्या असर पड़ेगा ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : यह कर २ रुपये से बढ़ाकर ४०० रुपये कर देने से *कितने भारतीय* राष्ट्रजनों पर असर पड़ेगा ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : श्रीलंका में रहने वाले कुल वीसा होल्डर ३८,००० हैं जिनमें से ३६,००० भारतीय हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : यदि यह कर लागू किया जाता है तो क्या भारत सरकार भी उसी तरह की कोई कर्यवाही करेगी ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मैं पहले ही बता चुकी हूं कि ये केवल बजट प्रस्ताव हैं और अंतिम रूप से अभी कुछ नहीं किया गया है। हमारे दूतावास श्रीलंका के अधिकारियों के सम्पर्क में है। उचित समय पर उचित कार्यवाही की जायेगी ?

†**श्री तंगामणि** : क्या सरकार इसे न बढ़ाने के लिए श्रीलंका सरकार से प्रार्थना करेगी जैसाकि बर्मा की सरकार के मामले में हुआ है ? पीछे एक बार हमें बताया गया था कि बर्मा में भारतीय निवासियों पर जब इसी तरह का कर बढ़ाया गया था तब सरकर ने यह कठिनाई न लादने के लिए बर्मी सरकार से प्रार्थना की थी। क्या अब इस तरह की कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मैं पहले ही बता चुकी हूं कि प्रस्ताव अभी अन्तिम रूप से निश्चित नहीं किये गये हैं ।

†**डा० रामसुभग सिंह** : क्या निकट भविष्य में प्रधान मंत्री सम्मेलन में श्रीलंका में भारतीयों पर कर तथा अन्य मामलों के प्रश्न पर, जिनसे श्रीलंका जाने वाले भारतीयों या भारतीय निवासियों को कठिनाई होने की संभावना है, विचार किया जायेगा ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : निकट भविष्य में भारत और श्रीलंका के प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या यह कर उन लोगों पर भी लगाया जायेगा जो वहां अस्थायी निवास अनुमतिपत्रों पर एक साल से ज्यादा समय से रह रहे हैं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : इसके अन्तर्गत वे लोग भी आ जाते हैं जो अस्थायी निवास वीसा पर तीन महीने से ज्यादा रह रहे हैं । यह कर उन लोगों पर लागू किया जाता है जो वहां तीन महीने से ज्यादा रहना चाहते हों ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जयपाल सिंह** : यह मालूम होता है कि अस्थायी निवास परमिट वालों पर किसी तरह असर नहीं पड़ेगा, क्या यह ठीक है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : जी नहीं । प्रस्ताव इस प्रकार है : जारी किये गये वीसा पर या तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए भविष्य में जारी किये जाने वाले वीसा पर देश में गैर-राष्ट्रजन निवासियों पर कर लगाया जायेगा और उसकी दर ४०० रुपये प्रति वीसा-होल्डर है । जो गैर-राष्ट्रजन वीसा-होल्डर पहले बतायी गयी शर्तों के अनुसार सरकार या स्थानीय अधिकारियों द्वारा नियुक्त हों या ऐसी उपक्रमों में नियुक्त हों जिनमें विदेशी पूंजी लगायी गई हो, तो वे इस कर से मुक्त होंगे ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : क्या सरकार को मालूम है कि श्रीलंका सरकार ने व्यापार तथा लाइसेंस फीस आदि के लिए श्रीलंका में भारतीय निवासियों पर हाल ही में बहुत अधिक कर लगाया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री का कहना है कि उसका इसके साथ कोई सम्बंध नहीं है ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : औसतन कितने भारतीय प्रतिवर्ष श्रीलंका जाते हैं जिन पर इस कर से असर पड़ा है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : अस्थायी वीसा-होल्डरों पर इससे कोई असर नहीं पड़ता । जो लोग वहां तीन महीने के लिए जाते हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ता ।

†**श्री तंगामणि** : क्या यह सच नहीं कि जो भारतीय श्रीलंका में बसते हैं, जो भारतीय उद्भव के हैं, जिनके पास अस्थायी निवास परमिट हैं और जो आज वहां तीन महीने से ज्यादा रह रहे हैं, ३६,००० के आंकड़े में जो माननीय मंत्री ने अभी बताया है, शामिल हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यदि उनके पास वीसा हो तो उन पर असर पड़ेगा, यदि वीसा न हो तो उन पर असर नहीं पड़ेगा ।

†**श्री तंगामणि** : जो लोग अभी वहां कुछ व्यापार कर रहे हैं, उनके पास केवल अस्थायी निवास परमिट हैं । ये लोग न केवल तीन महीने से बल्कि ज्यादा समय से रह रहे हैं । उनके पास अस्थायी परमिट हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन लोगों पर कोई प्रभाव पड़ा है क्योंकि हमें जिन लोगों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं उनके पास अस्थायी निवास परमिट हैं और जो समय समय पर बढ़ाये गये हैं ।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : जो लोग पहले से ही नियुक्त हैं, उनके मामले में अधिकतर यही संभव है कि वीसा फीस उनके मालिक देंगे । इससे वास्तव में बहुत छोटे व्यापारियों पर जो स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, जैसे दर्जी, खोमचे वाले, नाई, घरेलू नौकर, ताड़ी निकालने वाले, आदि पर, प्रभाव पड़ेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पटसन कारखानों द्वारा करघों को बन्द करना

†*३२८. **श्री विमल घोष :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री साधन गुप्त :
श्री दामानी :
डा० सामन्त सिंहार :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १२ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३७१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जूट मिल संघ ने करघों को बन्द करने की अपनी स्वेच्छाप्रेरित योजना का विस्तार करने का निश्चय किया है ;

(ख) क्या सरकार ने इस विस्तार के लिए अपनी मंजूरी दे दी है ; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत अब तक कितने करघे बन्द किये जा चुके हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). बन्द करने की स्वेच्छाप्रेरित योजना अब लागू नहीं है । कच्चे पटसन की बराबर कमी को देखते हुए संघ और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच परामर्श के फलस्वरूप अभी हाल यह तय हुआ है कि अनिवार्य बन्दी के अधीन ९ प्रतिशत के अलावा संघ ८ प्रतिशत करघों की क्षमता के बराबर उत्पादन में अनिवार्य कमी करेगा ।

(ग) ठीक ठीक संख्या तुरन्त उपलब्ध नहीं है ।

†**श्री विमल घोष** : क्या इस सम्बन्ध में इस समाचार में कुछ तथ्य है कि कच्चे पटसन की स्थिति सुधर गयी है और इस कारण यह करार अधिक समय तक लागू नहीं होना चाहिए ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : हमने कुछ समाचार देखे हैं किन्तु हमें ठीक ठीक मालूम नहीं है कि स्थिति क्या है । हम पता लगा रहे हैं । यदि कच्चे पटसन की स्थिति सुधरती है, तो हम भारतीय जूट मिल संघ से और चर्चा कर सकते हैं ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : श्रम की आवश्यकता के सम्बन्ध में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या कुछ मजदूरों को काम पर से हटा दिया जायेगा या क्या व्यवस्था करने का विचार है ?

†**श्री सतीश चन्द्र**: पश्चिम बंगाल सरकार इस बात की कोशिश कर रही है, और वह भारतीय जूट मिल संघ के साथ करार का एक अंग है, कि जहां तक संभव हो, कर्मचारियों की छंटनी न की जाये । पश्चिम बंगाल सरकार और भारतीय जूट मिल संघ के बीच इस आशय की बातचीत चल रही है कि क्या काम के घंटे कम करके सभी कर्मचारियों को रोजगार में रखा जा सकता है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : पहले किसी समय हमें यह बताया गया था कि बन्द करघों में से कुछ प्रतिशत करघे पुनः चालू किये जायेंगे । इस बारे में क्या कोई कार्यवाही की गयी है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : बन्द करघों की प्रतिशतता ४० थी अब क्रमशः वह ९ तक लायी गयी है । फिर एकाएक स्थिति बदल गयी है । वर्ष के आरम्भ में दुर्भिक्ष पड़ा और फसलों में देर हुई ।

---

†मूल अंग्रजी में

फसल का अनुमान संभावित से बहुत कम है परिणाम यह हुआ कि कुछ और करघों को बन्द करना पड़ा ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : जब कि पटसन बाजार में आ रहा है और यह मालूम है कि पश्चिम बंगाल में पटसन की अच्छी फसल हुई है तब इस समय कमी करने का क्या कारण है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : पटसन की फसल अच्छी नहीं है । वर्तमान अनुमान केवल ५८ लाख गांठ का है जब कि मूल अनुमान ६२ लाख गांठ का था । पटसन की फसल अब आनी शुरू हो गयी है। इस बात से यह स्पष्ट होगा कि ११ नवम्बर, १९६० को आसाम बॉटम के लिए कच्चे पटसन का मूल्य ५१ रुपये था जब कि पिछले वर्ष वह २४ रुपये था ।

†**श्री खीमजी** : क्या स्थिति सुधारने के लिए पाकिस्तान से पटसन के आयात का कोटा बढ़ाने का सरकार का विचार है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : वास्तव में बात यह है कि जो भी कोटा दिया गया है उसका पूरा पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान में भी कुछ कठिनाई है । हमें यह समाचार मिला है कि पाकिस्तान में भी कच्चे पटसन की कमी है ।

†**श्री एन्थनी पिल्ले** : माननीय मंत्री ने बताया है कि वर्तमान स्थिति का सामना करने के लिए काम करने के घंटे कम करने की योजना है । इसलिए काम के घंटे कम करके, क्या भरपाई के लिए मजूरी भी कम की जायेगी या उसमें कोई कमी नहीं होगी ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : पश्चिम बंगाल सरकार और भारतीय जूट मिल संघ में बातचीत चल रही है । उस बातचीत का परिणाम हमें अभी नहीं मालूम हुआ है ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : यह करार किन के बीच हुआ है, पश्चिम बंगाल सरकार भारतीय जूट मिल संघ और केन्द्रीय सरकार के जूट कमिश्नर के बीच या इसमें केन्द्रीय सरकार का कोई हाथ ही नहीं है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : वास्तव में भारतीय जूट मिल संघ ने १० करघों को अनिवार्य रूप से बन्द करने का आदेश दिया था । बातचीत हुई थी । हमने भारतीय जूट मिल संघ के प्रतिनिधियों को यहां बुलाया था और उन्होंने फसल के अनुमान के आधार पर ८ प्रतिशत तक कम करना मंजूर कर लिया था । फिर मजदूरों का सवाल पैदा हुआ और तब पश्चिम बंगाल सरकार और भारतीय जूट मिल संघ से आपस में इस विषय में बातचीत करने की प्रार्थना की गयी कि कर्मचारियों की छंटनी किस तरह से रोकी जा सकती है ।

†**श्री महन्ती** : क्या सरकार को इस शिकायत के बारे में जानकारी है कि जूट तैयार करने वालों को ऊंचा दाम दिलाने के लिए जूट का आयात कोटा काम में नहीं लाया जा रहा है और जान बूझ कर करघे बन्द किये जा रहे हैं ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : यह सच नहीं है । जलवायु के कारण फसल पर कुछ प्रभाव पड़ा है और पश्चिम बंगाल, पूर्व बंगाल और असम की जलवायु प्रायः एक सी है । हमारी फसल थोड़ी होने के कारण पाकिस्तान में भी फसल थोड़ी ही हुई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री महन्ती** : मेरा सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि आयात कोटा क्यों नहीं काम में लाया जा रहा है।

†**श्री सतीश चन्द्र** : क्योंकि पटसन उपबन्ध नहीं है ; पाकिस्तान में भी कमी है।

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि पटसन का न्यूनतम मूल्य निर्धारित नहीं किया जा रहा है, पिछले वर्ष पटसन उत्पादकों को काफी नुकसान हुआ था और इस लिये उन्होंने इस वर्ष पटसन कम बोया और मूल्य चढ़ गया ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : गत वर्ष कच्चे पटसन का दाम बहुत ठीक था। भारी नुकसान का कोई सवाल नहीं था। वह दो या तीन साल पहले की बात है। गत वर्ष पटसन उत्पादकों को जो दाम मिला वह काफी संतोषजनक था।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : बात चीत करते समय क्या सरकार ने पटसन मिलों के पास या स्टाक रखने वालों के पास वर्त्तमान स्टाक पर भी विचार किया था ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : ठीक ठीक आंकड़े उपबन्ध नहीं हैं किन्तु मैं यह मानता हूँ कि फसल की कमी के कारण कुछ सट्टा हुआ है। वायदा बाजार आयोग जूट और हेसियन एक्सचेन्ज असोसियेशन के जरिये सट्टे बाजी को रोक रहा है। वायदे के सौदों के लिए काफी बड़ी रकमें जमा करना आवश्यक कर दिया गया है और दूसरी कार्यवाही भी की जा रही है।

सीमेंट मजूरी बोर्ड की सिफारिशों का परिपालन

+

†*३२६. { **श्री स० मो० बनर्जी** :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री कुन्हन : }

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट के कारखानों के मालिकों ने मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित किया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इनको कार्यान्वित करने में क्या कठिनाइयां हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). कुछ सीमेन्ट कारखाने पहले ही सिफारिशों को कार्यान्वित कर चुके हैं और अन्य कारखानों के प्रबन्धक कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के परामर्श से वैसा करने के लिए कार्यवाही कर रहे हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : किन-किन सीमेन्ट कारखानों ने सिफारिशें कार्यान्वित की हैं और किन-किन कारखानों ने अभी तक कार्यान्वित नहीं की हैं और न कार्यान्वित करने के क्या कारण उन्होंने दिये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री आबिद अली** : ४२ कारखानों में से १७ कारखानों ने या तो कार्यान्वित की हैं या कार्यान्वित करने के लिए वे सहमत हो गये हैं और कुछ कारखानों ने आंशिक रूप से कार्यान्वित की हैं। १५ कारखानों में कार्यवाही की जा रही है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं यह जानना चाहता हूं कि मालिकों ने कौन कौन सी कठिनाइयां सरकार के सामने रखी हैं और मजदूर संगठनों के परामर्श से इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

†**श्री आबिद अली** : कई मालिकों ने यह कहा है कि सरकार पहले कारखाना-बाहर मूल्य से सहमत हो जाये किन्तु वह एक अलग प्रश्न है। कर्मचारियों के संगठन तो यह चाहते हैं कि रिपोर्ट कार्यान्वित की जाये और संबंधित राज्य सरकारें उनके परामर्श से कार्यवाही कर रही हैं।

†**श्री पलनियाण्डी** : डालमियापुरम् कारखाना भी सहमत हो गया है और उसने इस मजरी बोर्ड की सिफारिश कार्यान्वित की है किन्तु असोशियेटेड सीमेन्ट कम्पनी ने जिसने मजूरी बोर्ड की सिफारिशों पर हस्ताक्षर किये हैं, सारे भारत में कार्यान्वित नहीं की है। क्या सरकार इस बात के लिए मालिकों की एक बैठक बुलायेगी कि वे मजूरी बोर्ड की सिफारिशें कार्यान्वित करें?

†**श्री आबिद अली** : जी हां, २ अगस्त को मालिकों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई थी और वहां कुछ निर्णय किये गये हैं जिनका पालन किया जा रहा है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : असोसियेटेड सीमेन्ट कम्पनी ने जिसका इस उद्योग के ६० प्रतिशत पर नियंत्रण है, क्यों नहीं कार्यान्वित किया है? उसने क्या कारण दिये हैं। कम से कम वे काफी मुनाफा कमा रहे हैं।

†**श्री आबिद अली** : उन्होंने कार्यान्वित करना स्वीकार कर लिया है और उनके अधिकतर कराखानों में ये उपबन्ध कार्यान्वित किये गये हैं।

†**श्री तंगामणि** : क्या सीमेन्ट संबंधी औद्योगिक समिति ने जिसकी अभी हाल बैठक हुई थी, इस विषय पर विचार किया है; और यदि हां तो उसने क्या निर्णय किये हैं?

†**श्री आबिद अली** : वह मैं सभा पटल पर रख रहा हूं।

†**श्री वाजपेयी** : क्या सरकार इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कोई समय सीमा निश्चित करने की आवश्यकता पर विचार करेगी?

†**श्री आबिद अली** : जैसा कि मैं ने बताया, वे कार्यान्वित की जा रही हैं और इस बात के लिए सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं कि वे यथा संभव शीघ्र कार्यान्वित की जायें।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री जानते हैं कि माननीय संसद-कार्य मंत्री समय समय विभिन्न आश्वासनों की क्रियान्विती के बारे में बताते हैं। इसी प्रकार प्राक्कलन समिति के सभापति प्राक्कलन समिति की विभिन्न सिफारिशों की क्रियान्विती के बारे में सभा को सूचित करते हैं। अतः माननीय मंत्रीगण इस बात पर विचार करें कि सरकार द्वारा या संसद् के अभिकरण द्वारा नियुक्त समितियों की सिफारिशें तीन महीनों में एक बार सभा को बताना कहां तक जरूरी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)**: यह सुझाव हम तुरन्त स्वीकार करेंगे ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : मजूरी बोर्ड ने अकुशल मजदूरों के लिए कितनी मजूरी की सिफारिश की है और क्या मजूरी निर्धारित करते समय मजूरी बोर्ड ने वर्तमान निर्वाह-व्यय पर विचार किया था ?

†**श्री आबिद अली** : गुजरात और सौराष्ट्र के लिए ९८ रुपये हैं ; शेष भारत के लिए ९१ रुपये हैं । रिपोर्ट उपलब्ध है । ज्यादा ब्यौरे के लिए माननीय सदस्य उसे देखें ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इस बात को देखते हुए कि पहले का अनुभव यह रहा है कि मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित करने में बड़ी देर लगती है, क्या इसके लिए कोई विधान प्रस्तुत करने का सरकार का विचार है ?

†**श्री नन्दा**: यह विषय पहले भी कई बार सभा में उठाया गया था और मैंने आश्वासन दिया था कि यदि स्वेच्छा से कार्यान्विती न की गयी तो हम अवश्य ही उसके लिए विधान प्रस्तुत करेंगे । मैं यह देखता हूं कि प्रगति हो रही है और अधिकाधिक संस्थाएं मजूरी बोर्डों की सिफारिशें कार्यान्वित कर रही हैं । हमने सोचा कि हम थोड़ी देर और ठहरें किन्तु अब भी यही निर्णय है कि यदि जरूरत हुई तो कानून से यह सिफारिश लागू की जायेंगी ।

†**श्री एन्थनी पिल्ले** : क्या इस मजूरी बोर्ड की एक सिफारिश यह है कि कार्य का मूल्यांकन होना चाहिये और कार्यभार निर्धारित किया जाना चाहिये ? इस विशिष्ट सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया या कार्य प्रणाली काम में लायी जा रही है ?

†**श्री आबिद अली** : औद्योगिक समिति ने जिसकी बैठक अगस्त में हुई थी, इस विषय पर विचार किया था और उनके निर्णय के अनुसार हम ने यह काम अध्ययन के लिए कारखानों के मुख्य सलाहकार को सौंप दिया है ।

भविष्य निधि में दिये जाने वाले अंशदान की रकम में वृद्धि

\+

†३३०. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भविष्य निधि को ६ ¼ प्रतिशत से बढ़ा कर ८ ⅓ प्रतिशत करने के बारे में कोई अन्तिम निणय किया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) इस काम के लिये नियुक्त प्रविधिक समिति ने अपनी जांच पूरी नहीं की है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री पलनियांडे :** समिति की कितनी बैठकें हुईं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या मैं उस सदस्य को प्राथमिकता दूं जिसने प्रश्न रखा है या अन्य सदस्य को जो अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिये प्रश्न का लाभ उठाना चाहता है ?

†**श्री स० मो० बनर्जी :** वह अपना नाम बदल कर बनर्जी रख सकते हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि अन्तिम निर्णय कब किया जाएगा और क्या सरकार उन उद्योगों पर जोर डालेगी, जो ८$^{1}/_{3}$ प्रतिशत तक अंशदान बढ़ाने के योग्य हैं, कि वे इस सिफारिश को स्वीकार करें ?

†**श्री आबिद अली :** समिति कब तक अपना प्रतिवेदन दे सकेगी यह बताना संभव नहीं है । जैसा कि माननीय सदस्य को विदित है, इस मामले की चर्चा स्थायी श्रम समिति और भारतीय श्रम सम्मेलन में की गई थी और वहां किये गये निर्णय के अनुसार यह कार्रवाई की जा रही है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या देश में कोई औद्योगिक एकक है जिसने यह बढ़ाना स्वीकार कर लिया है अथवा सब औद्योगिक एककों ने इस वृद्धि का विरोध किया है ?

†**श्रम तथा रोजगार और योजना मंत्री (श्री नंदा):** इसके बारे में उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई थी और मुझे खेद है कि उनमें से कोई भी इस भार को स्वीकार करने के लिये आगे नहीं बढ़ा ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** और आपने उनकी बात मान ली ।

†**श्री नन्दा :** इसलिये, यह प्रबन्ध किया गया है कि हम यह उन पर न छोड़ें । हम इस मामले पर विचार कर रहे हैं और देने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए, इसे लागू किया जाएगा ।

†**श्री पलनियांडि :** भविष्य निधि का अंशदान बढ़ाने के लिये बनाई गई समिति की कितनी बैठकें हुई हैं । और यह कब तक अपना प्रतिवेदन पेश कर देगी ?

†**श्री आबिद अली :** समिति की एक से अधिक बैठकें हुई हैं । और जमशेदपुर, बनपुर और कलकत्ता गई है तथा निकट भविष्य में मद्रास, दिल्ली और बंगलौर जा रही है । वह कब तक अपना कार्य पूरा कर लेगी यह बताना संभव नहीं है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या समिति विभिन्न उद्योगों का अधिक भविष्य निधि अंशदान देने की क्षमता के अनुसार वर्गीकरण कर रही है ?

†**श्री आबिद अली :** जब उसके निर्देश निबंधनों की घोषणा की गई थी, तो वे सभा पटल पर रख दिये गये थे और उसमें अपेक्षित ब्यौरा दिया गया है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** माननीय श्रम और रोजगार मंत्री ने स्थायी श्रम समिति में आश्वासन दिया था कि कागज उद्योग के बारे में प्रविधिक समिति का प्रतिवेदन तैयार करने के लिये प्राथमिकता दी जाएगी । अब मैं देखता हूं कि यह चारों ओर जा रही है और एक ही साथ सब उद्योगों को ले रही है ?

†**श्री आबिद अली :** हमने फैसला किया है कि इस समिति को पहले सिगरेट, बिजली, 'मेकैनिकली या सामान्य इन्जनियरी उत्पाद, लोहा और इस्पात तथा कागज उद्योगों' को लेना चाहिये । पहले इस वर्ग के लिये जांच करनी थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ऐन्थनी पिल्ले :** इन में से कुछ उद्योगों के बारे में स्थिति यह है कि उनकी देने की कोई अक्षमता का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । क्या यह समिति उन उद्योगों के बारे में, जिनकी देने की अच्छी क्षमता है, कोई अन्तरिम प्रतिवेदन देगी ?

†**श्री आबिद अली :** इसमें अधिक समय लगेगा । वह अन्तरिम प्रतिवेदन क्यों देगी ? उसे अपना अन्तिम प्रतिवेदन बहुत शीघ्र देना चाहिये ।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** बहुत शीघ्र की क्या परिभाषा है ?

†**श्री तंगामणि :** क्या इस समिति में सब केन्द्रीय कार्मिक संघ संस्थाओं के प्रतिनिधि हैं और क्या किसी कार्मिक संघ संस्था ने इस के विरोध में इसमें भाग नहीं लिया है, और यदि हां, तो क्या कारण है कि उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया ?

†**श्री आबिद अली :** इस समिति में ए० आई० टी० यू० सी० ने भाग लेना लाभदायक नहीं समझा ।

†**श्री तंगामणि :** कारण क्या है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** उनको मालूम नहीं है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** वे उद्योग कौन से हैं जिनकी क्षमता सरकार के मतानुसार अधिक देने की है, और जो ६ $^{1}/_{4}$ प्रतिशत से बढ़ाकर ८ $^{1}/_{3}$ प्रतिशत तक अंशदान दे सकते हैं ? सरकार ने कोई निश्चय कर लिया होगा ।

†**श्री आबिद अली :** ठीक यही कार्य इस समिति का है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** समिति इस विषय पर प्रतिवेदन देगी ।

†**श्री विमल घोष :** यदि मुझे ठीक स्मरण है, तो आज जो दूसरा प्रश्न लिया गया था, उसके उत्तर में, माननीय मंत्री ने कहा है कि भविष्य निधि का अंशदान बढ़ाया जायगा । परन्तु अब वह कहते हैं कि यह विचाराधीन है । वास्तविक स्थिति क्या है ?

†**श्री आबिद अली :** वह प्रश्न कर्मचारी राजकीय बीमा योजना तथा उसके लिये अंशदान के बारे में था । इस प्रश्न का संबंध भविष्य निधि से है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** इस प्रश्न का किसी और बात से संबंध है ।

†**श्री का० ना० पांडे :** क्या सरकार ने उन उद्योगों के बारे में सांख्यिकी एकत्रित की है जहां स्वेच्छापूर्वक भविष्य निधि अंशदान पहले ही बढ़ा दिया गया है ?

†**श्री आबिद अली :** कर्मचारियों और मालिकों दोनों के अंशदान स्वेच्छापूर्वक बढ़ाने का उपबंध है, किन्तु हमने आंकड़े एकत्र नहीं किये । यदि सूचना मांगी जाती है, तो प्राप्त करके दे दी जाएगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पहाड़ी क्षेत्रों के लिये परामर्शदात्री समिति

\+

*३३१. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **योजना** मंत्री १८ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४८९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंग कि पंजाब और उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षत्रों के विकास के लिय परामर्शदात्री समिति नियुक्त करने का जो सुझाव स्वीकार किया गया था उसे कार्यान्वित करने में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : पंजाब सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों की योजना के लिये एक सलाहकार समिति बना ली है जिस में संसद सदस्य, विधान सभा के सदस्य और अन्य लोग हैं। इस समिति के २९ सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इस विषय पर विचार कर रही है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने भारत सरकार को इस आशय की कोई सूचना दी है कि कब से इस पर विचार किया जाता रहा है, कब तक विचार होता रहेगा और इस समय मामला किस हालत में है ?

श्री ल० ना० मिश्र : समय के विषय में तो नहीं कहा जा सकता है लेकिन उन्होंने लिखा है कि विचार कर रहे हैं।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या श्रीमन् यह बतायेंगे कि यह जो पंजाब सरकार ने कमेटी बनाई है इसके विचाराधीन क्या-क्या विषय होंगे ?

श्री ल० ना० मिश्र : यह कमेटी सरकार को पहाड़ी क्षेत्रों के लिये पंचवर्षीय योजना के बनाने म सलाह देगी।

श्री भक्त दर्शन के प्रश्न के उत्तर में यह और बतलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार का यह भी कहना है कि जो कमेटी बनी है वह डिवीजनल लेविल पर इस काम को करने के लिये ज्यादा उपयुक्त होगी।

†**श्री हेम राज :** क्या पंजाब सरकार ने एक अस्थायी तदर्थ-समिति बनाई है, जो प्रारूप तीसरी योजना के बारे में विचार करेगी ? क्या यह सलाहकार समिति स्थायी होगी और योजना कार्यान्वित करने के बारे में भी इस से सलाह ली जायेगी ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य उस समिति के सदस्य हैं। यह समिति सलाहकार समिति होगी और योजना को कार्यान्वित करने के बारे में सरकार को मंत्रणा देगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम राज :** मेरा प्रश्न है कि क्या यह स्थायी होगी या अस्थायी ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** हमें प्राप्त सूचना के अनुसार यह समिति तीसरी पंचवर्षीय योजना बनाने और इसके कार्यान्वित किये जाने के बारे में सरकार को मंत्रणा देगी ।

†**श्री नारायणस्वामी :** क्या इसी प्रकार की कोई सलाहकार समिति मद्रास राज्य के लिये है और यदि हां, तो वर्तमान स्थिति क्या है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य का अभिप्राय मद्रास राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों की समिति के बारे में है । क्या उन क्षेत्रों के लिये ऐसी कोई समिति है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** इस प्रश्न का पंजाब और उत्तर प्रदेश के पहाडी क्षेत्रों से संबंध है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** इस का विस्तार करने में क्या हानि है ? माननीय सदस्य श्री नारायणस्व मी कभी-कभी ही प्रश्न पूछते हैं । वह पहाड़ी क्षेत्र के हैं और चाय बोने वाले हैं । वह कभी-कभी ही प्रश्न पूछते हैं । माननीय मंत्री उनके क्षेत्र में भी इस समिति का विस्तार कर सकते हैं ।

†**श्री नारायणस्वामी :** मैं चाय क्षेत्र का हूं ।

†**श्री ल० ना० मिश्र :** यदि कोई विशेष समस्यायें हैं, तो उन का विचार किया जा सकता है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने अभी बतलाया कि यह जो सलाहकार समितियां हैं यह पंचवर्षीय योजनाओं के बनाने में अपनी राय देंगी तो क्या उन्हें इस बात का ध्यान है कि पंच-वर्षीय योजना बनाई जा चुकी है और उसकी जो बदनामी होगी वह स्थानीय प्रतिनिधियों पर पड़ेगी हालांकि उनका पहले परामर्श नहीं लिया गया है तो क्या इस बारे में विचार किया जायेगा कि अन्तिम रूप देने से पहले उनसे परामर्श कर लिया जाये ?

श्री ल० ना० मिश्र : अभी जो मोटी रूप रेखा तैयार हुई है उसके ऊपर डिवीजनल लेविल पर उनको सलाह और राय देने का हक होगा ।

†**श्री अन्सार हरवानी :** क्योंकि पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों की समस्यायें हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों की समस्याओं से बहुत अधिक मिली जुली हैं, क्या इस समिति और हिमाचल प्रदेश प्रशासन के बीच कोई सम्पर्क रहेगा ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** जहां तक इस समिति का संबंध है यह केवल पंजाब के लिये है और इस का हिमाचल प्रदेश या वहां की समस्याओं से कोई संबंध नहीं है ।

श्री हेम राज : क्या मैं जान सकता हूं कि पंजाब गवर्नमेंट ने जो कमेटी बनाई है और उसके लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें यह लिखा है कि यह कमेटी ड्राफ्ट प्लान पर सोच विचार करने के बाद भंग कर दी जायेगी, तोड़ दी जायेगी तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यही कमेटी परमानेंट बनेगी, परमानेंट कंसल्टेटिव कमेटी होगी या कोई और मेटी होगी जोकि परमानेंट बनाई जायगी ?

†मूल अंग्रेज़ी में

श्री ल० ना० मिश्र : मेरे पास इस समय ऐसी कोई सूचना नहीं है लेकिन माननीय सदस्य समिति के सदस्य हैं और जब उनकी ऐसी राय है तो उन्हें चाहिये कि वे अपनी राय को सरकार के सामने प्रेस करें।

†**श्री बांगशी ठाकुर :** क्या भारत के अन्य भागों म पहाड़ी क्षेत्र नही हैं और यदि हैं तो अकेले पंजाब और उत्तर प्रदेश के नाम ही क्यों हमेशा सब से आगे आते हैं ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** माननीय सदस्य पृथक प्रश्न पूछ सकते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** इस प्रश्न का केवल पंजाब से संबंध है। मैं ने पहले एक अन्य भिन्न प्रश्न की अनुमति दे दी थी, किन्तु मैं अन्य भिन्न प्रश्नों की अनमति नहीं दे सकता।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़ :** पहाड़ी आदिम जातियों की समस्याओं पर विचार करने के लिये पंजाब और उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त किन अन्य राज्यों में ये सलाहकार समितियां बनाई गई हैं ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** हमारे पास केवल पंजाब और उत्तर प्रदेश की सूचना है। मुझे अन्य राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की किसी समिति का पता नहीं है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, कल माननीय गृह मंत्री जी ने एक प्रश्न के उत्तर में बतलाया था कि उत्तरी सीमा पर लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब और उत्तर प्रदेश में नये जिले बनाये गये हैं, तो क्या ऐसी संभावना पर विचार किया जा रहा है कि केन्द्र में कोई ऐसी परामर्शदात्री समिति हो जोकि समान प्रश्नों पर विचार कर सके और अपनी राय दे सके।

श्री ल० ना० मिश्र : उत्तराखंड के जिलों का एक डिवीजन बनाया गया है और उसके लिये एक अलग राशि भी रखी गयी है। उनका काम इन पहाड़ी क्षेत्रों से अलग का काम होगा ?

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन् मेरा प्रश्न यह है कि क्या केन्द्र में भी कोई ऐसी परामर्श करने की मशीनरी स्थापित करने का विचार है, ताकि इस तरह की समान समस्याओं पर विचार किया जा सके।

श्री ल० ना० मिश्र : उनके डेवलपमेंट का काम तो होम मिनिस्ट्री के जरिये से होगा और उन के वास्ते कोई सलाहकार समिति बनाई जाने की अभी कोई योजना नहीं है।

श्री हेम राज : क्या मैं जान सकता हूं कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स् (प्रतिनिधि) पहाड़ों के हैं उन्होंने केन्द्रीय सरकार को कोई ऐसा पत्र भेजा है कि केन्द्र में पहाड़ी क्षेत्रों की सलहाकार समिति बनानी चाहिए ?

श्री ल० ना० मिश्र : मुझे तो नहीं मालूम है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

राष्ट्रीय आय का वितरण

†*३३२. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बहादुर सिंह :
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री राजेन्द्र सिंह :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री कालिका सिंह :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री आसर :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री सूपकार :
कुमारी मो० वेदकुमारी :
श्री हेम बरूआ :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री आचार :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग के प्रधान ने, इस बात का अध्ययन करने के लिए कि पिछले दस वर्षों में आयोजन से समाज के विभिन्न भागों को कितना कितना लाभ पहुंचा है, जो राष्ट्रीय आय वितरण जांच समिति नियुक्त की थी, उसने क्या प्रगति की है ?

(ख) उस समिति के निर्देश-पद क्या हैं ; और

(ग) क्या इस समिति की रिपोर्ट को सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

†**योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)**: (क) आय वितरण तथा रहन सहन स्तर संबंधी समिति की बैठक १३ अक्तूबर, १९६० को, पालन किये जाने वाले काम के तरीकों और प्रक्रियाओं का फैसला करने के लिये, पहली बैठक हुई थी ।

(ख) समिति के निबंधन ये हैं :—

(१) पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में रहन सहन के स्तरों में परिवर्तन का विचार करना;

(२) आय तथा सम्पत्ति वितरण के हाल के रुख का, अध्ययन करना, विषेशकर ;

(३) यह आंकना कि आर्थिक प्रणाली के संचालन का सम्पत्ति तथा उत्पादन के साधनों के संचय में किस मात्रा तक परिणाम हुआ है :

(ग) जी , हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दी० चं० शर्मा** : यह समिति अपना प्रतिवेदन तैयार करने के लिये किस प्रकार सांख्यिकी एकत्र करेंगी ? क्या कोई तिथि निर्धारित की गई है कि प्रतिवेदन के लिये आवश्यक सामग्री कब तक एकत्र की जायेगी ।

†**श्री ल० ना० मिश्र**: वह एक तरीका निकाल रही है जिसके द्वारा वह सूचना और सांख्यिकी एकत्र करेगी । यह सच है कि इस प्रकार की सूचना और सांख्यिकी एकत्र करना बहुत सरल नहीं है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या इस समिति के समक्ष राष्ट्रीय आय के वितरण के बारे में साक्ष्य देने के लिये साक्षी बुलाये जायेंगे ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : यह विस्तार का मामला है । यह फैसला करना समिति का काम है कि अपना प्रतिवेदन तैयार करने के लिये वे कौन सा उपाय अपनायें ।

†**श्री बहादुर सिंह** : क्या समिति को अपना प्रतिवेदन पूर्ण करने के लिये कोई समय निश्चित किया गया है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : कोई समय निश्चित नहीं किया गया है, परन्तु आशा है कि वे लगभग एक वर्ष में अपना कार्य पूरा कर सकेंगे ।

†**श्री त्यागी** : राष्ट्रीय आय सम्बन्धी सांख्यिकी एकत्र तथा संचित करने के उपाय के बारे में कोई साहित्य न मिलने के कारण, मैं जानना चाहता हूं कि भारत में राष्ट्रीय आय को आंकने के लिये कौन सा स्वीकृत उपाय अपनाया गया था ? क्या उत्पादन उपाय, या आय उपाय, या उपभोग और नियोजन उपाय अपनाया गया था ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : यह भिन्न प्रश्न है । जहां तक समिति का प्रश्न है, उसने अन्तिम निर्णय नहीं किया है । उसकी केवल एक बैठक १३ अक्तूबर को हुई है, अभी उन्हें पूरे क्षेत्र को लेना है ।

†**श्रम, रोजगार और योजना मंत्री (श्री नन्दा)**: राष्ट्रीय आय की सांख्यिकी उपायों के मिश्रण पर आधारित है । अकेला एक उपाय आय के सभी साधनों पर लागू नहीं होता । जहां तक इस विषय का संम्बन्ध है, विभिन्न संस्थानों पर बहुत सी सामग्री बिखरी पड़ी है । केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन ने सांख्यिकी एकत्र की है और जो कुछ सामग्री राष्ट्रीय आय एकक के कारण है वह भी इस समिति को दे दी जायेगी ।

†**श्री त्यागी** : संसद् सदस्यों को केवल सांख्यिकी दी गई थी । क्या मंत्रालय पुस्तकालय में या सदन पर यह सूचना रख सकती है कि राष्ट्रीय आय सांख्यिकी संकलित करने के विस्तृत उपाय क्या हैं; ताकि हम इसका अध्ययन करके यह देख सकें कि क्या यह बिल्कुल ठीक है और यदि इसमें कुछ त्रुटि हो तो उसकी आलोचना कर सकें ?

†**श्री नन्दा** : हम वास्तव में राष्ट्रीय आय सांख्यिकी के मामले में उपायों के समूचे प्रश्न पर पुनर्विचार करने में व्यस्त हैं । मुझे माननीय सदस्यों को सूचना देने में प्रसन्नता होगी ।

†**श्री त्यागी** : इस के लिये वास्तव में किस उपाय को अपनाया गया, आय उपाय को या उत्पादन उपाय को अथवा उपभोग और नियोजन उपाय को ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नन्दा** : उपभोग उपाय को नहीं अपनाया गया । यह मुख्यतया उत्पादन संबन्धी सांख्यिकी पर आधारित है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि यह कहा गया है, उदाहर्णार्थ श्री अशोक मेहता जैसे लोगों के द्वारा, कि योजना की प्रणाली से असमता होती है, यह कैसे ठीक से कहा जा सकता है कि हमें जो सांख्यिकी दी जाती है, वह वास्तव में सच तथ्यों पर आधारित है ?

†**श्री नन्दा** : यह सूचना के सही होने का प्रश्न है । विभिन्न मामलों में इसमें अन्तर हो सकता है । समूची उपलब्ध सामग्री वहां होगी । इसके अतिरिक्त जहां कहीं सूचना में कोई अन्तर है, जो शीघ्रता से करी जा सकती है, अग्रतर अध्ययन किया जायेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य कोई विशिष्ट उपाय का सुझाव दे सकते हैं जो उनके मन में हो और जिन को शुद्धता लाने के लिये अपनाया जाये ।

†**श्री ब्रजराज सिंह**: क्या इस बात का सुझाव समिति को दिया गया है कि वह भी ऐसे उपाय निकालें, जिन के द्वारा वे घूस तथा चोर बाजारी द्वारा कमाई गई आय का भी अनुमान लगा सकें ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : यह बड़ा महत्व का प्रश्न है ।

†**श्री सूपकार** : जैसे जैसे योजना प्रगति करेगी क्या यह समिति या कोई अन्य समिति कुछ लोगों के हाथों में संपत्ति संचय के विरुद्ध कोई सुधारात्मक उपायों का सुझाव देगी ?

†**श्री नन्दा** : जो सूचना एकत्र की जायेगी, उस में से ऐसे सुझाव उत्पन्न हो सकते हैं कि बाद में क्या उपाय किये जायें ।

†**श्री पलनियाण्डी** : आय को आंकने में, क्या सरकार आयातकों और निर्यातकों द्वारा कमाये गये लाभ को लेगी ? १९५५–५६ में बड़ी मात्रा में इस्पात का आयात किया गया था । क्या लगभग ४०० करोड़ रुपये को भी शामिल किया जायेगा ?

†**श्री नन्दा** : यह विस्तार का मामला है । समिति अवश्यमेव इस पर विचार करेगी ।

†**डा० मा० श्री० अणे** : प्रश्न यह है कि समाज के विभिन्न वर्गों में पिछले दस वर्षों में किस प्रकार लाभ बांटा गया है । विभिन्न वर्गों को मालूम करने के लिये क्या आधार ? क्या यह है जाति या धर्म के अनुसार है ?

†**श्री नन्दा** : इस जांच में जाति और धर्म नहीं आते ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : इस मामले में योजना आयोग के वर्तमान निष्कर्ष क्या हैं ? क्या वे इस समिति को कुछ सांख्यिकी दे सकते हैं या वे इसकी उपेक्षा कर रहे हैं ?

†**श्री नन्दा** : प्रत्येक व्यक्ति के अपने विचार और मत होते हैं परन्तु मैं इस जांच समिति के निष्कर्षों का पूर्व अनुमान लगाना नहीं चाहता ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : इस मामले में योजना आयोग के वर्तमान निष्कर्ष क्या हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह समिति के निष्कर्षों का पूर्व अनुमान नहीं लगाना चाहते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मोरक्को और ट्यूनिशिया को चाय का निर्यात

+

†*३३३. **श्री बहादुर सिंह :**
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मोरक्को और ट्यूनिशिया में भारतीय चाय की बिक्री की संभावनाओं की जांच करने के लिये एक व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने इन देशों का दौरा किया था ;

(ख) इस प्रतिनिधि मंडल के दौरे का क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) क्या इस प्रतिनिधि मंडल ने इस दौरे में अन्य अफ्रीकी देशों की यात्रा भी की थी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी, हां ।

(ख) मोरक्को और ट्यूनिशिया की सरकारों के साथ व्यापार करारों सम्बन्धी बात की गई है। मोरक्को के साथ व्यापार करार भुगतान व्यवस्था के सफल निर्णय पर निर्भर है जो विचाराधीन है । दोनो करारों में चट्टानी फौसफेट के आयात और अन्य चीजों के साथ भारत चाय के निर्यात की व्यवस्था है ।

(ग) जी नहीं ।

†**श्री बहादुर सिंह** : भुगतान का क्या तरीका होगा ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : ट्यूनिशिया के मामले में भारतीय रुपया और मोराक्को के मामले के बारे में चर्चा हो रही है ।

†**श्री अंसार हरवानी**: क्या निर्यात राजकीय व्यापार निगम के द्वारा किया जायेगा या निर्यातकों के द्वारा ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : ट्यूनिशिया के मामले में, सामान्य व्यापार करार के अतिरिक्त, जिसके अन्तर्गत निर्यात गैर सरकारी तौर पर भी हो सकता है, राजकीय व्यापार निगम द्वारा एक विशेष करार किया गया है। मोराक्को के मामले में, अभी तक कोई निश्चित करार नहीं हुआ ।

†**श्री नंजप्प** : करार के अन्तर्गत किस किस्म की चाय बेची जायेगी ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : जब माल दिया जायेगा तब किस्म का फैसला किया जायेगा । यह खरीदने वाले की इच्छा पर निर्भर होगा ।

†**श्री विमल घोष**: क्या सरकार ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि अधिकतर किये गये वस्तु-विनिमय करार से व्यापार नहीं बढ़ता क्योंकि उस से मूल व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ता है ?

†**श्री सतीश चन्द्र**: अनिर्वायतः ऐसा नहीं होता । उत्पादन बढ़ा हुआ है और बहुत सा माल फालतू उपलब्ध है । हम अपने निर्यात को बहुविध करने का प्रयत्न कर रहे हैं और यह भी ध्यान रखते हैं कि ऐसा करते हुये जहां तक संभव हो सके, परिवर्तन एक देश से दूसरे देश में न हो । यह उत्पादन वृद्धि या निर्यात किये जाने के लिये फालतू माल की उपलब्धि पर निर्भर है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : व्यापार शिष्टमंडल में कौन २ व्यक्ति थे और सरकार ने मिशन पर कितनी राशि व्यय की है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : मुझे सही खर्च मालूम नहीं है । परन्तु इस शिष्टमंडल में तीन लोग गये थे । इसका नेता हमारा राजदूत था जो मोरक्को और ट्यूनिशिया दोनों के लिये राजदूत है । अन्य सदस्य श्री बिल्ग्रामी, राजकीय व्यापार निगम का प्रबंध-निदेशक तथा तीसरा सदस्य श्री दिवाकर वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय से थे ।

†**श्री राम नाथन चेट्टियार** : क्या अच्छी किस्म की चाय मोरक्को और ट्यूनिशिया भेजी जाती है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : अभी तक हमने मोरक्को और ट्यूनिशिया में चाय का निर्यात नहीं किया है । अभी हमें उनकी रुचि जाननी है । हम जो नमूने उनको भेजेंगे उनमें से वे चुनेंगे । हम ये बातें भविष्य में ही बता सकेंगे ।

†**श्री नारायणस्वामी** : क्या अफ्रीकी देशों में जाने के अतिरिक्त, वे आस्ट्रेलिया के साथ अधिक व्यापार की संभावना बनाने के लिये अस्ट्रेलिया भी गये थे ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : यह शिष्टमंडल नहीं गया ।

सुरक्षा उपकरण समिति

†*३३४. **श्री त०ब० विट्ठल राव** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुरक्षा उपकरण समिति तथा खानों में वायुसंचारण, प्रकाश-प्रबन्ध और खान-योजना सम्बन्धी प्रविधिक समिति ने इस बीच अपनी रिपोर्ट पेश कर दी हैं ;

(ख) यदि हां तो इन की मुख्य उपपत्तियां क्या हैं ; और

(ग) सरकार का इन सिफारिशों को प्रभावशाली रूप से कार्यन्वित करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : सुरक्षा उपकरण समिति का प्रतिवेदन कब तक मिल जायेगा ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : सुरक्षा सम्मेलन का प्रतिवेदन सदस्यों को पहले ही दिया जा चुका है । ये सुरक्षा सम्मेलन की सिफारिशों पर बनाई गई उपसमितियां हैं । उनकी बैठकें हो रही हैं । मैं नहीं कह सकता कि वे कब तक अपने अन्तिम प्रतिवेदन पेश करेंगी ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : यह समिति एक वर्ष पूर्व नियुक्त की गई थी । प्रतिवेदन प्राप्ति में विलम्ब होने के कारण क्या हैं ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†**श्री ल० ना० मिश्र** : इस समिति को रोशनदानों और प्रकाश आदि के सम्बन्ध में बहुत से सर्वेक्षण करने हैं। इसने विभिन्न प्रकार की बहुत सी खानें चुन ली हैं, और सर्वेक्षण कर रही है। एक दल ने सर्वेक्षण पूरा कर लिया है, और दूसरा दल अन्य खानों का सर्वेक्षण कर रहा है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : दो समितियां है, एक समिति सुरक्षा उपकरण समिति है। इस समिति के प्रतिवेदन में विलम्ब क्यों है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : सुरक्षा उपकरण समिति है अपना प्रतिवेदन दो या तीन महीनों में पेश कर देगी। उसने इस देश में बनाये गये उपकरण और सामग्री के बारे में और बाहर से मंगवाये जाने वाले माल के बारे में बहुत जानकारी एकत्रित कर ली है। वे दो या तीन महीनों में अपना प्रतिवेदन पेश कर देंगे ऐसी आशा है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : सरकार ने ३० अप्रैल, १९६० से खानों में मग लैम्पों के प्रयोग को बन्द करने का फैसला किया है, परन्तु इस का विस्तार कर दिया गया था। उसके बारे में क्या स्थिति है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है।

निर्यात नीति पुनर्विलोकन समिति

†*३३५. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात नीति के लिये प्राथमिकता पद्धति का पुनर्विलोकन करने के लिये किसी गैर-सरकारी व्यक्ति के सभापतित्व में कोई समिति नियुक्त की गई है अथवा नियुक्त किये जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो समिति के सभापति और सदस्यों के नाम क्या हैं ; और

(ग) क्या समिति ने कोई अन्तिम रिपोर्ट पेश की है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). एक समिति की स्थापना का प्रस्ताव है। इसके निर्देश-पदों और सदस्यों आदि के बारे में विचार किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : इस समिति की स्थापना की क्या आवश्यकता है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : आयात मंत्रणा परिषद् की पिछली बैठक में किस सदस्य ने कहा था कि विदेशी मुद्रा की अत्यधिक कठिनाई को ध्यान में रखते हुये कोई ऐसा युक्तियुक्त तरीका होना चाहिये जिससे आयात के लिये प्राथमिकता निश्चित की जा सके। अतः वाणिज्य तथ उद्योग मंत्री महोदय ने बैठक में यह घोषणा की थी कि वह यथासंभव शीघ्र एक समिति बनायेंगे जिसका सभापति एक गैर-सरकारी व्यक्ति होगा और जो इस मामले पर विचार करेगी ताकि कम आवश्यक वस्तुओं के आयात को रोका जा सके और अति महत्वपूर्ण वस्तुओं के आयात को प्राथमिकता दी जा सके।

†**पंडित द्वा०ना० तिवारी** : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि बहुत सी आवश्यक वस्तुयें, जैसे घड़ियां, चोर बाजार के जरिये आ रही हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस समिति को कोई ऐसे निर्देश दिये जायेंगे ताकि इन वस्तुओं को प्राथमिकता मिल सके ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सतीश चन्द्र** : चोर बाजार के जरिये कोई सामान नहीं आ सकता । संभवतः माननीय सदस्य कुछ थोड़े से चोरी छिपे आ ये सामान के बारे में जिक्र कर रहे हैं जो सीमा-शुल्क बचाकर लाये जाते हैं । ऐसे दुराचरण को रोकने के लिये सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

†**श्री चिन्तामिण पाणिग्रही** : क्या इस समिति का प्रतिवेदन पेश होने तक, सरकार ने उर्वरकों के आयात को प्रथम प्राथमिकता देने का फैसला किया है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : उर्वरकों पर उत्पादन और आयात दोनों मामलों में ध्यान दिया जाता हैं । हमारा प्रयत्न यह है कि उर्वरकों के उत्पादन में यथासंभव अत्यधिक वृद्धि की जाये और इस उर्वरक का आयात कर कमी को पूरा किया जाये जिसके लिये वित्त मंत्रालय ने पृथक रूप से विदेशी मुद्रा का आवंटन किया है ।

नागा

+

†*३३७. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री पुन्नूस :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० के० देव :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री सूपकार :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री ब्रजराज सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागा समझौते की क्रियान्वित में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) १ अगस्त, १९६० से नागा विद्रोहियों की गतिविधियों के बारे में स्थिति क्या है ; और

(ग) विद्रोही नागाओं की गतिविधियों ने क्या रूप धारण किया है और इनका सामना किस प्रकार किया गया है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)**: (क) नये नागा राज्य के निर्माण की दिशा में प्रारम्भिक कार्यवाही के रूप में अन्तरिम अवधि में 'नागालैण्ड' के प्रशासन में आसाम के राज्यपाल को

---

†मूल अंग्रेजी में

सहायता देने के सम्बन्ध में किये गये करार के अधीन स्थापित की जाने वाले अन्तरिम निकाय के सदस्यों का चुनाव लगभग पूरा हो गया है । यह आशा की जाती है कि अन्तरिम निकाय शीघ्र ही कार्य आरम्भ कर देगी ।

(ख) नागा विद्रोहियों की गतिविधि में कुछ वृद्धि हुई है ।

(ग) विद्रोहियों ने मुख्यत: अपहरण, रक्षक दस्तों पर गोली चलाना, हमले और वफादार कर्मचारियों को मारने का सहारा लिया है । इन गति विधियों को रोकने के लिये नागा पहाड़ी तथा तुएनसांग क्षेत्र प्रशासन ने गश्ती टुकड़ियों में वृद्धि कर दी है और ग्राम्य गार्डों और सुरक्षा दलों की सहायता से प्रतिरक्षात्मक व्यवस्था को सुदृढ़ किया है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** इस करार के किये जाने के बाद क्या राज्यपाल और नागा नेताओं के बीच कोई बैठक हुई है ? यदि हां, तो उन्होंने क्या बात चीत की ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** क्या माननीय सदस्य नागा जन सम्मेलन के नेताओं की ओर निर्देश कर रहे हैं ?

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** जी, हां ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** जहां तक मुझे पता है मैं समझता हूं कि राज्यपाल के साथ कोई बैठक नहीं हुई है परन्तु आयुक्त के साथ बैठकें हुई हैं ।

†**श्रीमती मफीदा अहमद :** अभी अभी उपमंत्री महोदया ने सदन को बताया कि परामर्शदाता निकाय के चुनाव पूरे हो गये हैं । 'अ.गामी' आदिम जाति, जो कि विद्रोही नागाओं में प्रमुख है, के बारे में क्या स्थिति है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** मैंने कहा था कि लगभग पूरा हो चुका है जिसमें "अन्गामी" और "चाकसांग" शामिल नहीं हैं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** अभी अभी उपमंत्री महोदया ने इस अवधि में विद्रोही नेताओं की गतिविधियों का जिक्र किया । उनके बारे में और ब्यौरा क्या है और इस अवधि में इन विद्रोही नेताओं में से कितनों को गोली से मारा गया या गिरफ्तार आदि किया गया ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य किस अवधि का जिक्र कर रहे हैं । मैं ठीक आंकड़े नहीं दे सकता । दोनों ओर गोलियां चली हैं और कई व्यक्ति हताहत हुये हैं ।

†**श्री अजराज सिंह :** उपमंत्री महोदया ने बताया कि उस "निकाय" के चुनाव 'लगभग पूरे हो गये हैं ।' और साथ ही यह भी बताया गया है कि नागा विद्रोहियों की गतिविधियां बढ़ी हैं । इसका ठीक कारण क्या है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** कोई भी यह बात सोच सकता है कि विद्रोही व्यक्ति इस बात से असंतुष्ट हैं कि अधिकांश नागाओं ने हमारे साथ समझौता कर लिया है और वे अपने असंतोष का प्रदर्शन करना चाहते हैं ।

†**श्री वाजपेयी :** क्या समझौता हो जाने के बाद विद्रोही नेताओं से सम्पर्क स्थापित करने का कोई प्रयत्न किया गया है ? यदि हां, तो इसका उन्होंने क्या उत्तर दिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : सरकार की ओर से कोई प्रयत्न नहीं किये गये हैं। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि इस बारे में नागा जन सम्मेलन ने क्या किया है।

†**डा० राम सुभग सिंह** : नागा विद्रोहियों की अनुमानित संख्या कितनी है और उनके साथ क्रियात्मक ढंग से व्यवहार करने के लिये सरकार के क्या प्रस्ताव हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : संख्या बताना कठिन है। सामान्यतः, वे लगभग १५०० हैं ; कुछ कम भी हो सकते हैं और कुछ अधिक भी। इस समय ये अधिकांश व्यक्ति बर्मी सीमा के निकट हैं। वास्तव में हमारी जानकारी यह है कि जब भी उन्हें कोई कठिनाई होती है, तो उनमें से बहुत से बर्मा चले जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। कुछ शायद अब भी बर्मा में हों।

स्पष्टतः दो प्रकार के उपाय किये जा सकते हैं—मैं सामान्य समस्याओं के बारे में बात कर रहा हूं। राजनीतिक उपाय और सैनिक उपाय। इस करार के जरिये हमने राजनीतिक उपाय किये हैं जिसमें अधिकांश नागा व्यक्ति शामिल हो गये हैं। सैनिक उपाय करना सेना का काम है और वे ऐसा कर रहे हैं।

†**श्री नाथ पाई** : क्या सरकार को इस बारे में कोई जानकारी है कि नागा विद्रोहियों को शस्त्र, गोला बारूद और धन की सहायता कहां से प्राप्त होती है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इस बारे में हमें कोई ठोस जानकारी नहीं है। मूलतः वह क्षेत्र शस्त्रास्त्रों से भरा हुआ था। कुछ शस्त्र तो उन्हें वहां से मिले हैं, अन्य तस्कर व्यापार से और खरीद कर—ऐसा मेरा विश्वास है। उन्होंने बहुत थोड़े किसी डिपो से प्राप्त किये हैं परन्तु मैं इस बारे में ठोस जानकारी नहीं दे सकता।

†**श्री सूपकार** : क्योंकि प्रधान मंत्री महोदय ने बताया कि वे दूसरी ओर चले जाते हैं और वहां से मुसीबत पैदा करते हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इन नागा विद्रोहियों के साथ निपटने के लिये बर्मा सरकार की सहायता और सहयोग की मांग की है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हम बर्मा सरकार को सूचित करते रहते हैं। वह सरकार सदैव सहयोग देने को तैयार है। नागा लोग किसी विशेष क्षेत्र में नहीं रहते। बहुत कुछ कर सकना उनके लिये संभव नहीं है। परन्तु वे सहयोग देना चाहते हैं—वे हमारी मदद करना चाहते हैं और उन्होंने समय समय पर हमारी सहायता की भी है।

†**श्री नाथपाई** : प्रधान मंत्री महोदय ने बताया कि अधिकांश शस्त्र उन्हें पुराने भंडारों से मिले हों और कुछ चोरी छिपे लाये गये हों। क्या सरकार को पता है अथवा उन्हें कोई ऐसा साक्ष्य मिला हो जिससे यह पता लगे कि कोई देश भारत में मुसीबत पैदा करने में रुचि रखता हो अतः वह नागाओं को शस्त्रास्त्र देता हो ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी, हां। ऐसा हो सकता है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : विद्रोहियों के लिए नागालैंड का क्या विचार है और इसमें अन्य के विचारों से क्या अन्तर है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि मिस्टर फ़िजो विद्रोही नागा नेताओं से सम्पर्क बनाये रखे हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य नागालैंड का विस्तार जानना चाहते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी :** मैं यह जानना चाहता हूं कि नागालैण्ड के बारे में विद्रोहियों और वफ़ादार नागाओं के विचारों में क्या अन्तर है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** संभवतः उनका यह मतभेद है कि वे इस प्रदेश को पूर्ण रूप से स्वतंत्र चाहते हैं। मूलतः उनकी प्रार्थना यह थी कि इस क्षेत्र में कुछ अन्य प्रदेश भी शामिल किये जायें जहां कुछ नागा लोग रहते हैं जैसे उदाहरणतः मनीपुर। हमने यह बात नहीं मानी। इस समय केवल नागा पहाड़ी––तुएनसांग क्षेत्र का सम्बन्ध है। वहां भी पहाड़ी राज्य के गठन की समूची प्रक्रिया में कुछ वर्ष लगेंगे। यह क्रमशः प्रक्रिया है। इन प्राथमिकताओं के पूरा हो जाने पर और वहां पर मंत्रणा परिषद् आदि बन जाने पर, हमें इस सदन में कुछ सांविधानिक परिवर्तन के मामले उठाने होंगे––अनुसूची में कुछ संशोधन अथवा ऐसी ही कुछ बातें। तब भी, दस वर्षों तक, तुएनसांग क्षेत्र के साथ विभिन्न प्रकार से व्यवहार किया जायेगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पूर्व पाकिस्तान में हिन्दू अल्पसंख्यक

†*३२५. **श्री राजेन्द्र सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पाकिस्तान में पूर्व पाकिस्तान के हिन्दुओं को उनकी रिहायशी जायदाद और औद्योगिक उपक्रमों से अधिकार च्युत करने के लिए सुगठित प्रयत्न किये जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इसको रोकने के लिए और पूर्व पाकिस्तान के हिन्दुओं को संरक्षण देने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार को इस प्रकार के किसी भी आन्दोलन के सम्बन्ध में सूचना नहीं मिली है।

परन्तु हिन्दुओं की रिहायशी सम्पत्तियों के बलात् कब्जे और अधिग्रहण के सम्बन्ध में समय समय पर रिपोर्टें मिलती रहती हैं।

इस प्रकार के मामलों के बारे में ढाका स्थित भारतीय उप-उच्चायुक्त पाकिस्तानी प्राधिकारियों के साथ शीघ्र ही लिखा पढ़ी करते हैं।

टेपियोका का निर्यात

†*३३६. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से टेपियोका के आटे का यूरोप को निर्यात करने की काफी गुंजाइश है ;

(ख) क्या टेपियोका के आटे के निर्यात में १९५७ से कमी हो रही है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) टेपियोका के आटे के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी, हां ।

(ख) १९५८ और १९५९ में टेपियोका के आटे का निर्यात १९५७ से बहुत अधिक था । पर हां, १९६० में निर्यात कुछ कम हो गया है ।

(ग) अन्य उष्ण देशों से होड़ ।

(घ) स्थिति पर नजर रखी जा रही है और टेपियोका के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है ।

तिब्बती शरणार्थी

†*३३८. **श्री विश्वनाथ राय :**
श्रीमती रेणुका राय :
श्री हेम बरुआ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल से तिब्बती शरणार्थी गोरखपुर जिले (उत्तर प्रदेश) के नौतनवा और सुनौली नामक सीमान्त कस्बों के रास्ते भारत में आने शुरू हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनमें से बहुत से व्यक्तियों के जासूस होने का सन्देह है ; और

(ग) क्या इन पर कड़ी निगरानी रखने की यथोचित व्यवस्था की गयी है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) फरवरी से अक्टूबर, १९६० तक की अवधि में इस मार्ग से ४७४ शरणार्थी दाखिल हो चुके हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, हां ।

कोयला खान क्षेत्रों में मकानों की कमी

†*३३९. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला-खान श्रम कल्याण संगठन के तत्वावधान में कुछ शिक्षा विशारदों द्वारा अभी हाल ही में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार कोयला-खान क्षेत्रों में निवास स्थान की गम्भीर कमी के समाचार की ओर भारत सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त सर्वेक्षण का पूरा ब्यौरा क्या है ; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है अथवा किये जाने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)**: (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें कल्याण-कर्मचारी प्रशिक्षण संस्था भूली द्वारा किये गये सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट निहित है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी—२४५४/६०]**

(ग) कुल १२,४३७ मकान बनाये जा चुके हैं और ४,५३७ मकान बनाये जा रहे हैं। २५ प्रतिशत राजकीय सहायता की अदायगी के लिए मंजूरी दे दी गयी है और यदि जरूरत हुई तो इच्छुक कोयला खान मालिकों को ३७ $^{1}/_{2}$ प्रतिशत राशि ऋण के रूप में भी दे दी जायेगी। ३०,००० ऐसे मकानों के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी गयी है जो कि कोयला खान श्रम कल्याण निधि द्वारा पूर्णतः अपने धन से बनाये जा रहे हैं। और अधिक मकानों के निर्माण के लिये मंजूरी देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

रॉक फास्फेट

†*३४०. **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रॉक फास्फेट का मोरक्को और ट्यूनिशिया से बहुत बड़ी मात्रा में आयात किया जा रहा है; और

(ख) पिछले कुछ वर्षों में देश में ही रॉक फास्फेट प्राप्त करने के लिये किये गये प्रयत्नों का ब्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** (क) जी, हां।

(ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

रॉक फास्फेट के सारवान निक्षेपों के सम्बन्ध में जांच कार्य भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग तथा भारतीय खान ब्यूरो द्वारा समय समय पर किया जाता है। बिहार के सिंहभूम निक्षेपों का विस्तृत जांच कार्य १९५७–५८ के भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण के क्षेत्र कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया था। भारतीय खान ब्यूरो के प्राधिकारियों द्वारा मद्रास के त्रिचरापल्ली जिले की फास्फेट खानों तथा सिंहभूमि जिले की एपाटाइट खानों का निरीक्षण किया गया है। सिंहभूम के तांबे में एपाटाइट निक्षेपों को सिद्ध करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

बिजली का अनधिकृत उपयोग

†*३४१. **श्री राधा रमण :**
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात लायी गयी है कि दिल्ली में मंत्रियों के निवास-स्थानों और बहुत से सरकारी कार्यालयों में बिजली का बिना रोक टोक के और बिजली के लोड और एक्स-टेंशन के अधिकार लिये बिना ही उपयोग किया जा रहा है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस अनधिकृत उपयोग का वास्तविक स्वरूप क्या है और इस प्रकार कितनी मात्रा में बिजली इस्तेमाल की जाती है; और

(ग) क्या इस अनधिकृत उपयोग को रोकने के लिये कोई कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने क. विचार है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) से (ग). जी, नहीं। बिना उचित मंजूरी के कोई भी अनधिकृत विस्तार नहीं दिया गया है अथवा नया कनेक्शन नहीं दिया गया है। पर हां, कभी कभी यह देखा गया है कि सरकारी दफ्तरों में बिजली के लाइट प्लगों से अनुचित रूप से हीटर इस्तेमाल किये जाते हैं। इसे निरुत्साहित किया जाता है और सभी दफ्तरों के अधिकारियों से निवेदन किया गया है कि वे इस सम्बन्ध में सहयोग दें और उन प्लगों को बन्द करवा दें।

भारत-पाक सीमा

†*३४२. **श्री प्र० के० देव :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हाल्दर :

क्या प्रधान मंत्री १८ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५३४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कि भारत और पूर्व पाकिस्तान के बीच सीमा-निर्धारण के कार्य में क्या प्रगति हुई है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जी० मा० हजारिका)** : १८ अगस्त, १९६० को पिछली बार जब जवाब दिया गया था, उसके बाद कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है, क्योंकि वर्षा ऋतु में सीमा निर्धारण का कार्य बन्द रहा था। वह कार्य अभी हाल ही में पुनः प्रारम्भ किया गया है।

निर्यात संवर्धन

†*३४३. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री सैं० अ० मेहदी :
श्री प्र० गं० देव :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भविष्य में विदेशी साथों के साथ किये जाने वाले सभी सहकारिता समझौतों में एक स्पष्ट शर्त यह शामिल की जायेगी कि विदेशी सहयोगियों को भारतीय कम्पनियों के उत्पादन का कुछ निश्चित भाग का विपणन अपने देशों में करना पड़ेगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : सरकार ने इस संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं किया है, परन्तु सामान्यतया हम निर्यात के लिये अनुमति देने पर बल देते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

लोहे के स्पन पाइप बनाने की परियोजना

†*३४४. **श्री यादव नारायण जाधव :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री प्र० गं० देव :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दलाई लामा ने ढले हुए लोहे के स्पन पाइप बनाने का एक कारखाना स्थापित करने की एक प्रस्थापना भारत सरकार के पास भेजी है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रस्थापना को कार्यान्वित करने के लिये कोई कार्यवाही की है ; और

(घ) क्या यह सच है कि दलाई लामा ने यह आश्वासन मांगा है कि इस कारखाने में केवल तिब्बती शरणार्थियों को काम पर लगाया जायेगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह** : (क) से (घ). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

ढले हुए लोहे के स्पन पाइप बनाने के एक कारखाने की स्थापना के संबंध में दलाई लामा से कोई भी सुझाव नहीं प्राप्त हुआ है। पर हां, ३०००० टन प्रतिवर्ष ढले हुए लोहे के स्पन पाइपों तथा अन्य पुर्जों के निर्माण के लिये नई दिल्ली के श्री ग्यालो थोनडुप से "गोडे आयरन एंड स्टील कम्पनी, लिमिटेड" के नाम पर एक कारखाने की स्थापना के लिये उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन एक लाइसेंस के लिये एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है। वह उपक्रम बिहार राज्य के कोडरया में स्थापित करने का सुझाव है। उद्योग अधिनियम के अधीन उसके लिये लाइसेंस दे दिया गया है।

आवेदन कर्त्ता ने यह लिखा है कि संभव है कि इस के लिये आवश्यक राशि में से कुछ राशि दलाई लामा को भी दी जाय। यह भी बताया गया है कि उस उपक्रम में कुछ एक तिब्बती शरणार्थियों को रोजगार दिया जा सकेगा। इसलिये सरकार से यह आश्वासन मांगने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता कि उस परियोजना में केवल मात्र तिब्बती शरणार्थियों को ही रोजगार दिया जायेगा ।

दिल्ली में जमीन की बिक्री सम्बन्धी फाइल का खो जाना

†*३४५. **श्री हाल्दर** : क्या **निर्माण आवास और संभरण** मंत्री १२ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३७२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुम हो गई फाईल कर्म ब्योरा क्या है ;

(ख) क्या यह निश्चय कर लिया गया हैं कि इस फाइल के गुम हो जाने का उत्तरदायित्व किस व्यक्ति पर है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो इसके लिये उत्तरदायी व्यक्ति का नाम और पद क्या है ; और

(घ) उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) दिल्ली प्रशासन सचिवालय की इस खोयी हुई फाइल में किलोकरी की भूमि की बिक्री के संबंध में संबंधित पदाधिकारियों की सिफारिशें तथा दिल्ली के मुख्यायुक्त के आर्डर निहित थे ।

(ख) अभी नहीं ।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

चाय का उत्पादन

†*३४६. **श्री अरविंद घोषाल :**
श्री बि० दास गुप्त :

क्या वाणिज्य तजा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ग) क्या आसाम में इस वर्ष चाय का उत्पादन कम हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो आसाम में अभी हाल ही में हुए उपद्रवों का चाय के उत्पादन पर कोई असर पड़ा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). चालू वर्ष के प्रारम्भिक नौ महीनों में गत वर्ष की उसी अवधि की तुलना में आसाम में चाय के उत्पादन में लगभग ३८० लाख पौंड की कमी रही है । परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि आसाम के हाल के झगड़ों के कारण यह कमी हुई है । उसका मूल कारण यह था कि चालू मौसम के प्रारम्भिक महोनों में वहां वर्षा की बहुत कमी रही है ।

ऊनी कपड़े के मूल्य

*३४७. **श्री खुशवक्त राय** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऊनी कपड़ और बुनाई की ऊन के मूल्यों में इस वर्ष अप्रत्याशित वृद्धि हो गई है ;

(ख) गत वर्ष के मूल्यों की तुलना में इस वर्ष कितने प्रतिशत मूल्य बढ़े हैं ;

(ग) इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) बढ़ते हुए मूल्यों को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). जी हां । मूल्य सूचक-अंक जून, १९५९ में १०४.२ से बढ़कर जून, १९६० में ११०.१ हो गया है ।

(ग) और (घ). तटकर आयोग से सभी किस्म की बुनाई की ऊन और ऊनी कपड़े के मूल्यों की जांच करके रिपोर्ट देने के लिये कहा गया है । तटकर आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद ही कोई कार्रवाई की जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

रूस के साथ व्यापार समझौता

†*३४८. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत रूस के साथ एक तीन-वर्षीय व्यापार करार के संबंध में बातचीत समाप्त हो गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). भारत ने रूस के साथ पहले ही एक पंचवर्षीय व्यापार करार कर रखा है जो कि ३१–१२–६३ तक वैद्य है । हाल ही म उस बारे में चर्चा की गई है कि शेष तीन वर्षों में किन-किन वस्तुओं का आयात या निर्यात किया जाये । दोनों में आयात निर्यात के लिये उपलब्ध वस्तुओं की सूची व्यापार करार की अनुसूची क और ख में निहित है ।

भारत-पाक सीमा घटना

†*३४९. { श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री हाल्दर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर के प्रथम सप्ताह में अथवा इसके आस पास पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले के निकट भारतीय प्रदेश से पाकिस्तानियों द्वारा पशुओं को हांक कर ले जाये जाने की सीमा घटना के संबंध में पाकिस्तान सरकार से विरोध प्रकट किया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस घटना में पाकिस्तानी लुटेरों ने पूर्व पाकिस्तान राइफल्स की सहायता ली थी ; और

(ग) क्या सीमान्त चौकी की भारतीय पुलिस को उचित सहायता प्रदान की गयी थी ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका)** : (क) ९ अक्तूबर, १९६० को कूच बिहार के उपायुक्त ने रंगपुर के जिला मजिस्ट्रेट के पास एक विरोध पत्र भेजा था ।

(ख) जी, हां, हमारी जानकारी तो यह है कि पाकिस्तान राष्ट्रजनों ने उस आक्रमण में पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स के कर्मचारियों से भी सहायता ली थी ।

(ग) जी, हां । उसी समय कूच बिहार से सैनिक सहायता भेज दी गयी थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

चिटगांव में चन्द्रनाथ मंदिर

†*३५०. **श्री च० का० भट्टाचार्य :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि चिटगांव (पूर्व पाकिस्तान) का चन्द्रनाथ मन्दिर, जो हिन्दुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, मरम्मत न होने के कारण ध्वंस हो रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि यात्रा-प्रतिबन्धों के कारण भारत से वहां पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या घट गयी है ;

(ग) इस मन्दिर और उसके इर्द गिर्द के स्थान की उचित मरम्मत कराने के लिये क्या कदम उठाये जायेंगे ; और

(घ) क्या इस बात के लिये भी कदम उठाये जायेंगे कि यात्रा के इच्छुक व्यक्तियों को वहां जाने में कठिनाई न हो ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका) :** (क) हमारी अपनी जानकारी के अनुसार यह कथन गलत है ।

(ख) हमारे ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है जिसमें वहां जाने वाले यात्रियों को विसा देने से इन्कार कर दिया गया हो ।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

कच्चे माल की उपलब्धि

†*३५१. **श्री आचार :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नये उद्योगों के लिये उपलब्ध कच्चे माल का सर्वेक्षण कराने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो यह सर्वेक्षण किस के द्वारा करवाया जायेगा ; और

(ग) क्या यह सर्वेक्षण समूचे भारत में और उन सभी पदार्थों के बारे में किया जायेगा, जिन का उपयोग उद्योगों के लिये किया जा सकता है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (ग). योजना सम्बन्धी लक्ष्यों को निर्धारित करते समय औद्योगिक विकास के कार्यक्रमों तथा वर्तमान उद्योगों के लिये कच्ची सामग्री की आवश्यकता को सदा ध्यान में रखा जाता है । इसलिये कच्ची सामग्री के लिये कोई विशेष सर्वेक्षण करने की कोई आवश्यकता नहीं है । देश की औद्योगिक नीति का आधार यह है कि कच्ची सामग्री के स्वदेशी उत्पादन तथा औद्योगिक मशीनरी, पूंजीगत वस्तुओं और उपकरणों के निर्माण को अत्यधिक प्राथमिकता दी जाये ।

पश्चिम जर्मनी के साथ व्यापार

*३५२. **श्री ब्रजराज सिंह :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पश्चिम जर्मनी के बीच व्यापार में गत पांच वर्षों में सन्तोषजनक प्रगति नहीं हुई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ;

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) गत पांच वर्षों में दोनों देशों के बीच हुए आयात और निर्यात का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) पिछले पांच वर्षों में पश्चिमी जर्मनी से होने वाले आयात में तेजी से वृद्धि हुई है, लेकिन वहां के होने वाले हमारे निर्यात में कोई अधिक वृद्धि नहीं हुई है ।

(ख) पश्चिमी जर्मनी में आयात पर कुछ ऐसे प्रतिबन्ध लगे हुए हैं जो भुगतान सन्तुलन, अधिक तटकर तथा राजस्व शुल्क के आधार पर उचित नहीं हैं । इस के सिवा वहां कुछ योरोपीय देशों के साथ प्राथमिकतापूर्ण व्यवहार भी किया जाता है । इस सब का फल यह हुआ है कि अनेक प्रकार के भारतीय उत्पादनों को भेजने का क्षेत्र सीमित हो गया है ।

(ग) पश्चिमी जर्मनी के अधिकारियों और व्यापारी वर्गों को यह समझाने के प्रयत्न किये गये हैं कि भारत और जर्मनी के बीच व्यापारिक एवं आर्थिक सम्बन्ध बनाये रखने तथा उन्हें और भी बढ़ाने का दायित्व दोनों ही देशों पर रहेगा । वर्तमान दर पर जर्मनी से माल खरीदने की भारतीय सामर्थ्य उस की जर्मन बाजार में अपना माल बेच सकने की क्षमता पर ही निर्भर होगी ।

(घ) दो विवरण सभा की मेज पर रखे जाते हैं । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ८५]**

उड़ीसा में पटसन का कारखाना

†*३५३. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में पटसन का एक कारखाना खोलने की प्रस्थापना के बारे में उड़ीसा सरकार से अभी हाल ही में कुछ महीनों में विचार-विमर्श किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या वहां पर दूसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति से पहले पटसन का एक कारखाना खोलने की कोई सम्भावना है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) और (ख). उड़ीसा सरकार ने कुछ ही मास पहले एक पटसन मिल की स्थापना की अनुमति के सम्बन्ध में लिखा था । राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया था कि वर्तमान परिस्थितियों में जबकि इस उद्योग के वर्तमान कारखानों की भी वर्तमान क्षमता का पूरा पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है, उड़ीसा में एक नया कारखाना स्थापित करना संभव नहीं है । इस सम्बन्ध में केवल एक ही संभावना है और वह यह है कि वर्तमान अप्रयुक्त क्षमता को स्थानान्तरित कर दिया जाये परन्तु इस सम्बन्ध में भी कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

कर्मिक संघों के बारे में प्रशिक्षण

†३५४. **श्री कुन्हन** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार कोलम्बो योजना के अन्तर्गत कुछ उम्मीदवारों को कार्मिक संघों के बारे में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये ब्रिटेन भेज रही है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस पाठ्यक्रम के लिये उम्मीदवारों को चुनने की क्या शर्तें हैं ?

†श्रम उप मंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी, हां ।

(ख) ये कोर्स कार्मिक संघों के पदाधिकारियों के लिये है और राष्ट्रमण्डलीय तथा गैर-राष्ट्रमण्डलीय कोलम्बो योजना-देशों के लिये बीस बीस स्थान प्रस्तावित किये गये हैं ।

बम्बई में उर्वरक कारखाना

†*३५५. श्री अ० मु० तारिक :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ४ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में उर्वरक कारखाना स्थापित करने के बारे में समझौते पर हस्ताक्षर हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

संयुक्त राष्ट्र संघ के लिये भारतीय प्रतिनिधि मंडल

†*३५६. श्री श्रीनारायण दास :
श्री नरदेव स्नातक :
श्री प्र० गं० देव :
श्री सै० अ० मेहदी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री मो० ब० ठाकुर :
श्री रामशंकर लाल :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री हेम बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री ब्रजराज सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के १५वें अधिवेशन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने किन विषयों पर चर्चा उठाने के लिये पहल की है ; और

(ख) उन में से कितने विषयों को महासभा की कार्य-सूची में शामिल कर लिया गया है ?

†वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) महासभा के चालू सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने निम्नलिखित चार विषयों पर चर्चा चालू करने के सम्बन्ध में पहल की है :—

---

†मूल अंग्रेजी में

(१) नाभिकीय तथा ताप-नाभिकीय परीक्षणों को बन्द करना ।

(२) दक्षिणी अफ्रीका संघ में भारतीय उद्भव के व्यक्तियों से व्यवहार :

(३) अल्जीरिया का प्रश्न ।

(४) दक्षिणी अफ्रीकी संघ की सरकार की भेद-भाव सम्बन्धी नीतियों के परिणाम-स्वरूप उत्पन्न होने वाले जातीय संघर्ष का प्रश्न ।

(ख) उक्त चारों विषयों को विषय सूची में मद संख्या ६९, ७०, ७१ और ७२ के रूप में सम्मिलित कर लिया गया है ।

वस्त्र उद्योग मजदूरी बोर्ड की सिफारिशें

†*३५७. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री राजेन्द्र सिंह :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन् नायर :
श्री तंगामणि :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री कुन्हन :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वस्त्र उद्योग मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित करने की दिशा में और क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इन्हें कितनी कपड़ा मिलों में लागू किया जा चुका है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) सिफ़ारिशों की कार्यान्विति में कुछ और मिलें भी प्रारम्भ कर दी गई हैं ।

(ख) २७७ पूर्ण रूपेण और ६७ अंशत:

सिलाई की मशीनें बनाने के कारखाने

†*३५८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में सिलाई की मशीनों का निर्माण करने के कितने कारखानें हैं और उन की उत्पादन क्षमता कितनी है ; और

(ख) क्या सरकार समझती है कि सिलाई की मशीनें बनाने के कारखानों की संख्या में वृद्धि को रोकना आवश्यक है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री भनुभाई शाह)** : (क)

क्षेत्र	कारखानों की संख्या	वार्षिक क्षमता
बड़े पैमाने का क्षेत्र . .	८	२,१६,७००
छोटे पैमाने का क्षेत्र	४९	९९,०००

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

ग्राम्य रोजगार दफ्तर

†*३५९. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार रोजगार दिलाने वाले दफ्तरों द्वारा दी जाने वाले सहायता और सुविधाओं को सामुदायिक विकास खंडों के अन्तर्गत ग्राम्य क्षेत्रों में प्रदान करने की एक योजना पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस के कब क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) जी, हां ।

(ख) रोजगार सम्बन्धी जानकारी और सहायता ब्यूरो केवल कुछ एक सामुदायिक विकास खंडों में ही स्थापित किये जायेंगे । इन स्थानों से रोजगार संबंधी अवसरों के संबंध में जानकारी की जाया करेगी और यहां से उन जिलों में रोजगार चाहने तथा देने वालों में एक सम्पर्क रखा जायेगा ।

(ग) इससे चालू कर दिया गया है ।

उर्वरकों का उत्पादन

†*३६०. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अजित सिंह सरहदी :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री दामानी :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री १८ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५३० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उर्वरकों के उत्पादन सम्बन्धी प्रविधिक समिति ने इस बीच क्या प्रगति की है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र):** उस समिति ने उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट भेज दी है और इस समय वह मैसूर राज्य में उपयुक्त स्थान खोज रही है ।

दृष्टांक नियम

श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री अजित सिंह सरहदी :
†*३६१. **श्री सुबिमन घोष :**

श्री अरविंद घोषाल :
श्री प्र० गं० देव :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री च० का० भट्ट चार्य :
श्री राम गरीब :
श्री वोडयार :

क्या प्रधान मंत्री ९ अग त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दृष्टांक नियमों को ढीले करने के मामले में, जिस पर पाकिस्तान सरकार के साथ बातचीत की गई थी, क्या प्रगति हुई है ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां) : इस सम्बन्ध में और कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। पर ह,ां, पाकिस्तान सरकार ने अपनी ओर से भारत और पाकिस्तान में यात्रा के लिये कुछ एक नये विनियम घोषित किये गये हैं जिन के अधीन प्रतीत होता है कि यात्रा सम्बन्धी सुविधाओं को और अधिक बढ़ा दिया गया है। परन्तु फिर भी उस से कुछ सीमा तक पाकिस्तान से भारत आने की यात्रा पर कुछ प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं।

पश्चिम बंगाल में क्षय रोग चिकित्सालय

†*३६२. श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री अरविंद घोषाल :

क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में क्षय रोग के कुछ चिकित्सालय खोलने की एक प्रस्थापना पर भारत सरकार विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्थापना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

†पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८६]।

उड़ीसा में मध्यम आय वर्ग गृह-निर्माण योजना

†५०५. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्यम आय वर्ग गृह-निर्माण योजना के लिये उड़ीसा सरकार को अभी तक कितनी राशि दी गई है ;

(ख) राज्य सरकार द्वारा इस के लिये कितनी राशि मांगी गई थी ;

(ग) इस योजना के अधीन उड़ीसा में अभी तक कितने मकान बने हैं ; और

(घ) क्या यह सच है कि इस राज्य के अधिक आय प्राप्त अफसरों ने भी इस योजना के अधीन ऋण ले लिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री श्री (अनिल कु० चन्दा)** : (क) ११ लाख रुपये।

(ख) १५ लाख रुपये ।

(ग) १३ मकानों का निर्माण पूरा हो गया है और ७० मकानों का निर्माण कार्य जारी है।

(घ) राज्य सरकार द्वारा जिन व्यक्तियों को ये ऋण मंजूर किये गये हैं, उन में से कुछ व्यक्ति सरकारी कर्मचारी भी हैं, परन्तु उनकी आय इस योजना में निर्धारित सीमा, अर्थात् १२,००० रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं है।

पंजाब में उद्योग

†५०६ { **श्री दी० चं० शर्मा**
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ९ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ८९१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब के नये उद्योगों की स्थापना तथा विकास की गुंजाइश मालूम करने के कार्य में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली द्वारा किये गये प्रविधि, आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट को राज्य सरकार के परामर्श से अन्तिम रूप दिया जा रहा है। हां उद्योगों के लिये राज्य की तृतीय पंचवर्षीय योजना बनाते समय राज्य सरकार ने परिषद् द्वारा प्रारम्भिक आर्थिक रिपोर्ट तथा अन्य कई रिपोर्टों में की गई सिफारिशों को ध्यान में रखा है। गैर-सरकारी उद्योगपतियों को उस राज्य में नये उद्योगों की संभावनाओं के सम्बन्ध में विस्तृत आंकड़े संभरित करने के लिये प्रविधि-आर्थिक सर्वेक्षण तथा क्षेत्र सवक्षणों की उपपत्तियों का भी उपयोग किया जा रहा है।

पंजाब में हथकरघा उद्योग

†५०७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ से १९६० तक की अवधि में पंजाब में हथकरघा उद्योग की विवकास योजनाओं के लिए हथकरघा उपकर निधि से कितनी राशि मंजूर की गयी है ; और

(ख) उक्त अवधि में पंजाब सरकार द्वारा कितनी राशि खर्च की गयी है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) १९५५–६० में हथकरघा उद्योगों के विकास के लिए राज्य सरकार के लिए कुल २५,५८,९४७ रुपयों की राशि मंजूर की गयी थी, जिसमें से ७,०३,६२५ रुपये ऋण के रूप में और १६,५५,३२२ रुपये अनुदान के रूप में थे।

(ख) उक्त अवधि में पंजाब सरकार द्वारा कुल २८,३८,२१३ रुपये खर्च किये गये जिसमें से ६,८७,८३५ रुपये ऋण के रूप में और २१,५०,३७८ रुपये अनुदान के रूप में थे।

पंजाब में अल्प-आय वर्ग गृह-निर्माण योजना

†५०८. **श्री दी० चं० शर्मा**: क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में पंजाब के ग्राम्य क्षेत्रों में अल्प-आय वर्ग गृह-निर्माण योजना के अधीन पंजाब सरकार को कितना ऋण दिया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या पंजाब सरकार ने उस राशि का पूरा पूरा उपयोग किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसी कितनी राशि है जिसका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण-उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) से (ग). अल्प आय वर्ग गृह-निर्माण योजना के अधीन ग्राम्य अथवा शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग राशियां निर्धारित नहीं की जा जातीं । पंजाब के लिएं द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के लिये कुल ३२६.४५ लाख रुपये निर्धारित किये गये थे । योजना के पहले चार वर्षों में उसमें से २७४.७९ रुपये निकाले जा चुके हैं । इस योजना के अधीन १९६०–६१ के लिये ४४ लाख रुपये निर्धारित किये गये हैं । उसमें से ग्राम्य क्षेत्रों के लिए कितनी राशि खर्च की गयी है, यह जानकारी प्राप्त नहीं हुई है ।

क्रिकेट की गेंदें

†५०९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्रिकेटों की गेंदें भारत में तैयार की जाती हैं ;

(ख) यदि हां, तो कहां कहां पर ; और

(ग) क्या इससे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हो सकती है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) जी, हां ।

(ख) जालन्दर, मेरठ, दिल्ली, बटाला, पटियाला, आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद, जम्म, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और भोपाल ।

(ग) जी, हां ।

सीमेंट बनाने की मशीनें

†५१०. **श्री मुरारका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) १९५०–५१ में, कितने करोड़ रुपयों की कीमत की सीमेंट बनाने की मशीनों का निर्माण किया गया था ;

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना काल के लिये इस सम्बन्ध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उस अवधि में कितनी लक्ष्यपूर्ति हुई थी, कुल कितनी राशि निर्धारित की गयी थी और वास्तव में कितनी राशि खर्च की गयी थी ;

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के लिये कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है, अभी तक कितनी लक्ष्यपूर्ति हो चुकी है, कुल कितनी राशि निर्धारित की गयी थी और अभी तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ; और

(घ) लक्ष्यपूर्ति में यदि कोई कमी रह गयी है, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) १९५०-५१ में सीमेंट की मशीनों के उत्पादन के सम्बन्ध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) इस उद्योग को प्रथम पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं किया गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) और (घ). द्वितीय योजना काल में २ करोड़ रुपयों की सीमेंट की मशीनों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उस के लिये कोई विशेष राशि आवंटित नहीं की गई है। इस समय सीमेंट की मशीनों और उस के पुर्जों के निर्माण के लिये उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अधीन ६ फर्मों को पंजीबद्ध किया गया है या लाइसेंस दिये गये हैं। उन में से ३ फर्मों को प्रति वर्ष ४ करोड़ रुपयों की लागत की पूर्ण मशीनरी के निर्माण के लिये लाइसेंस दिये गये हैं। आशा है कि १९६२ के अन्त तक इन तीन कारखानों के पूर्ण उत्पादन कार्य के आरम्भ हो जाने पर उस सम्बन्ध में देश की पूर्ण मांग पूरी हो जायेगी। १९६०–६१ में इसकी अनुमानतः मांग ६५ लाख रुपयों की मशीनरी के उत्पादन की होगी। सीमेंट उद्योग में हाल ही में कुछ मन्दी आजाने के कारण इसकी मांग में कुछ कमी सी हो गयी है।

चीनी बनाने की मशीनें

†५११. **श्री मुरारका**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में यह बताया गया हो कि:

(क) १९५०–५१ में कुल कितने करोड़ रुपयों की चीनी बनाने की मशीनों का निर्माण हुआ था।

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में इस संबंध में कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था, कितनी लक्ष्यपूर्ति हुई थी, कुल कितनी राशि निर्धारित की गयी थी और वास्तव में कितनी राशि खर्च की गयी थी;

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में इस संबंध में कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है, अभी तक कितनी लक्ष्यपूर्ति हो चुकी है, कुल कितनी राशि निर्धारित की गयी है और अभी तक वास्तव में कितनी राशि खर्च की जा चुकी है; और

(घ) यदि लक्ष्यपूर्ति में कुछ कमी रह गयी है, तो उसके क्या कारण हैं;

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) १९५०–५१ के उत्पादन सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) यह उद्योग प्रथम पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं था।

(ग) और (घ). द्वितीय पंचवर्षीय योजना में २.५ करोड़ रुपयों की कीमत की मशीनें के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। यह लक्ष्य लगभग पूरा हो गया है। १९६० में अनुमानतः ३ से ४ करोड़ रुपयों की राशि की मशीनरी का उत्पादन हुआ है। इस उद्योग के लिये कोई विशेष राशि आवंटित नहीं की गयी है।

कागज बनाने की मशीनें

†५१२. **श्री मुरारका**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि:

(क) १९५०–५१ में कितने करोड़ रुपयों की कागज बनाने की मशीनें तैयार की गयी थी;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्र म पंचवर्षीय योजना काल में इस सम्बन्ध में कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था, कितनी लक्ष्यपूर्ति की गयी थी, कितनी राशि निर्धारित की गयी थी और वास्तव में कितनी राशि खर्च की गयी थी ;

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है, अभी तक कितनी लक्ष्यपूर्ति की जा चुकी है, कुल कितनी राशि निर्धारित की गयी है और अभी तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ; और

(घ) लक्ष्य पूर्ति में यदि कोई कमी रह गयी है तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) शून्य।

(ख) इसे प्रथम पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं किया गया था।

(ग) और (घ) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के लिये कागज बनाने की मशीनों की क्षमता तथा उत्पादन के लिये क्रमश: ४ करोड़ रुपये तथा १.३ करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं। इस के लिये उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अधीन प्रतिवर्ष ९.५ करोड़ रुपयों की कीमत के संयंत्रों और मशीनों के निर्माण के लिये १५ फर्मों को लाइसेन्स जारी किये गये हैं। आशा है कि १९६०–६१ में उत्पादन प्रारम्भ कर दिया जायेगा। इस उद्योग के लिये कोई वित्तिय आवंटन नहीं किया गया है ।

कृषि-यंत्र

†५१३. **श्री मुरारका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में यह बताया गया हो कि :

(क) १९५०–५१ में कितनी कीमत के कृषि यंत्रों का निर्माण किया गया था;

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में इस सम्बन्ध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उस अवधि में कितनी लक्ष्यपूर्ति हुई थी, उस के लिये कितनी राशि निर्धारित की गयी थी और वास्तव में कितनी राशि खर्च की गयी थी ;

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है, अभी तक कितना लक्ष्य पूरा हो गया है, कुल कितनी राशि निर्धारित की गयी थी और अभी तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ; और

(घ) यदि क्षति पूर्ति में कुछ भी कमी रह गई है तो उसके क्या कारण हैं ;

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) १९५०–५१ में कृषि यंत्र संबंधी उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) और (ग) पंचवर्षीय योजनाओं के अधीन इस उद्योग के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं और न ही इस के लिये कोई राशि निर्धारित की गयी है । फिर भी १९५६–५७, १९५७–५८ और १९५८–५९ में क्रमश: ०.३५ करोड़, ०.५३ करोड़ और ०.८२ करोड़ रुपयों की कीमत के यंत्रों का उत्पादन किया गया था।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मुद्रण–यंत्र

†५१४. **श्री मुरारका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में यह बताया गया हो कि :

(क) १९५०–५१ में मुद्रण यंत्रों का कितना उत्पादन किया गया था ;

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में इस संबंध में कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था, इस अवधि में कितनी लक्ष्यपूर्ति की गयी थी, इस के लिये कितनी राशि निर्धारित की गयी थी और वास्तव में कितनी राशि खर्च की गयी थी ;

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है । अब तक कितना लक्ष्य पूरा हो चुका है, कितनी राशि निर्धारित की गयी है और अब प तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ; और

(घ) लक्ष्य पूर्ति में यदि कोई कमी रह गयी है तो उसके क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) १९५०–५१ में उसका उत्पादन बहुत कम था ।

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह उद्योग सम्मिलित नहीं था ।

(ग) और (घ) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में २ करोड़ रुपयों की कीमत के यंत्रों के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । उस के लिये कोई राशि आवंटित नहीं की गयी है । सरकार द्वारा मुद्रण यंत्रों की आवश्यकता के बारे में एक सर्वेक्षण किया गया था और उसके परिणामस्वरूप उपयुक्त फर्मों से यह निवेदन किया गया है कि वे मुद्रण यंत्रों के निर्माण का कार्य प्रारंभ करें । सरकार ने यंत्रों के विभिन्न पुर्जों के निर्माण के बारे में चार योजनायें मंजूर करज दी हैं ; उन सभी कारखानों में काम प्रारम्भ हो जाने के बारे में यह ज्ञात हो सकेगा कि कितनी कीमत के यंत्र-पुर्जों का निर्माण किया जा रहा है ।

ढ़ांचों का निर्माण

†५१५. **श्री मुरारका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में यह बताया गया हो कि :

(क) १९५०–५१ में कुल कितने टन ढांचे बनाये गये ;

(ख) प्रथम पंच वर्षीय योजना काल में इस सम्बन्ध में कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था, इस अवधि में कितना लक्ष्य पूरा किया गया था, इस सम्बन्ध में कितनी राशि निर्धारित की गयी थी और वास्तव में कितनी राशि खर्च की गयी थी ;

(ग) द्वित्तीय पंचवर्षीय योजना काल में कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है, अब तक कितना लक्ष्य पूरा हो गया है, इस सम्बन्ध में कितनी राशि निर्धारित की गयी थी और अभी तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ;

(ख) लक्ष्यपूर्ति में यदि कोई कमी रह गयी है, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) १९५०–५१ के उत्पादन सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) यह उद्योग प्रथम पचवर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) और (घ) १९६०-६१ के लिये ४.५ लाख टन इस्पात के ढांचों के लिये लक्ष्य निर्धारित किया गया है, आशा है कि उत्पादन लक्ष्य से भी बढ़ जायेगा : इस के लिये कोई राशि निर्धारित नहीं की गयी है ।

दिल्ली में राज्य व्यापार निगम के कार्यालय के लिये स्थान

†५१६. **श्री कुन्हन :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम के कार्यालय के लिए नई दिल्ली में मथुरा रोड पर स्थित 'एक्सप्रेस बिल्डिंग' में किराये पर जगह ले ली गयी है ;

(ख) यदि हां, तो किराये पर कितनी जगह ली गयी है ;

(ग) इस जगह का मासिक किराया कितना है ;

(घ) यह जगह कितनी अवधि के लिए ली गयी है ; और

(ङ) क्या यह किराया 'स्टैन्डर्ड' किराया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) जी हां ।

(ख) ७३,९०० वर्ग फुट ।

(ग) ४४,३४० रु० प्रति मास ।

(घ) ३ वर्ष ।

(ङ) दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम की धारा ६ (ख) (२) ( ) के अनुसार ९-६-१९५५ को अथवा उस के पश्चात् निर्मित इमारतों का स्टैन्डर्ड किराया वही होगा जो मकान को पहली बार ५ वर्षों के लिए किराये पर दिये जाने के समय मालिक-मकान और किरायेदार के बीच तय किया जायेगा ।

"धरती की झंकार" नामक चलचित्र

†५१७. **श्री न० म० देव :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि "धरती की झंकार" नामक चलचित्र में से "चाऊ नृत्य" को, जो उड़ीसा के सर्वोत्तम नृत्यों में से एक है, निकालने का क्या कारण है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** यह जरूरी था कि "धरती की झंकार" नामक चलचित्र की लम्बाई आवश्यकता से अधिक न हो, अतः देश के सभी प्रदेशों के सभी लोक-नृत्यों को शामिल करना संभव नहीं था । नृत्यों का चयन, फिल्मों सम्बन्धी विभिन्न बातों को ध्यान में रखते हुए, अखिल भारतीय स्तर पर किया गया था ।

मोटर-गाड़ियों की बैटरियां

†५१८. **श्री जीनचन्द्रन :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मोटर गाड़ियों की बैटरियों की वर्तमान मांग कितनी है और इस में से कितनी मांग की पूर्ति आयात द्वारा की जाती है और कितनी देश में निर्मित बैटरियों द्वारा ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या भारत में निर्मित किन्हीं बैटरियों का निर्यात किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो कितना ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) हल्के विद्युत् उद्योगों सम्बन्धी विकास परिषद् के अनुमान के अनुसार १९६०–६१ में मोटर गाड़ियों के लिये ६,००,००० बैटरियों की आवश्यकता पड़ेगी। मोटर गाड़ियों की बैटरियों का आयात पिछले कई वर्षों से बन्द है। विकास शाखा की सूची में उल्लिखित निर्माताओं द्वारा १९५९ में और जनवरी-सितम्बर, १९६० में क्रमशः ३,५४,५३६ और ३,०६,२०० बैटरियां बनायी गयीं।

(ख) जी हां।

(ग) वर्ष १९५९ में और जनवरी से अगस्त, १९६० तक की अवधि में क्रमशः १६५५ और ३५० स्टोरेज बैटरियों का निर्यात किया गया, जिनका मूल्य क्रमशः ९२४८७ रु० और ४९,१०० रु० था।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का कार्यभारित कर्मचारी वर्ग

†५१९. **श्री तंगामणि** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २८ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २८४६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्य-सहायक और जीप चालक (वर्क असिस्टेंट एण्ड जीप ड्राइवर) के पद कार्य-भारित कर्मचारी वर्ग के अ तर्गत आते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन पदों का ऐसा कौन सा विशेष कार्य है, जिस के कारण इन पृथक्कृत पदों की रचना की आवश्यकता पड़ी ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी :)** (क) जी हां।

(ख) नियमित और कार्य-भारित दोनों कर्मचारी वर्गों के कार्य-सहायकों (वर्क-असिस्टेंट्स) का काम एक सा ही है। काफी लम्बे समय से, ये पद इन दोनों कर्मचारी वर्गों पर चले आ रहे हैं। नियमित तथा कार्य-भारित कर्मचारी वर्ग के सभी कार्य-सहायकों को एक ही प्रतिष्ठान सेवि वर्ग के अधीन लाने के प्रश्न की जांच की जा रही है।

नियमित तथा कार्य-भारित कर्मचारी वर्गों के जीप-चालकों का काम भी एक जैसा है। इन पदों की रचना नियमित कर्मचारी वर्ग के अन्तर्गत तब की जाती है, जब कि जीपों को लम्बे समय के लिये सामान्य कार्यों के लिए लगाया जाये जैसे चलते फिरते मैडिकल एककों और ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में, जहां पर यातायात का कोई और साधन उपलब्ध न हो, पदाधिकारियों को लाने ले जाने के कामों के लिए। जब जीपों को किसी विशेष काम के लिये उपयोग में लाना हो, जैसे मनुष्यों, उपकरणों और संयंत्रों आदि का परिवहन, तब इन जीपों के चालकों को कार्य-भारित प्रतिष्ठान के अन्तर्गत भर्ती किया जाता है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के समन्वय अधिकारी[1]

†५२०. **श्री तंगामणि** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २८ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २८४५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के विभिन्न खंडों (जोन) में इन कामों के लिए समन्वय अधिकारी कौन हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Coordinating Officers.

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : ताल मेल अधिकारी निम्नलिखित हैं :—

समन्वय अधिकारी

१. **उत्तरी जोन** : अधीक्षक इंजीनियर, तृतीय मंडल (सर्कल), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (तालमेल), **नई दिल्ली** ।

२. **दक्षिणी जोन** : अधीक्षक इंजीनियर, बम्बई केन्द्रीय मंडल (तालमेल), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, **बम्बई** ।।

३. **पूर्वी जोन** : अधीक्षक इंजीनियर, कलकत्ता केन्द्रीय मंडल संख्या ३ (ताल मेल), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, **कलकत्ता** ।

अनाधिकृत करघों का सर्वेक्षण

†५२१. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ४ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २६२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बिजली से चलने वाले अनधिकृत करघों के, जिन पर सूती और कृत्रिम रेशमी कपड़ा बनाया जा रहा है, सवक्षण के सम्बन्ध में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : विभिन्न राज्यों में सूती और दूसरी किस्म का कपड़ा बनाने वाले, बिजली से चलने वाले अनधिकृत करघों की संख्या का संलग्न विवरण [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८७**] में दी गयी है ।

महाराष्ट्र में रेशम उद्योग

†५२२. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेशम बोर्ड ने महाराष्ट्र में रेशम उद्योग का आर्थिक और सांख्यकीय सर्वेक्षण प्रारम्भ किया है ; और

(ख) क्या किसी अन्य राज्य में यह सर्वेक्षण किया गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) जी नहीं ।

(ख) केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने अभी किसी राज्य में इस प्रकार का सर्वेक्षण शुरू नहीं किया ।

घड़ियों का निर्माण

†५२३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ४६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में घड़ियों के निर्माण की अन्य योजनाओं को इस बीच अन्तिम रूप दिया गाया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनका क्या ब्योरा है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख) जी नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत में पाकिस्तानी राष्ट्रजन

†५२४. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अगस्त, १९६० से ३१ अक्तूबर, १९६० तक की अवधि में पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान से कितने कितने पाकिस्तानी राष्ट्रजन भारत आये ; और

(ख) इसी अवधि में कितने भारतीय पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान गये ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) १ अगस्त, १९६० से ३० सितम्बर, १९६० तक की अवधि में ३३,३१२ पाकिस्तानी पश्चिमी पाकिस्तान से और ५३,०३७ पाकिस्तानी पूर्वी पाकिस्तान से भारत आये ।

(ख) इस अवधि में १३,९१२ भारतीय पश्चिम पाकिस्तान गये और २२,६९६ भारतीय पूर्वी पाकिस्तान गये ।

नोट :—इसमें महाराष्ट्र, गुजरात और आसाम संबंधी जानकारी शामिल नहीं है ।

भारत-पाक सीमा घटनायें

†५२५. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री सुगन्धि :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर, १९६० में भारत-पाकिस्तान सीमा पर हुई घटनाओं का ब्योरा क्या है ;

(ख) इनके परिणामस्वरूप जीवन और सम्पत्ति की कितनी हानि हुई ; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : राज्य सरकारों को इन घटनाओं और नसे होने वाली जान और माल की हानि के बारे में जानकारी देने का अनुरोध किया है । उनके जवाब की प्रतीक्षा की जा रही है ।

काफी का निर्यात

†५२६. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९ में काफी का कितना निर्यात किया गया ;

(ख) इससे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ;

(ग) १९५९ में कुल कितना उत्पादन होने का अनमान है ;

(घ) १९५९ में भारतीय फर्मों ने कितने प्रतिशत काफी निर्यात की ; और

(ङ) उपरोक्त अवधि में भारतीयों तथा गैर-भारतीयों द्वारा ब्रिटिश विनिमय बैंकों के माध्यम से कितने प्रतिशत निर्यात किया ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) १४,६६२ मीट्रिक टन (इसमें कच्ची, भुनी हुई और पिसी हुई काफी भी शामिल है) ।

(ख) ६२५.१७ लाख रु० ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) १९५८–५९ वर्ष की फसल की अवधि में ४६,६०५ मीट्रिक टन (उत्पादन के आंकड़े केवल फसल वर्ष के—अगस्त से जुलाई—आधार पर उपलब्ध हैं)।

(घ) १९५९ में भारतीय फर्मों द्वारा किये गये निर्यात के प्रतिशत के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ङ) अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं है।

पंजीकृत शिक्षित बेरोजगार

†५२७. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोजगार दफ्तरों के चालू रजिस्टर में वर्ष १९६० में ३१ अक्तूबर, १९६० को अंकित बेरोजगार व्यक्तियों में मैट्रिक, इंटरमीडियेट और बी० ए० पास लोगों की संख्या कितनी थी ; और

(ख) इनमें से प्रत्येक वर्ग के कितने व्यक्तियों को रोजगार दिलाया गया ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली):** (क) ३० सितम्बर, १९६० को चालू रजिस्टर में दर्ज लोगों की संख्या नीचे दी जा रही है। ३१ अक्तूबर, १९६० के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि आंकड़े हर तीन मास के पश्चात् इकट्ठे किये जाते हैं—

मैट्रिक पास	४,०२,९७०
इंटरमीडियेट पास	५९,३८६
बी० ए० पास	४८,८९८
जोड़	५,११,२५४

(ख) जनवरी से सितम्बर, १९६० तक की अवधि में निम्नलिखित लोगों को रोजगार दिलाया गया :—

मैट्रिक पास	५६,६२४
इंटरमीडियेट	७,३५३
बी० ए० पास	९,७८९
जोड़	७३,७६६

हिमाचल प्रदेश में खादी का उत्पादन

†५२८. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में १९५९–६० और १९६०–६१ में अब तक प्रतिमास खादी का कितना उत्पादन हुआ ; और

(ख) १९६०–६१ में खादी के उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

पंजाब में निष्क्रांत इमारतें

†५२९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब में विस्थापित व्यक्तियों को उनके दावों पर कितनी निष्क्रांत इमारतें दी गयी हैं ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : विस्थापित व्यक्तियों को ३ अगस्त, १९६०, तक उनके दावों पर ७६,५१३ निष्क्रांत इमारतें बेची गयीं अथवा अलाट की गयीं।

कानपुर की गन्दी बस्तियों को हटाने की योजना

†५३०. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर की गन्दी बस्तियों को हटाने की योजना के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को १९५९–६० और १९६०–६१ के लिये निर्धारित धन-राशि अदा कर दी गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी रकम दी गयी है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) केन्द्र द्वारा इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार के लिये निर्धारित धनराशि में से, राज्य सरकार इन शहरों की स्वीकृत परियोजनाओं और उन पर किये गये व्यय के लिये धनराशि का आवंटन स्वयं करती है।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार से यह विदित हुआ है कि १९५९–६० में कानपुर की गन्दी बस्तियों को हटाने की योजना के लिये ४५,२०,६२५ रु० दिया गया। चालू वर्ष में इन स्वीकृत परियोजनाओं की आवश्यकता के अनुसार रकम प्रदान की जायेगी।

संसद्-भवन के लान

†५३१. **श्री अ० मु० तारिक** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २०१४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या संसद भवन के लॉनों में पुनः घास लगवाने के लिये टेंडर मांगे गये थे ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : जी नहीं। अधिकांश काम विभागीय तौर पर किया गया था और कुछ कार्य व्यादेश (वर्क आर्डर) आधार पर करवाया गया था ।

संसद्-भवन के केन्द्रीय हाल की मरम्मत

†५३२. **श्री अ० मु० तारिक** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २०१३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि संसद् भवनक्या के केन्द्रीय हाल की मरम्मत और पुनर्सज्जा के लिये टेंडर मांगे गये थे ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : जी नहीं। यह काम एक उस फर्म को बातचीत द्वारा सौंपा गया था, जो इस प्रकार के कामों में सिद्धहस्त है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अखिल भारतीय श्रमजीवी वर्ग परिवार आयव्ययक सर्वेक्षण

†५३३. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **श्रम तथा रोजगार** मंत्री २२ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १२२३ के **उत्तर** के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय श्रमजीवी वर्ग परिवार आयव्ययक सवक्षण के सिलसिले में क्षेत्र-कर्म **एक** वर्ष पहले समाप्त हो गया था ;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप एकत्र सामग्री को क्रमबद्ध किया जा रहा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इतनी देर के क्या कारण हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) एकत्र सामग्री की सारणियां बनाने का अधिकांश कार्य भारतीय सांख्यकीय संस्था, कलकत्ता द्वारा किया जा रहा है । इस कार्य के लिये लगभग २१,४०० अनुसूचियों को क्रमबद्ध करना तथा उनका विश्लेषण करना पड़ेगा । भारतीय सांख्यकीय संस्था का अनुमान है कि सितम्बर, १९६१ तक सारणीबद्ध सामग्री तैयार हो जायेगी ।

कृत्रिम रबड़ संयंत्र, बरेली

†५३४. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १९ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५३३ के **उत्तर** के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बरेली (उत्तर प्रदेश) में कृत्रिम रबड़ संयंत्र की स्थापना के सिलसिले में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैसर्स सिन्थैटिक एंड कैमिकल्स लिमिटेड, बम्बई, ने जो बरेली (उत्तर प्रदेश) में कृत्रिम रबड़ संयंत्र की स्थापना कर रहे हैं, परियोजना के लिये आवश्यक भूमि प्राप्त कर ली है । भार-सहन संबंधी परीक्षणों और नलकूपों की खुदाई का काम हाथ में लिया गया है । इंजीनियरिंग और डीजाइन बनाने का काम चल रहा है । परियोजना के लिये जरूरी मशीनों को देश में से और विदेशों से प्राप्त करने के लिये यथोचित कदम उठाये गये हैं । संयंत्र के नजदीक रेलवे साइडिंग बनाने का काम शुरू किया जा रहा है । परियोजना के लिये मद्यसार, पानी, बिजली आदि का प्रबन्ध किया जा रहा है । इस बात के लिये पूरी कोशिश की जा रही है कि इस संयंत्र में कार्यक्रम के अनुसार १९६२ में उत्पादन शुरू हो जाये ।

चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के क्वार्टर

†५३५. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री १८ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७५३ के उत्तर के संबध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली और नई दिल्ली में चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के क्वार्टरों में पानी, बिजली और सफाई संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था करने के संबंध में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : जैसा कि पहले प्रश्न के उत्तर में बताया गया था, चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के क्वार्टरों में पानी और सफाई की सुविधायें पहले से ही उपलब्ध हैं। अधिकांश क्वार्टरों में बिजली भी लगी हुई है। उन क्वार्टरों को छोड़ कर, जिन्हें निकट भविष्य में गिराया जाना है, शेष क्वार्टरों में बिजली लगाने की मंजरी दी जा चुकी है और इस कार्य को शीघ्र ही हाथ में लिया जायेगा।

केरल में हथकरघा कर्मचारी

†५३६. **श्री कुन्हन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंच वर्षीय योजना की अवधि में केरल में हथकरघा कर्मचारियों के लिये आवास-स्थान की व्यवस्था करने के लिये कितनी धन राशि निर्धारित की गयी है ;

(ख) अब तक इसमें से कितनी रकम का उपयोग किया गया है ; और

(ग) कितने मकान बनाने का लक्ष्य था और कितने बनाये जा चके हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री काननगो)** : (क) दूसरी पंच वर्षीय योजना की अवधि में केरल राज्य के बुनकरों के लिये बस्तियों का निर्माण करने के लिये ५,१६,८०० रु० की मंजरी दी गयी थी।

(ख) अब तक २,४०,०७७.८६ रु० व्यय किये जा चुके हैं।

(ग) १६८ मकान बनाने का विचार था और अब तक १०० मकान बनाये जा चुके हैं।

भारत-पाकिस्तान सीमा

†५३७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** ९ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २४६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व पाकिस्तान और आसाम की सीमा के संबंध में भारत-पाक सीमा करार के क्षेत्र नियमों (ग्राउन्ड रूल्स) की क्रियान्विति में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवहार लाल नेहरू)** : आसाम-पूर्व पाकिस्तान सीमा के क्षेत्र नियमों के परिपालन के बारे में, अगस्त, १९६० से अब तक हुई प्रगति की जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८८]**। प्रगति सन्तोषजनक रही है।

दूसरी पंच वर्षीय योजना और उड़ीसा

†५३८. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंच वर्षीय योजना की सम्पूर्ण अवधि के लिये उड़ीसा के लिये जो ९९.९९ करोड़ रुपया मूलतः निर्धारित किया गया था, उसमें से राज्य सरकार द्वारा कितनी रकम खर्च की गयी है ;

(ख) क्या उड़ीसा में योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले व्यय में कुछ कमी की जायेगी ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या दूसरी पंच वर्षीय योजना के लिये निर्धारित रकम में से जो धन राशि शेष बच जायेगी, वह उड़ीसा सरकार को तीसरी योजना की अवधि में खर्च करने के लिये दे दी जायेगी ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) और (ख). १९५६–६० में कुल ६६.६ करोड़ रुपया व्यय किया गया ।

(ग) जारी परियोजनाओं से बची हुई रकम को राज्य की तीसरी पंच वर्षीय योजना में आवश्यकता के अनुसार मात्रा में शामिल किया गया है ।

दमूआ कोयला-खान

†५३९. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **श्रम तथा रोजगार** मंत्री १८ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५१७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दमूआ कोयला खान के मैनेजर के आचरण के संबंध में जांच करने के लिये, विनियमों के अन्तर्गत नियुक्त जांच न्यायालय ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य आपत्तियां क्या हैं ; और

(ग) सरकार का इन उपपत्तियों के संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

खनिकों के लिये जूत

†५४०. **श्री त० ब० विट्ठल राव**: क्या **श्रम तथा रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १०० रु० से कम मासिक वेतन लेने वाले खनिकों को जूते प्रदान करने के संबंध में, कोयला खनन संबंधी औद्योगिक समिति के सातवें अधिवेशन के निश्चय को कहां तक क्रियान्वित किया गया है ; और

(ख) सरकार का इस बारे में आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) और (ख). खनिक जूता समिति की सिफारिश के अनुसार इस बीच केन्द्रीय क्रय समिति का गठन किया जा चुका है और ८ नवम्बर, १९६० को इसकी पहली बैठक हुई थी । केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध व्यवस्था के अधिकारियों को भी यह हिदायत दी गयी है कि वे मरम्मत शालाओं के संधारण के सम्बन्ध में कोयला खनन सम्बन्धी औद्योगिक समिति के निश्चयों को कार्यान्वित करने और खनिक जूता समिति की मुख्य सिफारिशों का प्रचार करने के बारे में हुई प्रगति पर नजर रखें और इसकी रिपोर्ट पेश करें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

ऐंटीबाग्रोटिक्स बनाने के कारखाने

†५४१. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन् नायर :
श्री दी० च० शर्मा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दो ऐंटीबाग्रोटिक्स बनाने के कारखाने के लिये दो अमरीकी फर्मों को लाइसेंस दिये हैं ;

(ख) क्या उन संयंत्रों को अमरीका से अर्ध तैयार उत्पाद आयात करने की अनुमति दी जाएगी ; और

(ग) लाइसेंस के साथ उत्पादन और वितरण की क्या शर्तें लगाई गई हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, हां ।

(ख) योजनाओं में मूल प्रक्रम से ऐंटीबाग्रोटिक्स बनाने का विचार है न कि अर्ध-तैयार उत्पादों का आयात करने का ।

(ग) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत दिये गये लाइसेंस के साथ जो सामान्यतया शर्तें लगाई जाती हैं, वे ही हमेशा लगाई जाती हैं ।

सुपारी का आयात

†५४२. **श्री वारियर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९-६० में भारत में, देशवार कितनी सुपारी का आयात किया गया ; और

(ख) घरेलू उत्पादन के मूल्य स्तर पर आयात का क्या परिणाम हुआ है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) १९५९-६० में देश में विदेश से मंगवाई गई सुपारी की देशवार मात्रा नीचे दी जाती है :—

	साबुत	टुकड़े
लंका	७,४८४ हंडरवेट	२५,७१५ हंडरवेट
सिंगापुर	६६३ हंडरवेट	६२,६४७ हंडरवेट
मलाया	८१,३७५ हंडरवेट	१,०१,३५० हंडरवेट
अन्य देश	—	८७ हंडरवेट
	८९,५२२ हंडरवेट	१,८९,७९९ हंडरवेट

(ख) सीमित मात्रा के आयात का घरेलू उत्पादन के मूल्य स्तर पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं हुआ ।

†मूल अंग्रेजी में

विदेशों में प्रदर्शन-कक्ष

†५४३. **श्री वारियर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय विदेशों में कितने भारतीय प्रदर्शन-कक्ष खुले हुए हैं ;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में अब तक उन प्रदर्शन-कक्षों में कितनी बिक्री हुई ;

(ग) क्या और अधिक प्रदर्शन-कक्ष खोले जा रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो कहां और कब ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) १४ ।

(ख) प्रदर्शन-कक्ष केवल वाणिज्यिक दृश्य प्रचार[1] के लिये होते हैं । वे एम्पोरियम की तरह नहीं होते । समय समय पर, वाणिज्यिक मूल्य के नमूने बेचे जाते हैं । ऐसी बिक्री के आंकड़ों का विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध सख्या ८६]।**

(ग) तथा (घ). १९६०–६१ में निम्न स्थानों पर तीन और प्रदर्शन-गृह खोलने का फैसला किया गया है ।

(१) बेरुत (लैबनान)
(२) नैरोबी (ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका)
(३) बहरीन ।

आद्यरूप उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, ओखला

†५४४. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओखला में आद्यरूप उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ; और

(ख) क्या पश्चिमी जर्मनी द्वारा दी गई मशीनरी लगा दी गई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). होस्टल और कैंटीन के अतिरिक्त पूरी इमारत की इस वर्ष के अन्त तक तैयार होने की आशा है । इस समय में मशीनरी और उपकरण भी लगा दिया जाएगा ।

राजकोट प्रशिक्षण केन्द्र

†५४५. **श्री रा० चं० माझी :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजकोट प्रशिक्षण केन्द्र आरंभ कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने आभ्यर्थी दाखिल किये गये हैं ; और

(ग) अब तक इस केन्द्र के लिये कितनी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Visual Publicity.

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) ११८।

(ग) अक्तूबर १९६० तक संयुक्त राज्य अमरीका के प्रविधिक सरकार मिशन से प्राप्त मशीनरी और उपकरण की लागत ३९५,४२३.१४ डालर (लगभग १९,२५,७११ रुपये) है। प्रविधिक सहकार मिशन द्वारा दिये जाने वाले सात प्रविधिक विशेषज्ञों में से तीन आ चुके हैं।

आद्यरूप उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, हावड़ा और गिंडी

†५४६. **श्री रा० चं० माझी :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हावड़ा और गिंडी में आद्यरूप उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : विवरण संलग्न है।

विवरण

एक भारत-जापानी आद्यरूप उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्र जापानी सरकार के सहयोग से हावड़ा में स्थापित किया जा रहा है। जापान सरकार मशीनरी और उपकरण तथा पढ़ाने वाले और प्रविधिक कर्मचारी दे रही है। केन्द्र स्थापित करन के बारे में इस प्रकार प्रगति हुई है :—

(क) केन्द्र का निर्देशक नियुक्त कर दिया गया है और दफ्तर ८-८-६० से काम कर रहा है।

(ख) केन्द्र के लिये भूमि का कब्जा लिया गया है। इमारत के लिये टेंडर मंगवाये गये है और मुख्य वर्कशाप का निर्माण १-१०-६१ तक पूरा हो जाएगा।

(ग) नवंबर १९६० के अन्त तक जापान के मशीनरी का पहला जहाज पहुंचने की संभावना है।

(घ) केन्द्र के प्रशिक्षण कार्यक्रम का अप्रैल, १९६१ से आरम्भ होने की संभावना है, जब कि इमारत का कुछ भाग तैयार हो जाएगा।

गिंडी केन्द्र

इस केन्द्र के ब्यौरा सम्बन्धी बातचीत अभी चल रही है। इस सिलसिले में एक फ्रांसीसी प्रतिनिधि मंडल भारत में आया हुआ है।

---

†मूल अंग्रेजी म

सरकारी मुद्रणालयों में प्रोत्साहन बोनस योजना

†५४७. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री ४ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १४५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रयोगात्मक आधार पर भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली में प्रोत्साहन बोनस योजना किस तिथि से लागू की गई थी ; और

(ख) यह कैसे चल रही है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** (क) १ दिसम्बर, १९५८ से ।

(ख) प्रोत्साहन बोनस योजना के प्रयोगात्मक संचालन का मूल उद्देश्य यह था कि कर्मचारियों को प्रेस की उत्पादक शाखाओं में किये जाने वाले विभिन्न कामों के उत्पादन के स्तरों का बोध कराया जा सके । यद्यपि योजना में कम उत्पादन के लिये कटौती का उपबंध है, अभी तक कोई कटौती नहीं की गई है ताकि काम करने वालों को निर्धारित उत्पादन के तत्व से अवगत होने के लिये पर्याप्त समय मिल जाए । १ दिसम्बर, १९६० से कटौती लागू करने का विचार किया गया है और उसके पश्चात् ही परिणाम को अच्छी तरह आंका जा सकता है ।

उद्योगों में दुर्घटनायें

†५४८. **श्री रामजी वर्मा :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उद्योगों में दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ रही है ;

(ख) यदि हां, तो १९५८, १९५९ और १९६० में अब तक कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं ; और

(ग) मशीनरी के कुप्रबंध तथा बुरी व्यवस्था रखने के लिये कितने उद्योगों के मैनेजरों को दंड दिया गया है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली):** (क) और (ख). १९५९ और १९६० में हुई दुर्घटनाओं के पूरे आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं । इसलिये यह कहना संभव नहीं है कि क्या दुर्घटनाएं वृद्धि पर हैं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ)

१९५८	३९३*
१९५९	४१९*
१९६० (३०-९-६० तक)	१८९*

(*सूचना केवल १३ राज्यों और केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों के बारे में है)

---

†मूल अंग्रेजी में

‡Incentive Bonus Scheme.

रोजगार दफ्तरों में पंजीबद्ध व्यक्ति

५५०. श्री अनिरुद्ध सिंह :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में राज्यानुसार कितने रोजगार चाहने वाले शिक्षित और अशिक्षित व्यक्ति थे जिन्होंने अपने नाम रोजगार दफ्तरों में दर्ज करवा रखे थे ;

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से ३० जून, १९६० तक की अवधि में राज्यानुसार कितने शिक्षित और अशिक्षित व्यक्तियों को काम दिलाया गया ; और

(ग) क्या सरकार ने उन शिक्षित और अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या का अनुमान लगाया है जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में बेरोजगार रहेंगे ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) और (ख). जानकारी संलग्न है । **[देखिए परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९०]**

हथकरघे का कपड़ा

†५५१. **श्री कालिका सिंह** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन २ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने हथकरघा कपड़े के बारे में गुण-प्रकार चिन्हन योजना जारी की है ;

(ख) १९५७–५८, १९५८–५९ और १९५९–६० में उपरोक्त राज्य क्षेत्रों में कितने और कितनी मूल्य के हथकरघा कपड़े के गुण-प्रकार का चिन्हन किया गया ;

(ग) क्या इस योजना के परिणामस्वरूप विदेशी बाजारों में कपड़े की अधिक बिक्री हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो बिक्री में कितनी प्रगामी वृद्धि है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) उपकर निधि की सहायता के साथ हथकरघा कपड़े के निरीक्षण तथा चिन्हन की योजना निम्न राज्यों में कार्यान्वित की गई है :—

आंध्र प्रदेश, बिहार, बम्बई, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ।

(ख) १९५७–५८ और १९५८–५९ में उपरोक्त राज्यों में किये गये हथकरघा कपड़े के गुण-प्रकार के चिन्हन की मात्रा और मूल्य के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। १९५९–६०

†मूल अंग्रेजी में

में हथकरघा कपड़े के गुण-प्रकार चिन्हन की मात्रा के आंकड़े, जो राज्य सरकारों द्वारा दिये गये हैं, नीचे दिये जाते हैं :—

राज्य	१९५९-६० में निरीक्षण किये गये तथा चिन्हित किये गये कपड़े की मात्रा
बम्बई . . .	२८४ हजार गज
केरल .	५४६ हजार गज
मध्य प्रदेश .	२९५ (९ महीनों में)
मद्रास .	६३३
राजस्थान	३६३ (३ महीनों में)
उड़ीसा .	७७० (९ महीनों में)
उत्तर प्रदेश . .	२३४५
पश्चिम बंगाल	८८१

(उपरोक्त माल का मूल्य विदित नहीं है)

(ग) योजना का उद्देश्य यह है कि घरेलू उपभोग के लिये स्टैंडर्ड माल तैयार किया जाएगा ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

राष्ट्रमंडल तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता

†५५२. **श्री कालिका सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० में राष्ट्रमंडल और संयुक्त राष्ट्र संघ में किन किन देशों को सदस्यता प्राप्त हुई है ;

(ख) क्या उनके संविधान के अनुसार, राष्ट्रमंडल के नये सदस्य देशों के पास ब्रिटेन के समान पूरी और स्वायत्तशासी समानता है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या कमी है और उसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रविष्ट हुए अफ्रीका के नये सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के अनुच्छेद २ के अनुसार पूरी स्वायत्तशासन और स्वाधीनता प्राप्त हो हो गई है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या भारत ने यह प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) १९६० में नाइजीरिया राष्ट्रमंडल और संयुक्त राष्ट्र संघ दोनों का सदस्य बनाया गया है और निम्न १६ देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने हैं :

(१) साइप्रस, (२) कैमरून, (३) टोगोलैंड, (४) मालागासी गणतंत्र, (५) नाइजर, (६) अपर वोल्टा, (७) कांगो (ब्राजाविल्ले), (८) कांगो

†मूल अंग्रेजी में

(लिपोल्डविल्ले), (९) चड्, (१०) सोमालिया, (११) आइवरी कोस्ट, (१२) सैंट्रल अफरीकन गणतंत्र, (१३) गैवन, (१४) दाहोमे, (१५) माली गणतंत्र तथा (१६) सेनेगल ।

(ख) जी, हां ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

ट्रैक्टरों का निर्माण

†५५३. **श्री कालिका सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डैविड ब्राउन/महेन्द्रा ट्रैक्टर प्राइवेट लिमिटेड बम्बई द्वारा किस प्रकार के ट्रैक्टर बनाये जाते हैं ;

(ख) फैक्टरी की क्षमता क्या है, और विभिन्न प्रकार के ट्रैक्टरों के निर्माण का प्रगामी लक्ष्य क्या है ; और

(ग) आगामी वर्षों में भारतीय पुर्जों के कितने अंग होंगे ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (ग). मैसर्स डैविड/ब्राउन महेन्द्रा ट्रैक्टर (प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई को उद्योग, विकास और विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत, १२ डी० बी० एच० पी० से ३५ डी० बी० एच० पी० और ऊपर के बीच तीन विभिन्न स्तरों के ३५०० ट्रैक्टर प्रतिवर्ष बनाने के लिये लाइसेंस दिया गया था । भारतीय दल अभी बनाये जाने वाले ट्रैक्टरों के स्थान और प्रकार के बारे में विदेशी सहयोगियों के साथ बातचीत कर रहा है ।

संयुक्त राष्ट्र सेना

†५५४. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री अ० मु० तारिक :
श्री राम शंकर लाल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थायी संयुक्त राष्ट्र सेना बनाने का कोई प्रस्ताव इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के विचाराधीन है; और

(ख) प्रस्ताव का स्वरूप क्या है और यह कैसे कार्यान्वित किया जायेगा ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, परन्तु कभी कभी इस का उल्लेख किया जाता है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पाकिस्तान को फ़िल्मों का निर्यात

†५५५. **श्री मं० बो० ठाकुर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पहले की तरह भारतीय फिल्म बड़ी संख्या में पाकिस्तान नहीं भेजे जाते ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) जनवरी-अगस्त १९६० में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में भारतीय चलचित्रों का पाकिस्तान को निर्यात अधिक हुआ है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दण्डकारण्य परियोजना

†५५६. **श्री सुबिमन घोष :**
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर और अक्तूबर १९६० में दंडकारण्य विकास प्राधिकार की कोई बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उन बैठकों में क्या महत्वपूर्ण निर्णय किये गये थे ;

(ग) क्या पुनर्वास संबंधी किसी कार्य को कोई प्राथमिकता दी गई थी ; और

(घ) यदि हां, तो किन कामों के लिये ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) :** (क) जी, हां । दंडकारण्य विकास प्राधिकार की १९वीं बैठक ७ और ८ सितम्बर १९६० को हुई थी और १७वीं बैठक १२, १३ और १४ अक्तूबर को हुई थी ।

(ख) से (घ). अध्यक्ष के आदेशानुसार, एक सप्ताह के अन्दर परियोजना संबंधी प्रगति प्रतिवेदन परिचालित करने का विचार है ।

गया में विस्फोट

†५५७. **श्री सुबिमन घोष :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गया (बिहार) में २ अक्तूबर १९६० को या उसके आसपास कोई विस्फोट हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो कितने मरे, कितने घायल हुए और विस्फोट के कारण क्या थे ;

(ग) क्या पिछले वर्ष भी उसी क्षेत्र में कोई विस्फोट हुआ था ; और

(घ) इस मामले में सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) जी, हां।

(ख) दो व्यक्ति मरे और एक घायल हुआ ।

विस्फोटों के निरीक्षक से प्राप्त प्रारम्भिक प्रतिवेदन के अनुसार, विस्फोट तब हुआ जब कि एक लकड़ी के बक्स के ढकने की, जिसमें प्रज्वलन शील निषिद्ध क्लोरेट से तैयार की गई २५ पौंड चीनी आतिशबाजी थी, हथौड़े द्वारा कीलों से बन्द किया जा रहा था। ऐसा करते समय प्रज्वलन शील मसाले को चोट पहुंची और आतिशबाजी बन्द करने वाले तीन मजदूरों के कपड़ों को आग लग गई ।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, उस क्षेत्र में पिछले वर्ष विस्फोटक पदार्थों का कोई विस्फोट नहीं हुआ ।

(घ) भारतीय विस्फोटक अधिनियम की धारा ९ (१) के अन्तर्गत जिला अधिकारियों ने दंडाधीश की जांच ७ अक्तूबर १९६० को आरम्भ की है वह चल रही है। दंडाधीश की जांच के निष्कर्षों के आधार पर राज्य सरकार अग्रेतर कार्रवाई करेगी ।

नय उद्योगों के लिये लाइसेंस

†**५५८. श्री कोडियान** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से, नये उद्योग आरम्भ करने के लिये अब तक केंद्रीय सरकार ने कुल कितने लाइसेंस जारी किये हैं ;

(ख) इस अवधि में केरल में उद्योग आरम्भ करने के लिये कितने लाइसेंस जारी किये गये हैं ;

(ग) क्या इन सब लाइसेंसों का उपयोग किया गया है और तदनुसार उद्योग आरम्भ किये गये हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो कितने लाइसेंसों का प्रयोग नहीं किया गया ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है ।

(ख) २० ।

(ग) तथा (घ). केरल राज्य के लिये दिया गया कोई लाइसेंस रद्द नहीं किया गया । इन सब मामलों में, संबद्ध उपक्रम या तो पहले ही स्थापित हो चुके हैं या स्थापित हो रहे हैं ।

यूरिया फॉरमल्डीहाइड रेजिन

†**५५९. श्री कोडियान** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिवर्ष कुल कितना और कितने मूल्य का यूरिया फॉरमल्डीहाइड रेजिन विदेश से मंगवाया जाता है ;

(ख) क्या देश में इस राल को बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो उस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) १९५७ से १९६० (केवल जनवरी से जुलाई) के बीच 'यूरिया फारमल्डीहाइड रेजिन्स' का आयात संबंधी ब्यौरा नीचे दिया जाता है :

वर्ष	मात्रा टनों में	लागत लाख रुपयों में
१९५७	९९७	१८.८४
१९५८ .	६५१.८५	१२.५२
१९५९	१५७३	२८.८४
१९६०	८६३	१७.२

(जनवरी–जुलाई)

(ख) जी, हां ।

(ग) देश के विभिन्न भागों में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत, 'यूरिया फारमल्डीहाइड रेजिन्स', जो मुख्यतया प्लाईवुड, पेंट और कपड़ा उद्योग के काम आता है, बनाने के लिये आठ योजनाओं को लाइसेंस दिये गये हैं जिनकी कुल उत्पादन क्षमता ६,००० टन प्रति वर्ष होगी । कुछ एककों ने उत्पादन आरंभ कर दिया है और शेष योजनाएं कार्यान्विति की स्थिति में हैं । इस समय अपेक्षित दोनों कच्चे मालों, अर्थात् 'यूरिया' और 'फारमल्डीहाइड' को मुख्य रूप से आयात किया जा रहा है । देशी 'यूरिया' का उपयोग करने की संभाव्यता का परीक्षण किया जा रहा है ; और अगले वर्ष के अन्त तक देश में 'फारमल्डीहाइड' बनाया जा सकता है । तब कच्चे माल का आयात काफी कम हो जाएगा ।

रुपया भुगतान करार

†५६०. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने किन देशों के साथ रुपया भुगतान करार किये हैं ; और

(ख) १९५९–६० में इन में से प्रत्येक के साथ कितना आयात और निर्यात हुआ है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). जिन देशों के साथ भारत सरकार ने रुपया भुगतान करार किये हैं, उनके नाम तथा वहां से भारत में आयात और यहां से वहां को निर्यात संबंधी १९५९ तथा जनवरी–जून १९६० प्रति वर्ष के आंकड़े संलग्न विवरण में दिये गये हैं । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९१]** । वित्तीय वर्ष १९५९–६० के आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं ।

इन के अतिरिक्त राजकीय व्यापार निगम ने, उत्तर कोरिया और ट्यूनिशिया के सरकारी व्यापार संगठनों के साथ रुपया भुगतान करार किये हुए हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

यूरेनियम

†५६१. { **श्री गोरे :**
कुमारी मो० वेदकमारी

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम जर्मनी ने सस्ता यूरेनियम तैयार करने का एक तरीका निकला था ; और

(ख) क्या हमारा अणु शक्ति आयोग पश्चिम जर्मनी के अणु वैज्ञानिकों से इस तरीके का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हुए हैं कि पश्चिम जर्मनी ने, यूरेनियम के आइसोटोपो के पृथक्करण के लिये सैंट्रिफ्यूग के उपयोग के द्वारा यूरेनियम २३५ का बनाने को तरीका निकाला है ।

(ख) समाचार पत्रों में यह भी लिखा है कि क्योंकि उत्तम यूरेनियम का अणुअस्त्र बनाने के लिये उपयोग किया जा सकता है, यह तरीका गुप्त रखा जाएगा और अन्य देशों को नहीं बताया जाएगा । तथापि इस तरीके के सिद्धान्त सम्बन्धी प्रविधिक पत्र १९५१ में जैनेवा में हुए अणुशक्ति के शान्तिपूर्ण उपयोगों संबंधी संयुक्त राष्ट्र के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पेश किये गये थे ।

रबड़ के टायरों का आयात

†५६२. **श्री विश्वनाथ राय :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, १९६० के मध्य तक राज्य व्यापार निगम द्वारा कुल कितने रबड़ के टायरों का आयात किया गया है ; और

(ख) राज्य व्यापार निगम ने उनके विवरण के सम्बन्ध में क्या व्यवस्था की है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) अक्तूबर, १९६० के मध्य तक राज्य व्यापार निगम ने २५,३१५ टायरों और ट्यूबों का आयात किया है जबकि कुल ६०,२४१ के लिये ठेका किया गया था ।

(ख) राज्य व्यापार निगम इन टायरों और ट्यूबों का वितरण अपने वितरकों के द्वारा करता है और वे वितरक सीधे ही विदेशी संभरण कर्ताओं के एजेन्ट हैं। यह वितरण गाड़ियों के वास्तविक मालिकों को किया जाता है और सामान प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार से प्राप्त स्वामित्व के प्रमाण पत्र पर बारी बारी से किया जाता है । सरकारी क्षेत्र की आवश्यकताओं और निर्यात के लिये अयस्क के यातायात के काम में लगी हुई गाड़ियों की आवश्यकताओं को कुछ प्राथमिकता दी जाती है ।

संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता

५६३. **श्री डामर :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी देश को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाने की कसौटी क्या है ; और

(ख) संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनने के लिए एक नये राष्ट्र को किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद ४, पैरा (१) के अनुसार ऐसे सभी शांतिप्रेमी राज्य संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बन सकते हैं जो संयुक्तराष्ट्र चार्टर में दी गई ज़िम्मेदारियों को स्वीकार करते हों और जो उस संस्था की राय में उन ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए तैयार हों और उन्हें निभा सकते हों।

(ख) चार्टर के अनुच्छेद ४, पैरा (२) के अन्तर्गत, किसी राज्य को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के लिए यह आवश्यक है कि सुरक्षा परिषद के ७ सदस्यों के वोट (इसमें पांचों स्थायी सदस्यों का सहमतिसूचक वोट भी शामिल है) : और महासभा के सदस्यों का बहुमत उसके पक्ष में हो।

राजनयिक सम्बन्ध

५६४. श्री डामर : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतंत्र देशों के बीच किस कसौटी और आधार पर परस्पर राजनयिक सम्बन्ध स्थापित किए जाते हैं ; और

(ख) किन-किन देशों में भुतपूर्व भारतीय राज्यों के शासक और उनके परिवार के सदस्य राजदूत अथवा उच्च आयुक्त नियुक्त किए गए हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) राजनयिक सम्बन्ध कई प्रकार के होते हैं, राजनीतिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक और कोंसली। आम तौर पर, स्वाधीन देशों के बीच राजनीति की दृष्टि से राजनयिक सम्बन्ध किए जाते हैं और सहूलियत के लिहाज से मिशन स्थापित किए जाते हैं।

(ख) चिली, कम्बोडिया।

पंजाब के बुनकरों को विद्युत् करघों का संभरण

†**५६५. श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत तथा पंजाब सरकारों ने बुनकरों को विद्युत करघों के संभरण के सम्बन्ध में एक निर्णय किया था ;

(ख) यदि हां, तो पंजाब के कितने बुनकरों को अभी तक विद्युत करघे दिये जा चुके हैं ; और

(ग) १९६१–६२ में कितने बुनकरों को ये करघे संभरित करने की आशा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न सरकारी संस्थाओं/व्यक्तियों द्वारा ४५६ हथकरघों को विद्युत करघों के रूप में बदल दिया गया है ?

(ग) आशा है कि १९६१–६२ में ६३ सहकारी संस्थाओं द्वारा २५२ हथकरघे विद्युत करघों के रूप में बदल दिये जायेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

महात्मा गांधी सम्बन्धी फिल्म

†५६६ { **श्री द जीत सिंह :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री २२ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि महात्मा गांधी सम्बन्धी पूरी फिल्म कब तक तैयार हो जायेगी ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: फिल्म निर्माण का कार्य चल रहा है और आशा है कि कुछ समय में यह फिल्म पूरी हो जाएगी।

इटली से उर्वरक

†५६७. **श्री आचार :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने इस देश में उर्वरकों के आयात के लिये इटली की एक फर्म से कोई दस्त विनिमय करार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है और उर्वरक के बदले में क्या-क्या वस्तुएं निर्यात की जायेंगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) और (ख). राज्य व्यापार निगम भारतीय वस्तुओं के बदले में वहां से उर्वरक तथा अन्य वस्तुओं के आयात के लिये एक इटली की फर्म से बात चीत कर रहा है। उसे अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। इस दौरान में तदर्थ आधार पर कुछ मात्रा में उर्वरक मंगवाये गये हैं और उनके बदले भारतीय वस्तुएं भेजी जा रही हैं।

भूदान आन्दोलन

५६८. **श्री डामर :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आचार्य विनोबा भावे के भूदान आन्दोलन के आरम्भ से लेकर अब तक प्रत्येक राज्य में सरकार ने कितने एकड़ भूमि दान की है ; और

(ख) विभिन्न व्यक्तियों ने अब तक इस आन्दोलन के लिये कितने एकड़ भूमि दान की है ?

श्रम, रोजगार और योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र): (क) सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) अखिल सर्व सेवा संघ द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अगस्त १९६० तक ४४, ११, १९१ एकड़ भूमि भूदान के अन्तर्गत मिली है।

विटामिन-ए

†५६९. { **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री ईश्वर अय्यर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार ने अगिपा घास के तेल से विटामिन-ए के निर्माण के लिये किसी फर्म को एक औद्योगिक लाइसेंस जारी कर दिया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका क्या नाम है और वह फैक्टरी कहां पर स्थापित की जायेगी ; और

(ग) उत्पादन कार्य कब से प्रारम्भ हो जायेगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (ग). जैसा कि १६ दिसम्बर, १९५८ को अतारांकित प्रश्न संख्या १६०६ के उत्तर में बताया गया था, अगिपा घास के तेल से विटामिन-ए के निर्माण के लिये मेसर्ज ग्लाक्सो लेबारेटरीज़ (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स रावे प्रोडेक्टस (प्राइवेट) लिमिटेड बम्बई को औद्योगिक लाइसेंस दिये गये हैं।

वे फैक्टरियां महाराष्ट्र राज्य के थाना जिले में स्थापित हैं।

आयात की गयी सामग्री से तो उत्पादन प्रारम्भ हो चुका है। आशा है कि अगिपा घास के तेल से इसका उत्पादन १९६१ के मध्य में प्रारम्भ हो जायेगा।

रोज़गार समितियां

†५७०. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **श्रम और रोज़गार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को यह परामर्श दिया है कि वे रोजगार समितियों को जिला स्तर पर पुनर्गठित करें ;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी भी राज्य में इस हिदायत को कार्यान्वित किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो किस राज्य में ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क) जी, हां।

(ख) जी हां।

(ग) आंध्र प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, और पश्चिमी बंगाल में राज्य रोजगार परामर्श समितियों तथा जिला रोजगार समितियों दोनों को पुनर्गठित कर दिया है। बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश ने राज्य रोजगार परामर्श समितियों को पुनर्गठित किया है।

फ्लेंज[1] का निर्माण

†५७१. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २० अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११८२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक मात्रा में 'फ्लेंज' के निर्माण के लिये विशेष प्रकार के इस्पात की उपलब्धि के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था कर दी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या विशेष प्रकार के इस्पात की उपलब्धि के बाद भी 'फ्लेंजेज़' के आयात के लिये अनुमति दे दी गई है या दी जा रही है ;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर हां में है, तो उसके क्या करण हैं और कितनी मात्रा में 'फ्लेंज' आयात करने के सम्बन्ध में अनुमति दी गई है ; और

(घ) अवधि-वार कितना कोटा मंजूर किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Flanges.

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, हां।

(ख) जी हां।

(ग) क्योंकि मैसर्स इंडियन डाइकास्टिंग कम्पनी नामक केवल एक ही फर्म उसका उत्पादन कर रही है और इस उत्पादन से देश की मांग पूरी नहीं हो रही है, इसलिये 'फ्लेंज' के आयात की अनुमति दी गई थी। अप्रैल, १९६० से मार्च, १९६१ तक की लाइसेंस अवधि में ४,४८,२१० रुपयों के 'फ्लेंज' मंगवाने की अवधि दी गयी है।

(घ) अप्रैल सितम्बर, १९५९	९३, ८१८ रुपये
अक्तूबर, ५९ से मार्च, ६०	१,८९,६०५ रुपये
अप्रैल, ६० से मार्च, १९६१	४,४८,२१० रुपये

कार्य-भारित[1] कर्मचारियों को वेतन का वितरण

†**५७२. श्री तंगामणि** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के असिस्टेण्ट इंजीनियरों तथा सेक्शन अफसरों को यह अधिकार दिया गया है कि वे दिल्ली के कार्य-भारित कर्मचारियों को वेतन बांट सकते हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या यह सच है कि इसके बावजूद भी वे वास्तव में वेतन बांटते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)**: (क) असिस्टेण्ट इंजीनियरों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे कर्मचारियों को वेतन बांट सकते हैं।

(ख) और (ग). कभी कभी सेक्शन अफसर भी वेतन बांटने में असिस्टेण्ट इंजीनियर की सहायता करते हैं क्योंकि इस प्रकार के कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक है। पर हां, पूरी जिम्मेदारी असिस्टेण्ट इंजीनियर की ही है।

बॉल-प्वाइंट वाले पैन और पेन्सिल

†**५७३. श्री पु० र० पटेल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'बाल प्वाइंट' वाले पैन (पैंसिलें) तथा 'रीफिल' आयात किये जाते हैं ?

(ख) यदि हां, तो १९५७ के बाद वर्षवार कितनी कीमत की वस्तुओं का आयात किया गया है ; और

(ग) क्या सरकार बाल प्वाइंट वाले पैनों और रीफिलों के निर्माण के लिये एक फैक्टरी स्थापित करने का विचार रखती है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) दिसम्बर, १९५६ के अन्त तक इंकलैस फाउंटेन पैनों और स्युडो पैंसिलों की कुछ मात्रा के आयात के लिये अनुमति दी गयी थी, उसके बाद आयात के लिये अनुमति नहीं दी गयी। जून, १९५७ के अ त तक 'रीफिलों' के आयात की अनुमति दी गयी थी, उसके बाद आयात की अनुमति नहीं दी गयी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Work charged.

(ख) बाल-प्वाइंट वाली पेंसिलों के आयात सम्बन्धी आंकड़े इस प्रकार से हैं। 'रीफिल' के सम्बन्ध में अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। यद्यपि ३१ दिसम्बर, १९५६ के बाद बॉल-प्वाइंट पेंसिलों के आयात की अनुमति बन्द कर दी गयी थी, तथापि निम्नलिखित आयात सम्बन्धी आंकड़ों का सम्बन्ध सीमा शुल्क के कलेक्टरों की पुस्तकों में 'बिल्स आफ एन्ट्री' के देर से किये गये समायोजन से है और उसी कारण से उनके बारे में देर से आंकड़ों की सूचना मिली है अथवा इनका (आंकड़ों का) सम्बन्ध उन आयात की गयी वस्तुओं से है जो कि आयात नियंत्रण आदेश संख्या १७/५५ दिनांक ७ दिसम्बर, १९५५ के खण्ड ११ में निहित किसी अपवाद के अधीन मंगवायी गयी हैं।

वर्ष	कीमत
१९५७	७५,००० रुपये
१९५८	२,००० रुपये
१९५९	१९,००० रुपये
१९६० (जनवरी-जुलाई)	१००० रुपये

(ग) जी नहीं।

जीरे से तेल

†५७४. **श्री पु० र० पटेल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी भी विदेश में जीरे से तेल निकाला जाता है ;

(ख) यदि हां, तो वह तेल किस प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उस देश में उस तेल का मूल्य क्या है ;

(ग) क्या सरकार इस देश में भी जीरे से तेल निकालने के लिये एक कारखाना स्थापित करने का विचार रखती है ; और

(घ) क्या जीरे के तेल का आयात किया जाता है और यदि हां तो उस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की जाती है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) जी हां।

(ख) जीरे का तेल शरीर की स्थूलता को दूर करने के काम आता है। यह अधिकांश पशुचिकित्सा औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तेल की वर्तमान कीमत के सम्बन्ध में आंकडें उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) फिलहाल कोई सुझाव नहीं है।

(घ) संभव है कि कुछ मात्रा में उसका आयात किया जाता हो, परन्तु निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ;

टेक्साज अन्तर्राष्ट्रीय मेला

†५७५. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि डल्लास में हुए टेक्साज अन्तर्राष्ट्रीय मेले में भारतीय मण्डप (पैविलियन) को राष्ट्रीय वस्तुओं के सुन्दरतम प्रदर्शन के लिये एक पारितोषिक दिया गया है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : जी, हां। यह पारितोषिक भारतीय मण्डप (पैविलियन) को विश्व व्यापार समिति, डल्लास वाणिज्य मण्डल, डल्लास, विश्व-कार्य परिषद, डल्लास, निर्यात, आयात क्लब और डल्लास कौंसुलर कोर की ओर से दिया गया था।

हथकरघे तथा विद्युत् करघे

†५७. **श्री पु० र० पटेल :**
श्री मा० म० गांधी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार कुल कितने हथकरघे हैं ; और

(ख) राज्यवार कुल कितने विद्युत करघे हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). मिल क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य पंजीबद्ध हथकरघों तथा सूती विद्यत् करघों के सम्बन्ध में एक विवरण सभा पटल पर रखा जता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९२**]

नई दिल्ली में निर्माण-कार्य

†५७७. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
पंडित द्वा० ना० तिवारी :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने रीडिंग रोड, पंचकुई रोड, कनाट लेस और इर्विन रोड के बीच के क्षेत्रों में नयी इमारतों के निर्माण के लिये एक योजना बनायी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ;

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) और (ख). रीडिंग रोड, पंचकुंई रोड, कनाट प्लेस और इर्विन रोड के बीच में बने हुए मकानों की आयु अवधि अब समाप्त हो गयी है। उनके स्थान पर नये मकान बनाने और उस मूल्यवान स्थान का अधिक उपयोग करने के लिये उस क्षेत्र को विकसित करने का विचार है। परन्तु योजना को अभी अन्तिम रूप से तैयार नहीं किया गया है।

'वेस्पा' स्कूटर

†५७९. **श्री राजेन्द्र सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १९६१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'वेस्पा' स्कूटरों की कीमतों को अन्तिम रूप से निर्धारित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कीमत निर्धारित की गयी है ;

(ग) क्या यह कीमत सरकार द्वारा निर्धारित अस्थायी कीमत से कम है ; और

(घ) यदि हां, तो उन व्यक्तियों को जिन्होंने अस्थायी मूल्य पर स्कूटर खरीदे थे, राशि वापिस करने के संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है या की जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (घ). सरकार इसी निष्कर्ष पर पहुंची है कि निर्माताओं द्वारा ली जा रही अस्थायी कीमत उपयुक्त है। फिर भी सरकार के कहने पर मेसर्स बजाज आटो प्राइवेट लिमिटेड ने कीमतों में कमी करने के प्रश्न पर विचार करना स्वीकार कर लिया है ।

सरकारी क्वार्टर

†५८०. **श्री राम गरीब** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसे सरकारी क्वार्टर भी हैं जोकि पूर्णरूपेण तैयार तो हो चुके हैं, परन्तु वे अभी तक आवंटित नहीं किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी कितनी संख्या है, वे किस किस वर्ग के हैं, वे किस किस क्षेत्र में स्थित हैं ; और उन्हें अभी तक आवंटित न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) उन क्वार्टरों को आवंटित न करने से किराया न मिलने के परिणामस्वरूप सरकार को कितनी हानि हुई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)**: (क) ऐसा कोई भी क्वार्टर नहीं है जोकि पूर्णरूपेण पूरा होने के उपरांत भी आवंटित न किया गया हो।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

बारी से पहले आवास का आवंटन

†५८१. **श्री राम गरीब** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त और सितम्बर, १९६० के महीनों में बारी से पहले आवास के आवंटन के संबंध में कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुये थे ;

(ख) उनमें से कितने स्वीकार/अस्वीकार किये गये हैं ; और

(ग) उनमें से कितनों को अभी तक स्थान दिया जा चुका है और कितने अभी प्रतीक्षा सूची में हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)**: (क) अगस्त, १९६० में २३२ और सितम्बर, १९६० में १८३ आवेदन पत्र प्राप्त हुये थे।

(ख) उनमें से १५७ स्वीकार किये गये और १८७ अस्वीकार कर दिये गये। शेष ३१ अभी विचाराधीन हैं ।

(ग) उनमें से १२ को स्थान आवंटित कर दिया गया है और शेष १८५ अभी भी प्रतीक्षा सूची में हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्थगन प्रस्ताव

गश्ती गाड़ी का पटरी पर से उतर जाना

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना मिली है जिसमें कहा गया है कि २० नवम्बर, १९६० की अर्द्धरात्रि में जकोलारी और सरना स्टेशनों के बीच रेल मार्ग पर विस्फोट हो जाने के कारण एक गश्ती गाड़ी पटरी से उतर गई ; कहा गया है कि इस पर तुरन्त वाद-विवाद की आवश्यकता है क्योंकि यह तीसरी बार घटना हुई है अतः ऐसा प्रतीत होता है कि यह तोड़फोड़ की घटना है।

वैसे तो मैं इसका उल्लेख सभा के सामने नहीं करता क्योंकि समय समय पर होने वाली ऐसी घटनाओं के बारे में माननीय मंत्री सामान्यतः वक्तव्य दिया करते हैं लेकिन चूंकि प्रस्ताव में कहा गया है कि यह तीसरी घटना है अतः मैं जानना चाहूंगा कि वास्तविक स्थिति क्या है ।

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: पहले दो विस्फोटों के बारे में सभा में चर्चा हो चुकी है और उसके बारे में जो प्रश्न पूछे गये थे उनके उत्तर दिये जा चके हैं।

२०–११–१९६० को लगभग २०.३५ बजे जिस समय गश्ती रेलगाड़ी उत्तर रेलवे के अमृतसर-पठानकोट सैक्शन पर जकोलारी और सरना स्टेशनों के बीच थी ; के० एम० ९५/१३–१४ पर एक जोर का धमाका सुनाई पड़ा और देखा गया कि पटरी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। गश्ती गाड़ी, जिसमें इंजिन और उसके दोनों ओर ब्रेकवान लगे थे, पटरी से उतर गई। खिड़की का शीशा टूट जाने से ब्रेकवान में आर० पी० एफ० के एक सैनिक को हल्की चोटें आईं।

गश्ती गाड़ी और पटरी में किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं आई। सैनिक कर्मचारी विस्फोट स्थल पर पहुंच गये और दीनानगर-जकोलारी-सरना स्टेशनों के बीच पटरी पर गश्त कर रहे हैं।

चार पटरियां १६० फुट दूर तक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं, ६८ स्लीपर भी क्षतिग्रस्त हो गये हैं। असैनिक पदाधिकारियों, पुलिस और गुप्तचर विभाग के अधिकारियों और सैनिक अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण कर लिया है और २१–११–६० को १६–५० बजे यह गश्ती गाड़ी पुनः पटरी पर ले आयी गई थी । अमृतसर-पठानकोट सैक्शन पर होकर गाड़ियों का आना जाना उसी दिन १७–१५ बजे से शुरू कर दिया गया था।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोज़ाबाद) : यह समाचार तो हमें समाचार पत्रों से भी मिल गया था। हम तो इस विस्फोट का कारण जानना चाहते हैं क्योंकि इससे पूर्व दो बार और भी इसी लाइन पर इसी प्रकार की घटनाएं हो चुकी हैं।

†**रेल मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : अभी हम यह नहीं बता सकेंगे कि विस्फोट का कारण क्या था लेकिन पिछली घटनाओं को देखते हुए यह समझा जा सकता है कि यह तोड़फोड़ की घटना है। माननीय उपमंत्री महोदय ने जो कुछ बताया है उससे अधिक हमारे पास और कोई जानकारी नहीं है। सभा को यह भरोसा रखना चाहिये कि राज्य सरकारों और वहां के सशस्त्र कर्मचारियों की मदद से पूरी जांच पड़ताल को जायेगी और बचाव की हर प्रकार की कार्यवाही की जायेगी। उस क्षेत्र में गश्त की स्थायी व्यवस्था करने का तो फैसला भी हो गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुरावत्ति न हो इस बारे में क्या किया जा रहा है।

†**श्री जगजीवन राम** : सावधानी की दृष्टि से हमने यह निर्णय किया है कि वहां हमेशा गश्त लगाया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री महोदय के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए अब करने को कुछ नहीं रहा है। अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं देता।

बेरूबारी के मामले में केन्द्रीय सरकार तथा पश्चिमी बंगाल सरकार के बीच कथित गम्भीर मतभेद

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे एक दूसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना मिली है जिसमें कहा गया है कि बेरूबारी के मामले में केन्द्रीय तथा पश्चिमी बंगाल सरकार के बीच जो कथित गम्भीर मतभेद है उस पर तुरन्त चर्चा करने की आवश्यकता है और इस बारे में २१ नवम्बर, १९६० को पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री ने वहां की विधान सभा में जो भाषण दिया है उसके बारे में तुरन्त ही स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

बेरूबारी के बारे में वास्तविक स्थिति क्या है सभा यह जानना चाहती है।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: स्थिति यह है कि भारत सरकार तथा पाकिस्तान सरकार के बीच हुए करार के अनुसार इस सम्बन्ध में इस सभा में एक विधान प्रस्तुत करने का विचार है जबकि हम इस पर अच्छी तरह विचार कर सकेंगे। वैसे तो हमारी यह इच्छा रही है और है कि यह विधेयक इसी सत्र में लाया जाये लेकिन मैं इसकी कोई गारंटी नहीं लेता कि ऐसा होगा ही। हो सकता है कि अगले सत्र में ही यह प्रस्तुत हो।

बंगाल के मुख्य मंत्री का पत्र मुझे कल ही मिला है हम उस पर विचार कर रहे हैं और संभवतः एक दो दिन में उसका उत्तर भी भेज देंगे।

इस प्रस्ताव में मुख्य मंत्री और केन्द्रीय सरकार के बीच गम्भीर मतभेदों का उल्लेख किया गया है। मैं तो नहीं समझता कि कोई गम्भीर मतभेद भी है। समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचार से ऐसा लगता है कि पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री ने कहा है कि ऐसे विधान पर पश्चिमी बंगाल विधान सभा का अनुमोदन होना चाहिये परन्तु उनका यह कथन पूर्णतः सत्य नहीं है। विधान सभा को दो या तीन बातों का उल्लेख किया जाता है। एक तो न्यूनाधिक जानकारी के लिये दूसरे उनकी टिप्पणी के लिये, इस पर वे अपने सुझाव भेजते हैं लेकिन ऐसे मामलों में उनका समर्थन संवैधानिक रूप से आवश्यक नहीं है। इसका निर्णय तो संसद को करना है। वास्तव में दोनों विधेयकों को पश्चिमी बंगाल, आसाम तथा पंजाब की राज्य विधान सभाओं के पास भेज दिया गया था और उनका ही इनसे सीधा सम्बन्ध है। पंजाब तथा आसाम की विधान सभाओं ने हमें सूचित कर दिया है कि वे इससे सहमत हो गई हैं। ऐसा महसूस किया जाता है कि इस मामले में पश्चिमी बंगाल की कुछ विशेष भावनायें हैं और हम उसे अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन स्थिति यह है, जैसा कि मैंने बताया है कि इस संम्बन्ध में न तो कोई मतभेद है और न इसके वैधानिक पहलू के बारे में कोई मतभेद हो सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** (बरहामपुर) : बेरूबारी और कूच बिहार बस्तियों के हस्तान्तरण का मामला जब उच्चतम न्यायालय को भेजा गया था तो उच्चतम न्यायालय ने दो रास्ते बताये थे, एक तो यह कि अनुच्छेद ३६८ के अधीन अनुच्छेद १ को संशोधित किया जाये अथवा अनुच्छेद ३ में संशोधन किया जाये और उसके बाद इस संशोधित अनुच्छेद ३ के अनुसार वांछित हस्तान्तरण के लिये विधान पेश किया जाये। मैं यह जानना चाहता हूं कि उच्चतम न्यायालय के इन दो प्रस्तावों में से कौनसा प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, सरकार के क्या विचार हैं और क्या सरकार का विचार इस सत्र में कोई विधान प्रस्तुत करने का है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जहां तक मझे याद है, उच्चतम न्यायालय ने इस सम्बन्ध में तीन सुझाव दिये थे। स्वाभाविक है कि इस बारे में हम उचच्तम न्यायालय के परामर्श से बाधित हैं। इन पर अच्छी तरह विचार करने के पश्चात् हमने सोचा कि इन सुझाई गई बातों में से एक रास्ता अपनाना ही श्रेयस्कर होगा अतः हमने उनको स्वीकार कर लिया। हम उनमें से ही कोई एक रास्ता अपनायेंगे। चूंकि मेरे पास इस समय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय सम्बन्धी कागज़ नहीं हैं अतः मैं स्पष्ट रूप से नहीं बता सकूंगा। वैसे मैं चाहता हूं कि इस बारे में स्पष्ट बता दूं। माननीय सदस्य ने अनुच्छेद में परिवर्तन करने सम्बन्धी उच्चतम न्यायालय के जिस निर्णय का उल्लेख किया है उसके अतिरिक्त यह भी एक सुझाव न्यायालय ने दिया था कि संविधान में जो अनुसूचियां संलग्न हैं उनमें संशोधन किया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : सीमाओं के बारे में यह सभा एकपक्षीय रूप से कुछ नहीं कर सकती। प्रारम्भ में राष्ट्रपति ऐसा करने का सुझाव देते हैं। इसके बाद वह अनुच्छेद ३ के अनुसार सम्बन्धित राज्य सरकारों की विधान सभाओं से परामर्श लेते हैं। प्रधान मंत्री ने जैसा कि बताया है कि उनके पास एक पत्र आया है और वे उस पर विचार कर रहे हैं और यदि कोई मतभेद है भी तो उनके बारे में बातचीत करके उनको तै करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अतः यह एक ऐसा मामला नहीं है जिसे स्थगन प्रस्ताव के रूप में ही निपटाया जा सके।

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**: इस प्रश्न की गुणिता के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन जहां तक काननी स्थिति का सम्बन्ध है, यदि किसी राज्य के राज्य-क्षेत्र से कोई भाग निकालना हो तो अनुच्छेद ३ के अन्तर्गत तत्सम्बन्धित प्रस्थापनाओं को निर्दिष्ट करना आवश्यक होता है। पर जिस मामले में किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने या उसमें हेरफेर करने के लिये अनुच्छेद ३४७ के अधीन कार्यवाही की जाती है, उसमें प्रस्थापनाओं को राज्य सरकार को भेजना आवश्यक नहीं होता। इस काम को संसद् स्वयं कर सकती है। केन्द्रीय सरकार इस मामले को राज्य सरकार के पास भेज सकती है। पर केन्द्र के लिये ऐसा करना आवश्यक नहीं है। और राज्य विधान सभा में ऐसे विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती। विधेयक पर वहां चर्चा नहीं हो सकती। अनुच्छेद ३ के उपबन्धों के अधीन प्रक्रिया अलग है। लेकिन जहां अनुच्छेद ३४७ अथवा ३४८ के अधीन, मुझे ठीक से तो याद नहीं, कार्यवाही होनी है....

†**एक माननीय सदस्य** : अनुच्छेद ३६८।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री गो० ब० पन्त** : कोई भी सही ; राज्य विधान सभाओं को भेजने की आवश्यकता नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह स्थगन प्रस्ताव पत्रों में प्रकाशित समाचार पर आधारित है। अतः प्रधान मंत्री के इस कथन को ध्यान में रखते हुए कि पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री के पत्र में जो बातें उठायी गई हैं, उन्हें कहां तक हल किया जा सकेगा, इस बात पर वह विचार कर रहे हैं, और सभा के सामने इस सम्बन्ध में एक विधेयक पेश किया जायेगा, इस मामले को आगे बढ़ाना आवश्यक नहीं है। इसलिये मैं इसको पेश करने की अनुमति नहीं देता।

कुछ राज्यों में सांविधानिक व्यवस्था की कथित विफलता

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री बा० चं० कामले ने एक और स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। उनका कहना है कि पश्चिमी बंगाल और पंजाब में कुछ व्यक्तियों द्वारा भारत विरोधी प्रचार तथा राजद्रोहात्मक कार्यवाही करने जैसे हस्तक्षेप्य अपराधों के विरुद्ध कार्यवाही करने में वहां की सरकारें असफल रहीं हैं और इस प्रकार वहां सांविधानिक तंत्र विफल हो गया है।

ये मामले राज्यीय क्षेत्राधिकार के हैं और वह हमारा क्षेत्र नहीं है। माननीय सदस्य इसलिये चिन्तित मालूम होते हैं क्योंकि ये मामले देश की सीमाओं से सम्बन्ध रखते हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इस मास स किसी विदेशी का सीधा सम्बन्ध नहीं है। हमारे राज्य क्षेत्र में प्रचार करने वाले कुछ भारतीय राष्ट्रजन थे। इसमें शक नहीं कि संबन्धित राज्य सरकारें जैसा ठीक समझेंगी इस मामले का निबटारा करेंगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य स्थिति क्या है यह जानना चाहते हैं? केन्द्र की रुचि भी इस मामले में हैं क्योंकि इसका सम्बन्ध सीमा से है। माननीय सदस्य यह अनुभव करते हैं कि यदि राज्य सरकारों ने उपयुक्त कार्यवाही नहीं की तो.....

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इस बात की जांच कौन करेगा कि उपयुक्त कार्यवाही क्या है? यह सभा यहां यह निर्णय तो नहीं करेगी कि अमुक व्यक्ति ने अमुक समय जो भाषण दिया था उसके बारे में क्या कार्यवाही की जायेगी। मैं उन व्यक्तियों के नाम बताना नहीं चाहता था, लेकिन विरोधी सदस्य चाहते थे कि मैं उन व्यक्तियों के नामों का उल्लेख करूं। इस प्रकार की कार्यवाहियों के बारे में या तो राज्य सरकारें जानती हैं अथवा हम उनकी जानकारी में ऐसे मामले लाते हैं। हम निश्चय ही इन के बारे में चिंतित हैं और हो सकता है कि आगे चलकर इनका सामना करने के लिये हम कोई विधान लेकर सभा के सामने आयें। इस पर विधिक दृष्टि से विचार करना होगा। बहुत सी ऐसी अवांछनीय बातें हैं लेकिन उनके विरुद्ध हम कुछ विधिक कार्यवाही नहीं कर पाते। इन सभी बातों पर अच्छी तरह विचार करना होगा।

†**श्री बा० चं० कामले** (कोपरगांव) : प्रधान मंत्री ने वक्तव्य दिया है उससे प्रकट है कि इन व्यक्तियों की कार्यवाही राष्ट्रविरोधी है। यह उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है और मैं जानता हूं कि यदि सम्बन्धित राज्य सरकारें विधिक कार्यवाही करें तो इन व्यक्तियों से भुगता जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : जहां तक हमारे अपने राष्ट्रजनों का सम्बन्ध है यह राज्य का विषय है, क्योंकि इसका सम्बन्ध विधि तथा व्यवस्था से है। लेकिन यदि यह बढ़कर राज्य के लिए खतरा बन जाये तो प्रधान मंत्री कह चुके हैं कि अन्य लोगों को इस प्रकार के कार्य करने से रोकने का उपाय किया जयेगा। फिलहाल और आगे कार्यवाही आवश्यक नहीं है। अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं देता।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

सरकारी भूगृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) संशोधन नियम

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)**: मैं सरकारी भूगृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) अधिनियम, १९५८ की धारा १३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २४ सितम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११०६ में प्रकाशित सरकारी भू-गृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) संशोधन नियम, १९६० की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० २४५०/६०]

दैनिक समाचारपत्र (मूल्य तथा पृष्ठ) आदेश

†**सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा-सचिव (श्री आ० चं० जोशी)** : मैं डा० केसकर की ओर से समाचारपत्र (मूल्य तथा पृष्ठ) अधिनियम, १९५६ की धारा ३ के अन्तर्गत निकाली गई दिनांक २४ अक्तूबर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२५० में प्रकाशित दैनिक समाचारपत्र (मूल्य तथा पृष्ठ) आदेश, १९६० की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—२४५१/६०]।

हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : मैं श्री मनुभाई शाह की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड के वर्ष १९५९–६० का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(२) उक्त समवाय के वर्ष १९५९–६० के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—२४५२/६०]

---

†मूल अंग्रेजी में

सीमेंट सम्बन्धी औद्योगिक समिति के निष्कर्ष

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : मैं सीमेंट संबंधी औद्योगिक समिति के नई दिल्ली में २ अगस्त, १९६० को हुए तीसरे अधिवेशन के मुख्य निष्कर्षों के सारांश की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी०—२४५३/६०]

समितियों के लिये निर्वाचन

प्राक्कलन समिति

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि इस सभा के सदस्य लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों के नियम ३११ के उप-नियम (१) के साथ पठित नियम २५४ के उपनियम (३) द्वारा अपेक्षित रूप में ३० अप्रैल, १९६१ को समाप्त होने वाली शेष अवधि के लिये श्री दिनेश प्रताप सिंह के स्थान पर, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में काम करने के लिये अपने में से एक सदस्य चुनें।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है

"कि इस सभा के सदस्य लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ३११ के उप-नियम (१) के साथ पठित नियम २५४ के उपनियम (३) द्वारा अपेक्षित रूप में ३० अप्रैल, १९६१ को समाप्त होने वाली शेष अवधि के लिये श्री दिनेश प्रतपि सिंह के स्थान पर, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में काम करने के लिये अपने में से एक सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

लोक लेखा समिति

†**श्री बर्मन** (कूचबिहार—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि इस सभा के सदस्य लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचलान सम्बन्धी नियमों के नियम ३०९ के उप-नियम (१) के साथ पठित नियम २५४ के उपनियम (३) द्वारा अपेक्षित रूप में ३० अप्रैल, १९६१ को समाप्त होने वाली शेष अवधि के लिये स्वर्गीय श्री फ़ीरोज़ गांधी के स्थान पर लोक लेखा समिति के सदस्य के रूप में काम करने के लिये अपने में से एक सदस्य चुनें।"

इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए मुझे हार्दिक खेद है। श्री गांधी का निर्वाचन इस समिति के लिए गत वर्ष ही हुआ था और इस थोड़े समय में ही उन्होंने इतना प्रशंसनीय

---

†मूल अंग्रेजी में

कार्य किया कि मुझे अपार दुख है कि हमने उन जैसा एक महान व्यक्ति खो दिया। वह इस सभा के प्रमुख सदस्य थे और जिस समय लोक लेखा समिति के लिये उनका निर्वाचन हुआ तो हमने सोचा कि वह समिति के लिये बहुत ही काम के व्यक्ति सिद्ध होंगे और वस्तुतः हुआ भी ऐसा ही। समिति के सदस्यों की ओर से ऐसी मूल्यवान व्यक्ति की क्षति के लिये मैं खेद प्रकट करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है:

"कि इस सभा के सदस्य लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ३०९ के उप-नियम (१) के साथ पठित नियम २५४ के उपनियम (३) द्वारा अपेक्षित रूप में ३० अप्रैल, १९६१ को समाप्त होने वाली शेष अवधि के लिये स्वर्गीय श्री फ़ीरोज़ गांधी के स्थान पर लोक लेखा समिति के सदस्य के रूप में काम करने के लिये अपने में से एक सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

रेलवे यात्री किराया (संशोधन) विधेयक

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी):** श्री मोरारजी देसाई की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेलवे यात्री किराया अधिनियम, १९५७ में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

†**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है:

"कि रेलवे यात्री किराया अधिनियम, १९५७ में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी:** मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं।

औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नंदा):** मैं प्रस्ताव करता हूं कि औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, १९४६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

†**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है:

"कि औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, १९४६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

---

†मूल अंग्रेजी में

कार्य मंत्रणा समिति

सत्तावनवां प्रतिवेदन

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के सत्तावनवें प्रतिवेदन से, जो २१ नवम्बर, १९६० को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोज़ाबाद) : मेरा एक संशोधन है कि निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक, १९६० के लिये जो ५ घंटे का समय रखा गया है उसे बढ़ाकर १५ घंटे कर दिया जाये।

यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है और देश में इसके विरुद्ध जो भावना व्याप्त है उसका समाधान यहां सभा में करना होगा। इसके लिये मेरे विचार से ५ घंटे का समय कम है। मेरा निवेदन यह भी है कि भाषण की अवधि भी आप निश्चित न करें और सभी दलों के प्रतिनिधियों को उचित समय दें।

†**श्री सत्यनारायण सिंह** : जहां तक मुझे याद है पहले भी हमने ५ घंटे से अधिक इसकी चर्चा के लिये नहीं लिया था। इसलिये इस समय भी अधिक देने की कोई बात बात नहीं उठती।

†**अध्यक्ष महोदय** : विभिन्न दलों के सदस्य कार्य मंत्रणा समिति की बैठकों में भाग लेते हैं। वहां मामले बहुमत के आधार पर नहीं बल्कि निर्विरोध तै किये जाते हैं। नियमों के अनुसार अध्यक्ष अथवा सभापति एक घंटे का समय तो बढ़ा सकते हैं। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि उनका संशोधन सभा में मतदान के लिये रखा जाये तो मैं वह भी कर सकता हूं।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : मेरा यह विचार नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : शुरू में इसके लिये ३ घंटे का समय दिया गया था जो बढ़ाकर ५ घंटे कर दिया गया। यदि आवश्यकता हुई तो मैं एक घंटा और बढ़ा दूंगा। क्या मैं संशोधन मतदान के लिये रखूं।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : हम यह नहीं चाहते।

†**अध्यक्ष महोदय** : अच्छी बात है।

संशोधन, सभा की अनुमति से वापिस लिया गया

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य-मंत्रणा समिति के सत्तावनवें प्रतिवेदन से जो २१ नवम्बर, १९६० को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

---

†मूल अंग्रेजी में

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

> "अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर, विशेष रूप से उन विषयों के बारे में जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के चालू अधिवेशन* में उसके सामने आये हैं, विचार किया जाये।"

संसद् के इस सत्र के आरम्भ में, मेरे पास बहुत से प्रश्न आये जो संयुक्त राष्ट्र सभा के अधिवेशन में मेरे सम्मिलित होने से सम्बन्धित थे। में समझता हूं कि अपने दौरे के बारे में वक्तव्य देने की अपेक्षा यह अधिक अच्छा होगा कि हम इस विषय पर वाद-विवाद करें। इस लिये इस वाद-विवाद में यद्यपि किसी भी विषय का उल्लेख किया जा सकता है तथापि जैसे कि प्रस्ताव में दिया गया है । हम अधिकांश रूप से उन्हीं विषयों को लेंगे जो संयुक्त राष्ट्र सभा के चालू सत्र में सामने आये।

इस प्रयोजन के लिए, जब पहले पहल मेरे न्यूयार्क जाने का प्रश्न उठा, मैं तनिक हिच-किचा रहा था क्योंकि एक तो देश में ही बहुत से काम थे और दूसरे मैं यह भी सोचता था कि पता नहीं मेरे वहां जाने से कोई फ़ायदा होगा या नहीं। परन्तु आखिर मैंने वहां जाने का निर्णय किया और मुझे अपने इस निर्णय पर प्रसन्नता है। वहां जाते ही मुझे यह अनुभव हुआ कि मेरा यहां आना उपयोगी होगा। अब भी मैं यही सोचता हूं कि वहां जाकर मैंने ठीक किया ; इसके कई कारण हैं।

वहां जाकर मुझे संयुक्त राष्ट्र संघ के आन्तरिक कार्य-संचालन का ज्ञान हुआ जो कि प्रतिवेदनों आदि के अध्ययन से, चाहे वे कितने ही ब्यौरेवार हों, होना असम्भव था और मैं देख सका कि लोगों के दिमाग किस तरह से काम करते हैं। दूसरे इस सत्र में अफरीका के नये स्वतंत्र राज्यों के प्रमुख नेता वहां आये थे। उनसे जान पहचान बनाना और मामलों पर चर्चा करना भी मेरे लिये सौभाग्य की बात थी। तीसरे यह अधिवेशन इस दृष्टि से भी अद्वितीय था कि इसमें अनेक राष्ट्रों के प्रमुख नेताओं तथा राज्यों के अध्यक्षों ने भाग लिया था। स्वाभाविक रूप से जब ये प्रतिष्ठित व्यक्ति वहां आये तो सभा की हैसियत ही विशेष प्रकार की हो गयी ; उनसे मिलने और बातें करने का यह अवसर बड़ा उपयोगी था।

अखबारों में महासभा की कार्यवाही के बारे में काफी कुछ प्रकाशित हो चुका है और निस्संदेह माननीय सदस्यों ने देखा होगा कि सभा में भाग लेने वालों में कई बार काफी कुछ गर्मा गर्मी हुई ; जनता सामान्यतया ऐसी ही बातों की ओर ध्यान दिया करती है और बुनियादि चीजों को नजरंदाज कर देती है ; परन्तु मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य बुनियादि समस्याओं को भली प्रकार से समझते हैं। बहुत सी दुखद घटनायें हुईं और कई अवसरों पर ऐसी भाषा का प्रयोग भी किया गया जिसे हम इस सभा में कभी प्रयोग नहीं करते। किन्तु तथ्य तो यह है कि यह महासभा इस समय ऐसी बुनियादि बातों पर विचार कर रही है जो विश्व के भविष्य के लिये बहुत अधिक महत्व रखती है।

हमारे देश की अपनी अनेक समस्यायें हैं, जिनमें से कुछ काफी गंभीर हैं ; परन्तु आज की अन्तर्राष्ट्रीय समस्यायें किसी भी देश की अलग-अलग आंतरिक समस्याओं से कहीं ज्यादा गंभीर हैं। वस्तुतः दुनियां की बुनियादि समस्याओं के सम्दन्ध में जो कुछ भी होता है, वे उसी से प्रभावित होती हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

*पंद्रहवां अधिवेशन

संयुक्त राष्ट्र सभा के समक्ष जो यह महत्वपूर्ण समस्यायें आयी हैं उनमें से सर्वप्रथम निश्शस्त्रीकरण की समस्या, फिर अफरीका, और विशेषकर कांगों की समस्या, संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन की समस्या तथा उपनिवेशवाद की समस्यायें ही प्रमुख हैं।

यों तो ये समस्यायें न्यूनाधिक रूप से पहले से ही हमारे सामने हैं परन्तु इस बार ये संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष काफी जोर से आयीं और सारी दुनियां का ध्यान इनकी ओर गया।

हमने निश्शस्त्रीकरण के मामले को हमेशा सबसे अधिक महत्व दिया है और संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारे प्रतिनिधि ने अनेक बार इस सम्बन्ध में अनेक प्रस्ताव भी रखे हैं; यहां इस सभा में ऐसे प्रस्ताव रखे गये हैं। जब भी हमने यह प्रस्ताव रखे हमने यही सोच कर रखे कि ये प्रस्ताव ऐसे होने चाहिए जो मौजूदा ढांचे में खप सकें, भले ही आदर्शों की दृष्टि से हमारी राय में वे बिल्कुल दोषरहित न हों। हमने व्यावहारिक बातें ही सभा के समक्ष रखी हैं लेकिन आदर्शों को हमने भुलाया नहीं, और हमारा उद्देश्य यही रहा है कि हम सदैव ऐसी बात सामने रखें जो दुनियां के लोगों को स्वीकार्य हों, अगर पूर्णतः नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा स्वीकार्य हों।

निश्शस्त्रीकरण की समस्या पर, आणविक शस्त्रों तथा अन्य भयंकर शस्त्रों की दृष्टि में विचार हुआ है और हमने समय समय पर अनेक प्रस्ताव रखे हैं। किन्तु अब तक एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिसे देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि अब इस समस्या का समाधान शीघ्र होना चाहिए। यदि निकट भविष्य में—अर्थात् दो या तीन वर्ष की अवधि में—इस समस्या को सुलझाने के लिए जोरदार प्रयत्न न किये गये तो फिर अवसर हाथ से निकल जायेगा और स्थिति संभलनी लगभग असंभव हो जायगी। जहां तक आणविक शस्त्रों का सम्बन्ध है, उनमें हर रोज नयी प्रगति होती जा रही है। उन्हें नित्यप्रति ज्यादा खतरनाक, ज्यादा शक्तिशाली बनाया जा रहा है और एक बड़ी बात यह है कि उन्हें कम व्यय से आसानी से बनाने के तरीके भी निकलते जा रहे हैं। जब दुनियां के हर देश के पास आणविक शस्त्र हो जायेंगे तो इस बारे में समझौता कराने के लिए हर देश को समझाना बड़ ही कठिन हो जायगा। इस लिए ऐसा समय आने से पहले ही हमें निश्शस्त्रीकरण की समस्या को हल करने के लिए रास्ता ढूंढ़ना होगा; अन्यथा यदि प्रत्येक देश अणु बम बनाने लगा या दूसरे देशों ने अणु बमों को जगह जगह बांट दिया जैसा कि कभी कभी कहा जाता है, तो हालत पर काबू पाना असंभव हो जायगा। शायद आज के अखबार में ही मैंने पढ़ा था कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के कमांडर ने यह कहा है कि संगठन के सभी सदस्यों के पास अणु बम वितरित कर देने चाहिएं। इस समय किसी न किसी प्रकार के आणविक शस्त्र चार देशों के हाथ में हैं, यदि एक दर्जन और देशों के पास ये और हो गये और यदि वैज्ञानिकों ने इनके निर्माण के सस्ते तरीके निकाल लिए तो मामला फिर सुलझने का नहीं। इस लिये हमें ठीक समय पर कार्यवाही करनी चाहिए अन्यथा विलम्ब से पेचीदगी बढ़ेगी ही। इसलिये यह मामला अत्यन्त अविलम्बनीय है।

निश्शस्त्रीकरण की बात करते समय हमें दो तीन चीजों का और ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो यह है कि सभी बड़े देशों तथा छोटे देशों ने रजामंदी दिखायी है, हम सामान्यतया इस बात को भूल जाते हैं। इसके पीछे कितनी रजामन्दी है। मैं समझता हूं कि निश्शस्त्रीकरण की बात पर लगभग सभी सहमत हैं, शायद ही कोई खिलाफ़ हो। मैं सभा को स्मरण कराना चाहता हूं कि गत वर्ष भी और इस वर्ष भी संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

ने निश्शस्त्रीकरण के बारे में एक संकल्प पारित किया है। यह संकल्प सर्वसम्मति से पारित हुए थे। इस बात पर भी सभी सहमत हैं कि निश्शस्त्रीकरण के लिए प्रभावपूर्ण नियंत्रण भी होना चाहिए। यह वांछनीय ही है क्योंकि जब एक दूसरे पर सन्देह हो तो ऐसे वातावरण में नियंत्रण बड़ा आवश्यक है। इसलिये निश्शस्त्रीकरण और नियंत्रण साथ साथ चलन हैं। यह विचित्र सा प्रश्न है कि नियंत्रण पहले हो या निश्शस्त्रीकरण पहले। निस्सन्देह दोनों चीजें एक साथ करनी होंगी। नियंत्रण के बिना निश्शस्त्रीकरण असंभव है और निश्शस्त्रीकरण के बिना नियंत्रण भी किस चीज़ का होगा। इसका मतलब तो लगभग यह होगा कि कुछ नियंत्रण के अधीन रहते हुए शस्त्र बनाने की होड़ लगी रहे। हम तो पूर्ण निश्शस्त्रीकरण चाहते हैं और यह काम कई दौरों में ही हो सकता है। एक ही दिन में सारा नक्शा नहीं बदल सकता। परन्तु हमारा उद्देश्य पूर्ण निश्शस्त्रीकरण का होना चाहिये।

निश्शस्त्रीकरण की कार्यवाही तय करते समय हमें यह ध्यान अवश्य रखना होगा कि प्रतिद्वन्दी राष्ट्रों के बीच संतुलन बना रहे अन्यथा यदि कोई ऐसी बात हुई जिससे एक ने यह समझा कि इससे दूसरे की शक्ति बढ़ जायगी तो वह उस पर अमल न करेगा। इस लिये एक संतुलन बनाये रखना होगा।

इस समस्या की मुख्य बातें यही हैं और जहां तक मैं समझता हूं इस दिशा में काफी मतैक्य भी है। इसके बावजूद भी राष्ट्रों में पारस्परिक तर्क वितर्क चलते ही रहते हैं। हमेशा एक दूसरे के प्रति सन्देह की भावना बनी रहती है और समझौता नहीं हो पाता। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने अनेक तत्संबंधी संकल्प उपस्थित हैं। भारत ने भी एक लम्बा सा संकल्प इस दिशा में प्रस्तुत किया है। मैं यहां उसके ब्यौरे में नहीं जाऊंगा। उस संकल्प में वे चीजें नहीं हैं जिन्हें भारत एक आदर्श हल मानता है किन्तु उसमें वे सभी व्यावहारिक बातें शामिल कर दी गई हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि उन पर अमल हो सकता है और उससे विरोधी राष्ट्र एक दूसरे के निकट आ सकते हैं। परन्तु हम उस संकल्प को पवित्र लेख नहीं समझते। यदि उसमें परिवर्तन करके हमें अधिक लाभ प्राप्त होगा तो हम प्रसन्नता से वैसा कर देंगे।

इस समय मैं निश्शस्त्रीकरण के बारे में और अधिक न कहुंगा परन्तु यदि सभा की इच्छा हो तो इस विषय पर प्रतिरक्षा मंत्री पूर्ण रूप से बोलेंगे और इस के बारे अधिक स्पष्ट जानकारी देंगे।

दूसरा महत्वपूर्ण विषय अफरीका का है। जो परिवर्तन अफरीका में हुए हैं वह ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है; वहां अनेक राष्ट्र पूर्ण रूप से या लगभग पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गये हैं। मुझे विश्वास है कि निकट भविष्य में वे शतप्रतिशत स्वतंत्र हो जायेंगे। वास्तव में और क्षेत्रों को छोड़ कर सब से पहले मुझे अल्जीरिया का ध्यान आता है जो कई वर्षों से स्वतंत्रत के लिए संघर्ष कर रहा है और जहां पर दुःखद घटनायें घट रही हैं। हज़ारों आदमी वहां अपना होम कर चुके हैं परन्तु स्वतंत्रता प्राप्त करने की इच्छा इतनी तीव्र है कि वे संघर्ष कर रहे हैं और निस्संदेह अन्त में सफल होंगे।

अफरीका के कुछ क्षेत्र पुर्तगाल के कब्जे में हैं। इस ज़माने में जब कभी पुर्तगाल का प्रश्न उठता है तो हमें इस शताब्दी से हट कर मध्यम युग का ध्यान आ जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने को दो तीन सौ वर्ष पहले की परिस्थितियों में ले जाने के लिये समर्थ न हो, तो वह इस विषय पर सोच नहीं सकता—क्योंकि, यद्यपि हमारा उद्देश्य पुर्तगाली सरकार की नीतियों को आलोचना

करना नहीं है, तथापि जो कुछ उसके उपनिवेशों में हो रहा है उससे हम आंखे बंद नहीं कर सकते। दुनियां में आज अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं परन्तु मैं यह समझता हूं कि आज दुनिया में यदि कोई सब से बड़ी औपनिवेशिक शक्ति है तो वह शायद पुर्तगाल है। इसके उपनिवेश, जिन्हें ये लोग अपने प्रान्त कहते हैं नितांत अंधकार में रहते हैं और प्रकाश की एक किरण वहां प्रवेश नहीं कर पाती। हमें उनके हालात का पता नहीं चलता। वे संयुक्त राष्ट्र संघ तक को रिपोर्टें नहीं देते जिसे ऐसी रिप र्ट दी जानी चाहिये। भारत का एक अंग, गोआ भी उनके कब्जे में है। दुनिया के कुछ और भी क्षेत्र हैं जो उपनिवेशों की तरह दूसरों के कब्जे में हैं। सब से पहले मैं अफरीका के बारे में कुछ कहूंगा।

अफरीका में काफी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। ये परिवर्तन अनुभव किये जा सकते हैं। ब्रिटिश उपनिवेशों में कुछ परिवर्तन हुए हैं और कुछ होने वाले हैं। कुछ कार्यक्रम निर्धारित किया जा चुका है और हमें आशा है कि इसका पालन किया जायेगा। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो फ्रांस के कब्जे में थे—उनमें छोटे बड़े देश हैं और स्वतंत्रता के बाद उनमें से कुछ "फ्रेंच कम्युनिटी" में शामिल हैं। उनके बारे में उन्हीं को निर्णय करना है।

इसके बाद कांगो का प्रश्न है। इस की समस्यायें असाधारण हैं। समस्याओं की पेचीदगी के बावजूद भी उन्हें अलग अलग किया जा सकता है और उसके बुनियादी पहलुओं को देखा जा सकता है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जब कांगो को अपना उपनिवेश बनाने वाले देश, बेल्जियम ने कांगो को छोड़ा, तब उसकी स्थिति असाधारण थी। उन्होंने उसे एक ऐसा देश छोड़ा जिसमें प्रशिक्षित व्यक्ति थे ही नहीं ; हर प्रकार का काम बेल्जियम वालों के हाथों में था। यह एक बड़ी भारी समस्या थी। यदि उन्हें प्रशिक्षित व्यक्ति कहीं से भेजे भी जाते तो एक या अनेक देशों के अपने संसाधनों पर काफी बोझ पड़ता। वहां अन्य कोई समस्या नहीं है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ से सहायता मांगी और संघ ने सहायता देने की मंजूरी दे दी। यह ठीक चीज़ थी।

संयुक्त राष्ट्र संघ का यह कदम ठीक था। उन्हें यह काम पूरी तरह निभाना ही था अन्यथा इस रिक्ति की पूर्ति कोई दूसरा किसी अवांछनीय तरीके से करता। यदि यह न होता तो वहां आंतरिक गृह युद्धों का श्रीगणेश होता जिनके लिए उकसाहट मुख्यतः बाहर से आती। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ को वहां जाना ही चाहिये था और यही ठीक चीज़ थी। संघ के जाने का अर्थ वहां अपना शासन जमाना न था बल्कि उस देश की बुनियाद मजबूत करना था ताकि फिर वह आगे बढ़ सके।

इसलिये संयुक्त राष्ट्र संघ ने वहां जा कर अपना कर्तव्य संभाला। उसके बाद नयी समस्यायें पैदा हुईं। मैं माननीय सदस्यों से श्री राजेश्वर दयाल की नवीनतम रिपोर्ट अवश्य पढ़ने को कहूंगा। मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि श्री राजेश्वर दयाल को हमने वहां नहीं भेजा और न ही हमने उन्हें भेजने के लिये चुना था। वास्तव में हमें चुनने का मौका ही नहीं दिया गया। श्री हैमरशोल्ड ने ही हमें उनकी सेवायें देने को लिखा क्योंकि लेबनान में और न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र संघ में वे दोनों एक दूसरे से मिल चुके थे। हम उन्हें भेजना नहीं चाहते थे क्योंकि कराची में वे बड़े महत्वपूर्ण काम पर लगे थे। परन्तु फिर भी हम राजी हो गये और हमें जल्दी में उन्हें भेजना पड़ा और वह उस उलझन से भरे देश में जा पहुंचे। यद्यपि उनकी मूल्यांकन की शक्ति और अनुभव पर हमें भरोसा है तथापि हम यहां उनका मूल्यांकन पहले अनुभव के आधार पर नहीं कर रहे। जब से वह यहां से गये हैं हमारा उनसे सम्पर्क नहीं रहा। हम उन्हें कोई हिदायत नहीं देते, हालांकि कुछ लोगों का ऐसा ख्याल है। अब वह एक अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक पदाधिकारी की हैसियत से काम कर रहे हैं

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

और संयुक्त राष्ट्र संघ को उत्तरदायी हैं। उनकी दूसरी रिपोर्ट संघ ने प्रकाशित भी की है। उसकी प्रतियां यहां पुस्तकालय में रखी गई हैं। कुछ प्रतियां दलों के नेताओं को भी भेजी गई हैं। चूंकि यह रिपोर्ट न केवल वस्तुगत है वरन् एक ऐसे आदमी ने लिखी है जो समस्या को सुलझाने का काम कर रहा है इस कारण उसे अवश्य पढ़ा जाना चाहिए। उससे कांगो की स्थिति का ज्ञान हो जायगा।

इससे बहुत सी बातों का पता लगता है। एक चीज़ तो उससे यह विदित होती है जिसका मझे अफ़सोस है कि वहां पर बेल्जियम वालों ने उस तरह का आचरण नहीं किया जिस तरह का उन्हें करना चाहिए था। इतना ही नहीं, स्वतन्त्रता के बाद पहले पहल जो बेल्जियमवासी वहां से चले गये थे वे बहुत संख्या में फिर लौट आये। काफी लोग आने शुरू हो गये और न केवल वे लोग कटंगा जैसे प्रान्त में ही आये जहां पर उनका पूरा कब्जा है बल्कि लियोपोल्डविल में भी काफी बेल्जियमवासी आ धमके। सभा को याद होगा कि सुरक्षा परिषद् ने कई बार कहा कि उन्हें वापस चले जाना चाहिये। स्वभावतः सुरक्षा परिषद् का मतलब बेल्जियम सैनिकों और पैराट्रूपर्ज़ से था। असैनिकों के बारे में वह नहीं कह रहीं थी। किन्तु वहां अभी तक बेल्जियम सैनिक मौजूद हैं और थोड़ी संख्या में ही वे गये हैं। बेल्जियम की सरकार उनसे अपना कोई सम्बन्ध नहीं मानती और कहती है कि ये तो अलग अलग लोग हैं जो अपनी मर्ज़ी से वहां काम कर रहे हैं, वह कैसे हस्तक्षेप कर सकती है। परन्तु मैं समझता हूं कि उन्हें शीघ्र ही इस मामले में हस्तक्षेप करना होगा।

इस विषय पर मैं श्री राजेश्वर दयाल के प्रतिवेदन से एक या दो पैरे पढ़ कर सुनाना चाहूंगा। उन्होंने लिखा है :—

> "इस बात के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं कि हाल ही के सप्ताहों में अनेक बेल्जियमवासी कांगो लौटे हैं और प्रशासननिक और राजनैतिक मामलों में उनका हस्तक्षेप बढ़ा है, चाहे वे सलाहकार या कार्यकारी अधिकारियों के रूप में काम कर रहे हों। कांगो में, विशेषकर कटंगा तथा दक्षिण कसाई में शासकों को बेल्जियम के सैनिक तथा पैराट्रूपर्ज़ और असैनिक व्यक्ति उपलब्ध हैं। गत जुलाई के बहुसंख्यक निष्कासन के उपरान्त यह वापसी इस कारण से भी संभव हो सकती है कि वे ये सोचने लगे हों कि संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप के बाद वहां जानमाल की पूरी सुरक्षा होगी किन्तु बात की घटनाओं की विशालता तथा उनका स्वरूप इन बातों से व्याख्याबद्ध नहीं हो सकता।"

लियोपोल्डविल की स्थिति भी देखिये :—

> "जहां जुलाई में यहां पर ४,५०० बेल्जियम थे वहां अब इनकी संख्या बढ़ कर ६,००० तक पहुंच गई है, कुछ लोग ब्रेज़ाविल से ज़रूर वापस आये हैं लेकिन नियमित सुबेना सर्विस भर कर यात्रियों को ला रही हैं।"

एक मज़ेदार बात और है :—

> "जब कांगो में कुछ शांति और व्यवस्था कायम हो गई तो ब्रुसेल्स में कांगो के लिए भर्ती का एक अभिकरण स्थापित कर दिया गया।"

सभा इस बात पर ध्यान दे कि सारा काम संगठित तरीके से किया जा रहा है तथापि बेल्जियम की सरकार का कहना है कि यह अलग अलग लोगों का काम है।

आगे देखिये और क्या लिखा है :—

"एक और खास चीज यह है कि हाल ही में बेल्जियम के १२२ उम्मीदवारों ने कांगो में न्यायपालिका की सेवाओं के लिए एक संयुक्त आवेदन भेजा है। इससे केवल यही अनुमान नहीं होता कि इक्के दुक्के बेल्जियम स्वेच्छा से वहां नौकरियां ढूंढ रहे हैं।"

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

"सैनिक क्षेत्र में भी बेल्जियम वालों का प्रभाव है। बेल्जियमवासी एक कर्नल, लियोपोल्डविल के राष्ट्रीय प्रतिरक्षा मंत्रालय का सलाहकार है और एक भूतपूर्व बेल्जियम वारंट अफसर कर्नल मोबूर का ए० डी० टू० सी० है, जिसका पद कप्तान का है। कर्नल मोबूट ने ३६ कांगो वासियों को ब्रुसेल्स में प्रशिक्षण पाने को भेजा है। अब आप कटंगा की हालत देखिये जो कांगो से अलग हो जाना चाहता है :—

"कटंगा में सर्वत्र बेल्जियम प्रभाव है। लगभग सारे महत्वपूर्ण पदों पर या तो बेल्जियन स्वयं काम कर रहे हैं या फिर वे अनुभवहीन कांगोवासी अधिकारियों के सलाहकार हैं और पूरा नियंत्रण रखते हैं".

दक्षिण कसाई की स्थिति देखिये :—

"तथाकथित 'स्वायत्तशासी दक्षिण कसाई राज्य' में भी काफ़ी बेल्जियन प्रभाव है। इस समय वहां कर्नल क्रेवेश्यूर जो बेल्जियन वर्दी में काम कर रहे हैं, तथा दूसरे बेल्जियन कर्नल लेवाक्स के नेतृत्व में, युद्ध की सी तैयारियां हो रही हैं।"

अन्त में श्री राजेश्वर दयाल लिखते हैं:—

"इस सारी स्थिति से तथा अन्य जानकार सूत्रों की जानकारी से यही निष्कर्ष निकलता है कि बेल्जियम वाले धीरे धीरे दोबारा अपने पांव जमाने की कोशिश कर रहे हैं और चूंकि वे देश के महत्वपूर्ण राजनैतिक क्षेत्रों में घुस रहे हैं इसलिये बड़ी गंभीर स्थिति होती जा रही है।"

वैसे तो पहले ही कांगोवालों को कठिनाई का सामना करना पड़ा परन्तु इस प्रकार बेल्जियमवासियों के धीरे धीरे लौटने से और भी बड़ी बड़ी समस्यायें उत्पन्न हो गई। आप देखेंगे कि जहां भी बेल्जियन अधिक संख्या में हैं वहीं क्षेत्र कांगो से अलग हो जाने की मांग कर रहा है। वास्तव में बेल्जियन ही ऐसे आन्दोलनों के अग्रणी हैं। अब इन बातों से यदि हम यह निष्कर्ष निकालें कि बेल्जियनों के वहां मौजूद रहने और उन की संख्या के बढ़ने से यह समस्या और भी उलझ रही है, तो यह अनुचित न होगा। अतः सब से पहले संघ को वह कार्यवाही करनी होगी जो सुरक्षा परिषद ने बेल्जियनों के बारे में सुझाई है। यह ठीक है कि परिषद् ने असैनिकों की बात नहीं की, किन्तु ऐसी स्थिति में दोनों में अन्तर करना कठिन हो जाता है। वास्तविक रूप से यही बात लगती है कि बेल्जियम के अधिकारी इन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। उन प्रान्तों की बात छोड़ कर जो कांगो से अलग होना चाहते हैं, हम लियोपोल्डविल में ही देखते हैं कि वहां की विद्यमान तथाकथित सरकार बेल्जियनों द्वारा कभी इधर खींची जाती है कभी उधर।

इस तरह वहां काफी कठिनाइयां हैं। हम वहां प्रेज़ीडन्ट कासावूबू, प्रधान मंत्री लुमुम्बा, कर्नल मोबूटू तथा कॉलिज ऑफ कमिश्नर्स का नाम सुनते हैं, सब अलग अलग जा रहे हैं।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

किन्तु एक बात स्पष्ट है—वहां पर एक संसद थी जिसका चुनाव बेल्जियम द्वारा बनाये गये मूलभूत कानून के अनुसार हुआ था—यह कानून लगभग बेल्जियन संविधान के ही अनुरूप है। उसी संसद् ने प्रेज़ीडेन्ट कासावूबू तथा प्रधान मंत्री लुमुम्बा की नियुक्ति की। किन्तु बाद में एक और सज्जन कर्नल मोबूटू उठ खड़े हुये जिन्हें प्रधान मंत्री लुमुम्बा ने सेनापति नियुक्त किया था। इनके पद अब अवश्य ही बड़े बड़े लगते हैं पर वास्तव में पहले य साधारण लोग ही थे। जहां तक मैं जानता हूं कर्नल मोबूटू को सैनिक कार्यों का कोई अनुभव नहीं है। वह शायद कहीं पर क्लर्क वगैरा थे; परन्तु इससे हमें क्या; मुझे उससे विरोध नहीं। परन्तु इस सेनापति ने संसद और प्रधान मंत्री को अलग करने का फ़ैसला किया और कहा कि मैं हालात संभालूंगा और संसद् को समवेत नहीं होने दूंगा। उन्होंने कई बार श्री लुमुम्बा को गिरफ्तार करने का यत्न भी किया।

तो यह सब बड़ी असाधारण सी स्थिति है वहां पर संसद् ही मान्य संस्था थी; कर्नल मोबूटू को वैध, संवैधानिक या अन्य किसी आधार पर मान्यता नहीं दी जा सकती परन्तु असाधारण बात यह है कि फिर भी कुछ देशों ने उनका और उनके विचित्र कामों का समर्थन किया है। उनकी सेना अनुशासनविहीनता से काम ले रही है और लूटमार मचा रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना कठिनाई से ही लियोपोल्डविल में विधि तथा व्यवस्था कायम कर सकी।

इस समय प्रेज़ीडेंट कासावूबू न्यू-यार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन में भाग ले रहे हैं। राज्य के प्रमुख होने की हैसियत से उन्हें मान्यता मिली है परन्तु फिर भी यह प्रश्न उठा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कांगो का प्रतिनिधित्व कौन करे।

कुछ दिन पहले, शायद एक सप्ताह या दस दिन पहले, कांगो का सवाल संयुक्त राष्ट्रों के सामने आया लेकिन कुछ दूसरे ही सिलसिले में, संयुक्त राष्ट्र संघ से, संघ की ओर से वहां एक सद्भावना मंडल अथवा समझौता मिशन भेजने के सिलसिले में, जिसके सदस्य उन देशों के प्रतिनिधि ही होंगे जो कि वहां कांगो में संघ की ओर से काम कर रहे हैं—मैं समझता हूं कि ऐसे देशों की संख्या १५ होगी। जहां तक कि भारत का सवाल है हमने वहां कोई सैनिक दस्ते नहीं भेजे हैं। वैसे हमारे वहां सात या आठ सौ सैनिक हैं—जो अस्पतालों में तथा अन्य ऐसे ही काम कर रहे हैं। काफ़ी वादविवाद के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा यह निश्चित किया गया, एक संकल्प पारित किया गया कि कांगो पर और आगे चर्चा स्थगित कर दी जाये, जब तक कि यह यह मिशन वहां से वापस न आ जाये और अपना प्रतिवेदन दे दे। शायद यह एक बहुत अच्छा निर्णय था लेकिन इसके ठीक कुछ दिन बाद ही यह मामला फिर उठाया गया लेकिन दूसरी ही तरह, कि राष्ट्र संघ में कांगो का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, क्योंकि बहुत से आदमी हैं जो अलग अलग दिशा में चल रहे हैं और व्यक्तियों के दो या तीन दल हैं और प्रत्येक कांगो का प्रतिनिधित्व करना चाहता है और उसके पीछे किसी न किसी दल का समर्थन होता है। कौन सा दल अधिक ताकतवर है यह बताना मेरा काम नहीं है लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि एक चीज़ है जो हमें स्वीकार करनी चाहिये और वह है संसद्, और वहां की संसद् निर्वाचित संसद् है। पहली चीज़ जो कि होनी चाहिये वह यह है कि उस निर्वाचित संसद् की बैठक हो।

कुछ लोगों की ऐसी राय है कि वहां संसदीय व्यवहार का स्तर ऊंचा न हो, लेकिन यह कोई बात नहीं है। उसकी बैठक तो होने दी जाये, क्योंकि संसद् के अतिरिक्त जो व्यवहार है वह तो और भी बुरा है। हालांकि कर्नल मोबूटू संसद् की बैठक जबरदस्ती नहीं होने देते लेकिन दूसरे लोग इस बात को सहन कर रहे हैं और कर्नल कोबूटू को इस तरह प्रोत्साहन मिल रहा है, निश्चय ही यह प्रोत्साहन बेल्जियनों की ओर से है जो कि वहां मौजूद हैं, जो उसके कर्मचारी भी हैं। और सारा

दोष बेचारे कांगो निवासियों पर थोपा जा रहा है। कांगो निवासियों के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है और मैं यह अच्छी तरह जानता हूं कि यदि कांगोवासियों को उनके अपने ऊपर ही छोड़ दिया जाये तो यह ज़रूर है कि कुछ खून खराबा होगा लेकिन बाद को वे किसी नतीजे पर पहुंच जायेंगे और अपना काम चला लेंगे, जब कि अब सभी प्रकार के बाहरी लोग उनके रास्ते में आ रहे हैं, उनको विभिन्न मार्गों की ओर ले जा रहे हैं, और इस अभागे देश में एक प्रकार से शीतयुद्ध चल रहा है, और इन सब परिस्थितियों ने संसद् की बैठक तक होना मुश्किल कर दिया है।

यह कहा जाता है कि संसद् की बैठक नहीं हो सकती क्योंकि संसद् के कुछ सदस्य आ नहीं सकते। यह बड़ी अजीब बात है। भला वे आ क्यों नहीं सकते? अगर संयुक्त राष्ट्र संघ वहां पर्याप्त संख्या में सैनिकों के साथ काम करता, उसे संसद् की सुरक्षा की गारंटी लेनी चाहिये, इसके सभी सदस्यों की सुरक्षा की गारंटी लेनी चाहिये चाहे वे कटंगा से आयें अथवा अन्य किसी दूसरे स्थानों से। मुझे खेद है कि इन सब बातों को देखने से यह धारणा हो जाती है कि वहां कुछ लोगों का विचार है, कुछ देशों का विचार है कि वहां की संसद् की बैठक न हो, क्योंकि वे जानते हैं कि पता नहीं कि संसद् क्या निर्णय करे। हो सकता है कि वह ऐसा निर्णय करे जिसे कि वह नहीं चाहते। इसलिये वे इस में रुकावट डालते हैं और इन असंतुष्ट दलों को प्रोत्साहन देते हैं।

अतः मेरा निवेदन है कि इस मामले में पहली बात जो कि आवश्यक है वह यह है कि संसद् की बैठक हो। वे अपना नया प्रधान मंत्री चुने, नया राष्ट्रपति बनायें, और जो कुछ वे चाहें वह करें। कोई रास्ता निकालें, फिर संयुक्त राष्ट्र संघ उनकी सहायता कर रहा है, उन्हें परामर्श दे रहा है, और दूसरे लोग भी परामर्श दे रहे हैं। और दूसरी बात जो अत्यन्त आवश्यक है वह यह है कि बाहरी देशों का, किसी दूसरे देश का, जितना कम से कम हस्तक्षेप हो उतनी ही अच्छा है— और विशेष रूप से बेल्जियम का जितना कम हस्तक्षेप हो—साथ ही उन दूसरे देशों का भी हस्तक्षेप कम हो जिन्होंने कि कभी कभी हस्तक्षेप किया है, उतना तो नहीं जितना कि बेल्जियम ने किया है लेकिन किया ज़रूर है। यही दो खास बातें हैं जो मैं कहना चाहता हूं।

दो तीन दिन बाद, शायद परसों, संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से सद्भावना मंडल कांगो जा रहा है। मेरी शुभकामना है कि इस मंडल को सफलता मिले. मुझे आशा है कि सद्भावना के इस कार्य में उन्हें अवश्य ही सफलता मिलेगी और उनके लौट आने के बाद ही शायद संयुक्त राष्ट्र संघ इस समस्या का अच्छा हल निकाल सके। हम से कहा गया था कि हम इस आयोग में अपना एक प्रतिनिधि भेजें और हमने इस सभा के एक सदस्य श्री रामेश्वर राव को इसके लिये चुना है क्योंकि अफ़्रीकी देशों से उनकी जानकारी काफी है। और हमने सोचा कि उनके इस अनुभव से आयोग का काफी लाभ होगा।

†**आचार्य कृपालानी** (सीतामढ़ी): क्या कांगो में शांति स्थापित करने के लिये हम कुछ कर सकते हैं?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं बता चुका हूं कि पहली बात तो वहां बाहर से आने वाले अवांछनीय तत्वों को बाहर निकालना है।

†**आचार्य कृपलानी** : क्या हम इस विषय में कुछ कर सकते हैं?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री जवाहरलाल नेहरू : हम क्या कर सकते हैं हम यहां संयुक्त राष्ट्र संघ की समस्याओं पर विचार कर रहे हैं न कि भारत सरकार की समस्याओं पर। वे तो संयुक्त राष्ट्र संघ की समस्याएं हैं और भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सदस्य है और वहां की सभी कार्यवाहियों एवं चर्चा आदि में यह सक्रिय भाग लेता है।

यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ का है और वह इसके बारे में काफ़ी चिंतित है और हम तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य होने के नाते अपने विचार ही इस बारे में प्रकट कर सकते हैं, परामर्श दे सकते हैं, और संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सहयोग कर सकते हैं।

तीसरी बात संयुक्त राष्ट्र के स्वरूप के बारे में है। इस का स्वरूप सानफ्रान्सिस्को में बना था जहां कि पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्भव हुआ। यह स्वरूप कोई ठोस स्वरूप तो नहीं था, लेकिन ऐसा जरूर था जोकि किसी उद्देश्य का द्योतक था। जाहिर है कि उस के स्वरूप में एशिया तथा अफ्रीका के प्रति न्याय नहीं दिया गया था लेकिन अब यह स्पष्ट है कि उसके बाद से स्थिति में परिवर्तन हो गया है, इसमें बड़ी तेजी से परिवर्तन हो रहा है और कुछ ऐसी चर्चा हुई है कि इसके ढांचे में परिवर्तन किया जाय। हम यह अनुभव करते हैं कि ऐसा करना आवश्यक था लेकिन हमने यह बात कभी उठाई नहीं अथवा इस पर जोर नहीं दिया क्योंकि सभवतया ऐसा करने में चार्टर में संशोधन करना पड़ता और वह मामला काफी विवादन पद बन जाता और हम नहीं चाहते थे कि ऐसी बात हो। लेकिन अब जैसा कि घटनाओं में परिवर्तन हो रहा है, स्थिति बदल रही है, काफी संख्या में अफ्रीकी देश इसके सदस्य बन रहे हैं अतः यह स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्वरूप देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए पुराना पड़ गया है, और इसके बारे में अब कुछ न कुछ करना होगा। मैं साफ तौर पर इस सभा को यह बता देना चाहता हूं कि मेरे पास इस बारे में कोई स्पष्ट प्रस्ताव नहीं है कि यह स्वरूप क्या होना चाहिये। अगर ऐसे प्रस्ताव मेरे पास हो भी तो भी मैं उनको इस प्रकार नहीं रखूंगा क्योंकि इस पर अधिक सन्तोषजनक ढंग से तभी विचार हो सकता है जबकि काफी लोगों की इसमें सहमति हो यह कार्य शीत युद्ध से अर्थात् अमुक को मत दिया जाये, अमुक को नहीं, इससे नहीं हो सकता, यह ठीक है कि मतदान होगा लेकिन आपसी समझौता बहुत काफी होना जरूरी है। यही कारण है कि हम कोई स्पष्ट प्रस्ताव रखना नहीं चाहते। लेकिन बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र का स्वरूप आज वर्तमान स्थिति के अनुकूल नहीं है संसार की वर्तमान स्थिति अफ्रीका, एशिया और अन्य देशों की स्थिति के अनुकूल नहीं है। और यह बात सभी देश मानते हैं। यह बात नहीं है कि यह बात केवल अफ्रीका अथवा एशिया के लोग ही कहते हों। सभी देश, चाहे वे किसी भी वर्ग के क्यों न हों, इस असलियत को मानते हैं। बस मैं यही कह सकता हूं कि मुझे इस बात की आशा है कि इस मामले पर विचार होगा, शीत युद्ध के रूप में नहीं, बल्कि असलियत को ध्यान में रखते हुए, और कुछ न कुछ उपबन्ध निकाले जायेंगे।

यह स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ केवल वाद विवाद का अखाड़ा ही नहीं रह सकता। इस ने एक महान कार्य अपने ऊपर लिया है और कुछ कठिन समस्याओं का समाधान किया है। मुझे यह कहने में कोई शक नहीं है कि पिछले कुछ वर्षों में कई अवसरों पर संयुक्त राष्ट्र संघ के कारण युद्ध टल गया है। यह कहने में मुझे कोई शक नहीं है कि अगर संयुक्त राष्ट्र संघ न होता तो विश्व की हालत बुरी हो गई होती और हमें इस संघ जैसी चीज की तलाश करनी पड़ती और उसकी रचना करनी पड़ती। मैं ने अक्सर इस संघ की उन कार्यवाहियों की कड़ी आलोचना की है जिन से कि मैं सहमत नहीं था। लेकिन इसने जो कार्य किया है उसके लिये उस को एवं इस के सुयोग्य महामंत्री को बधाई देना चाहता हूं।

---

†मूल अंग्रजी में

इसलिए अब मैं इसकी रचना क बारे में और कुछ नहीं कहूंगा।

अब मैं सामान्य रूप से उपनिवेशवाद को लेता हूं। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं और यह सच भी है कि यह घट रहा है लेकिन फिर भी यदि रहता है तो भी कष्टकर है। और जितनी जल्दी यह समाप्त हो उतना ही अच्छा है। इसलिये जिस ढ़ंग से यह स्थगित किया जा रहा है वह अच्छी बात नहीं है। मैं यह तो नहीं कहता कि स्थिति एक ही दिन में बदल जाये लेकिन इसप्रश्न पर विचार करना होगा और निश्चित निर्णय करना होगा।

ये चार अहम मसले हैं जो संयुक्त राष्ट्र और विश्व के सामने हैं। और बहुत से मतभेद अथवा झगड़े जो आज विश्व में उठ गये हैं किसी न किसी रूप में इन चार बड़े प्रश्नों से गुथे हैं।

एक बात और भी है जो मैं सभा के सामने रखना चाहता हुं। कभी-कभी लोग भारत के तटस्थ रहने के बारे में बात चीत करते हैं। मैं ने हमेशा यह बात कही है कि इस सम्बन्ध में मुझे "तटस्थ" शब्द अच्छा नहीं लगता। कुछ देशों में 'सक्रिय तटस्थता" शब्दों क प्रयोग किया जाता है, मैं यह भी पसन्द नहीं करता। हमारा किसी से गठबन्धन नहीं है, हम सैनिक गुटों से अलग हैं। लेकिन हम कुछ विभिन्न नीतियों से. विभिन्न उद्देश्यों से, विभिन्न सिद्धान्तों से अवश्य बंधे हैं। तो जब ऐसे प्रस्ताव प्रस्तुत किये जा रहे हैं कि हम कुछ तटस्थ देशों के गुट बनायें तो मुझे यह बात अच्छी नहीं लगती, मुझे तो गुट बनाने की व्यवस्था ही अच्छी नहीं लगती, लेकिन हम लोगों से मिलते जुलते हैं, चर्चा करते हैं, हमारा सोचना समझना समान होता है, कभी-कभी हम एक ही सा कार्य भी करते हैं, और एक दूसरे के साथ भी सहयोग करते हैं।

पुराने दिनों में, पुराने दिनों से मेरा अभिप्राय चार पांच वर्ष पूर्व की बात है, बड़-बड़े देश, शक्तिशाली देश, बड़े बड़े सशस्त्र गुटों के नेता इन तटस्थ लोगों के बारे में ऊट पटांग बातें किया करते थे। लेकिन अब इस प्रकार का बर्ताव काफी बदल गया है। यह बर्ताव काफी मात्रा में उन क्षेत्रों के लिये बदल गया है जिन का किसी दूसरे देश के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। अब अफ्रीकी देशों के काफी संख्या में आ जाने से और न्यूनाधिक रूप में असम्बद्ध देशों के साथ सम्मिलित हो जाने से, अब स्थिति में काफी फर्क पड़ गया है। चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ हो या कोई और जगह अब इतना अवश्य है कि विश्व को ऐसे ही नहीं टाला जा सकता हालांकि इन सशस्त्र सैनिक गटों का विश्व की नीति में बहुत बड़ा हाथ होता है, लेकिन वे यह समझ गये हैं, कि दूसरे लोगों का भी अस्तित्व है और कभी-कभी यह अस्तित्व काफी शक्तिशाली भी होता है। स्थिति में इस प्रकार का विकास इसलिये हो रहा है, क्योंकि इस तथ्य के होते हुए भी कि अणु बम तथा इसी प्रकार की भयानक वस्तुओं का असीम महत्व होते हुए भी, मानव, उस के विचार, एवं उस की आकांक्षाओं का भी विश्व में, प्रत्येक देश में कोई अपना स्थान और महत्व है। इसीलिये आज विश्व के सामने एक आशा है। एक अहम बात यह है कि आज हम विश्व में एक यह भावना, जो कि निरन्तर बढ़ रही है, देख सकते हैं कि इस परिवर्तनशील उत्तेजनापूर्ण, हिंसक विश्व की समस्याओं कों हल धमकियों से अथवा सैनिक साधनों से नहीं हो सकता। लेकिन दुर्भाग्य की बात ता यह है कि इस बात को भली प्रकार समझते हुए भी देशों की समस्त शक्ति उन के साधन, धन और हर एक चीज सैनिक संसाधनों को बढ़ाने में ही लग रही है। बस एक बार किसी तरह हम इन बड़ी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर लें, तब फिर लोगों की विचारधाराओं में, घटनाओं के प्रति उन की प्रतिक्रिया में परिवर्तन हो जायेगा।

आज निश्चित रूप से इस बात का संकेत मिलता है कि, लोग और देश इस लीक में से निकलना चाहते हैं जिस में कि वे अब तक थे, वह लीक है विचारधारा और कार्य की लीक। हमेशा से ही यह कठिन बात रही है और विशेष रूप से हम भारतवासियों के लिये, जो कि और देशों की अपेक्षा कम लीक में पड़े हैं, कि हम अपनी विचारधारा और कार्यों की लीक को छोड़ें, लेकिन उन लोगों के लिये इ

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

लीक को छोड़ना और भी कठिन है जो पिछले कई वर्षों से संहारशील हथियारों, अन्तदर्शीय क्षेप्यास्त्रों और अणु तथा हाइड्रोजन बमों में विश्वास करते चले आये हैं और जिन की धारणा यह है कि ये ही उन्हें बचा सकते हैं और अन्ततोगत्वा जिन्होंने यह सोचना शुरू कर दिया है कि बढ़िया उपाय या रोक वही है जो कि दूसरों को नष्ट कर सके और दूसरों के मस्तिष्क में ये विनाश की भावना भर सके। जो लोग ऐसा सोचत हैं उन की आलोचना तो मुझे नहीं करनी चाहिये, क्योंकि उन की स्थिति दूसरी हो सकती है, दूसरों की अपेक्षा उन की भौगोलिक स्थिति तथा अन्य बातें अलग हो सकती हैं। फिर भी महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग सोचने लगे हैं कि समस्याओं के हल करने का यह पुराना ढ़ंग है, और वे कोई दूसरा उपाय ही ढूंढ़ रहे हैं।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

जब मैं, न्यूयार्क गया, तो मैं ने देखा और मुझे बड़ा दुख हुआ कि यह शीतयुद्ध पूरी कटुता एवं विषमता के साथ आगे बढ़ रहा है ले किन मैं ने सोचा तो यह अनुभव किया कि फिर भी हमें आशा है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ मौजूद है —जब संयुक्त राष्ट्र संघ की मैं बात करता हूं तो मेरा अभिप्राय प्रतिनिधित्व करने वाले देशों से होता है, उन के नेताओं से है, राष्ट्रपति और प्रधान मंत्रियों से है जो वहां जाते हैं —मैं ने यह अनुभव किया कि वे इन अहम मसलों को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। वे वहां केवल भाषण देने, तर्क करने आदि के लिये ही नहीं थे बल्कि वे इन मसलों को हल करने की कोशिश में थे ! उनके काम करने का ढ़ंग वास्तविक बनता जा रहा था। यह एक अच्छी बात है और इस में कोई शक की बात नहीं है कि आज सारे विश्व में ऐसा ही हो रहा है।

सारे विश्व में चारों ओर खतरा है, साथ ही यह भावना भी बढ़ रही है क्योंकि अन्ततोगत्वा बात यह है कि लड़ाई शुरू में मनुष्यों के दिमागों से शुरू होती है, और यही बात शायद यूनेस्को की प्रस्तावना में भी कही गई है, और अगर लोगों के दिमाग बदल गये तो, इस में कोई शक की बात नहीं है कि इस का प्रभाव युद्ध के शुरू करने पर पड़ेगा अथवा उस को जारी रखने में कामयाब होगा। मैं पूरी विनम्रता के साथ कह सकता हूं कि हम भारतीयों ने अपने धैर्य से, अपनी इस कोशिश से कि हमें कोई भी युद्ध की सी स्थिति में न डाल सके, ऐसे देशों को चाहे हम उन से सहमत भी न हों बुरा भला न कह कर, सभी देशों के साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर के, सब के साथ शांतिपूर्वक बातचीत करके हम ने ऐसा वातावरण तैयार करने में योग दिया है—भले ही हमारा वह योगदान थोड़ा ही हो।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोजाबाद) : मैं अपना संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री वाजपेयी** (बलरामपुर) : मैं अपना संशोधन संख्या २ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : मैं अपना संशोधन संख्या ४ प्रस्तुत करता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये, अर्थात्—

'यह सभा अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर, विशेष रूप से उन विषयों के बारे में जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के चालू अधिवेशन में उस के सामने आये हैं, विचार करने के पश्चात् भारत सरकार की तत्सम्बन्धी नीति का अनुमोदन करती है।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बा० चं० कामले** (कोपरगांव) : मैं अपना संशोधन संख्या ३ प्रस्तुत करता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मूल प्रस्ताव और संशोधन सभा के सामने हैं ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता मध्य) : अध्यक्ष महोदय, मेरा विचार है कि सभा मेरी इस बात से सहमत होगी कि हमारे प्रध न मंत्री का राष्ट्र संघ की जनरल असेम्बली के पिछले अधिवेशन में जाना बहुत अच्छा रहा है क्योंकि उस से हमें यह जानने का अवसर मिला है कि प्रत्येक राष्ट्र क्या चाहता है । प्रधान मंत्री ने आज जो कुछ कहा है और जो कुछ हम अखबारों में पढ़ चुके हैं उससे मालूम होता है कि भारत अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं औपनिवेशिक स्वतन्त्रता के लिये जो प्रयत्न कर रहा है उस के विरुद्ध कुछ राष्ट्र षडयंत्र कर रहे हैं । विशेषकर बेलजियम और पुर्तगाल का व्यवहार तो ऐसा रहा है जिस को सभी देश बुरा कहेंगे ।

जहां तक निःशस्त्रीकरण का संबंध है, भारत के विचारों का समस्त विश्व आदर करता है । प्रधान मंत्री ने कहा है कि निःशस्त्रीकरण और नियंत्रण एक साथ होने चाहियें । इस संबंध में सोवियत रूस और अन्य पश्चिमी देशों में कुछ मतभेद है । रूस पूर्ण निःशस्त्रीकरण का समर्थक है और चाहता है कि उस के लिये अभी से प्रयत्न प्रारम्भ कर देना चाहिये । दूसरी ओर पश्चिमी देश यह कहते हैं कि पहले नियंत्रण करना होगा और बाद में निःशस्त्रीकरण । इस प्रकार इस विषय पर भारत और रूस के बीच पूर्ण मतैक्य है । आज समस्त विश्व शांति चाहता है । और उसकी प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय निःशस्त्रीकरण ही है । खेद है कि भारत इस संबंध में जो प्रयत्न कर रहा है वे पश्चिमी राष्ट्रों की कार्यवाहियों के कारण उद्देश्य प्राप्ति में असफल रहे हैं ।

जहां तक उपनिवेशवाद के विरोध का प्रश्न है । मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री ने जो कुछ कहा उससे सभा के सभी सदस्य सहमत होंगे । क्यबा एक छोटा सा देश होने पर भी संयुक्त राज्य अमरीका के साम्राज्यवाद को चुनौती दे रहा है । प्रधान मंत्री को वहां की जनता के इस साहस की प्रशंसा करनी चाहिये थी ।

इस समय समस्त संसार का ध्यान कांगों पर केन्द्रित है । प्रधान मंत्री ने कहा है कि वहां की समस्या का हल संसद् की बैठक बुलाकर ही किया जा सकता है। इस संबंध में मैं श्री राजेश्वर दयाल के कार्य की प्रशंसा करूंगा । उन के प्रतिवेदन से ज्ञात होता है कि उन्होंने इस संबंध में कैसी कार्य कुशलता दिखाई है । मेरा विचार है कि यदि राष्ट्रसंघ ने पहले ही कांगों की जनता के प्रति सहानुभूति से काम लिया होता तो स्थिति इतनी खराब न होती । (**अंतर्बाधा**) हम जानते हैं कि कांगों की शांति भंग करने की जिम्मेदारी बेलजियम पर है । परन्तु बेलजियम अकेला नहीं है । हाल में नाटो के महासचिव श्री स्पाक ने यह कहा है कि नाटो शक्तियों को कांगों में डटा रहना चाहिये अन्यथा वहां साम्यवादी अपना अधिकार जमा लेंगे । मैं समझता हूं कि यह समाजवाद की प्रशंसा ही है कि उपनिवेशों की स्वतन्त्रता के संबंध में समाजवाद की स्थापना की आशंका की जाती है । वास्तव में बेलिजियम तथा उस के मित्र जो कुछ कर रहे हैं वह सर्वथा निन्दनीय है । प्रधान मंत्री ने कहा कि हम एक दिन में कुछ नहीं कर सकते हैं । मेरा निवेदन है कि कांगों में कुछ निहित शक्तियां कार्य कर रही हैं जो समझौते के प्रयत्नों को विफल बना रही हैं । अतः हमें कांगों को स्वतन्त्र कराने का प्रयत्न जारी रखना चाहिये ।

प्रधान मंत्री ने राष्ट्रसंघ के संगठन में परिवर्तन करने का सुझाव दिया । वास्तव में अनेक नये देशों के स्वतन्त्र हो जाने से राष्ट्रसंघ का संगठन गतकाल हो गया है । यह ठीक है कि इस संबंध में जल्दबाजी नहीं की जा सकती है । परन्तु संगठन में परिवर्तन होना अवश्य चाहिये । आंकड़ों से ज्ञात होता है कि राष्ट्रसंघ के सहायक सचिवों के २८ पदों में से १७ पद पश्चिमी गुट के हाथ में हैं । इसी

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

प्रकार महानिदेशकों के ३४ पदों में से २८ पश्चिमी गुट के हाथ में हैं। यह असंतुलन बहुत ज्यादा है। इस प्रकार के असंतुलन के रहते हुए किसी समस्या का सही हल नहीं हो सकता है। अतः हमें राष्ट्र संघ के संगठन में परिवर्तन का प्रयत्न जारी रखना होगा।

इस के बाद मैं गोवा के प्रश्न पर आता हूं। वास्तव में पुर्तगाल के रवैये को सभी देश नापसंद करते हैं और यही कारण है कि पुर्तगाल सुरक्षा परिषद् में प्रवेश नहीं पा सका था। प्रधान मंत्री ने कहा कि गोवा के कुछ बन्दी पुर्तगाल अथवा पुर्तगाली अफ्रीका भेज दिये गये हैं अतः हम उन के संबंध में कुछ नहीं कर सकते हैं। यह बड़े दुख की बात है। यही नहीं दादरा और नागर हवेली को भी अभी तक भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं मिलाया जा सका है। हमें उन को यथाशीघ्र अपने राज्य क्षेत्र में मिला लेना चाहिये। पुर्तगाल को जितनी जल्दी अपने देश से निकाला जा सके उतना ही अच्छा होगा।

जहां तक अल्जीरिया के प्रश्न का संबंध है प्रधान मंत्री ने उस का कोई उल्लेख नहीं किया है। यदि फ्रांसीसी सरकार प्रयत्न करे तो वहां की स्थिति में अभी भी सुधार हो सकता है। लगभग २० देश फरहत अब्बास की सरकार को मान्यता दे चुके हैं। पता नहीं हम ने अभी तक वैसा क्यों नहीं किया है? हम उन के प्रति सहानुभूति तो प्रदर्शित करते हैं। फिर उसे मान्यता देने में क्या अड़चन है?

हमारे प्रधान मंत्री औपनिवेशिक स्वतन्त्रता, निःशस्त्रीकरण और अन्तर्राष्ट्रीय शांति की बात तो करते हैं परन्तु खेद है कि पड़ौस की समस्याओं के हल की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यह समय नई बांडुंग भावना के निर्माण के लिये बहुत उपयुक्त है। पिछले दिन ही इंडोनेशिया के विदेश मंत्री ने डमडम हवाई अड्डे पर भाषण करते हुए उस का निर्देश किया था। सम्मेलन आमंत्रित करने में कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां हो सकती हैं यह मैं स्वीकार करता हूं। परन्तु उस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयत्न तो किया ही जा सकता है जैसा कि ५ वर्ष पूर्व बांडुंग में किया गया था। मैं चाहता हूं कि चीन के साथ हमारा सीमा विवाद शीघ्र हल हो जाय। बर्मा, नेपाल और इंडोनेशिया की समस्यायें हल हो गई हैं। यदि सब एशियाई देश सहयोग करें तो उपनिवेशवाद को शीघ्र समाप्त किया जा सकता है। खेद है कि कुछ लोग बांडुंग भावना के निर्माण में अड़चन डाल रहे हैं। हमें इन अड़चनों को दूर करके अफ्रेशियाई देशों की एकता स्थापित करनी चाहिये। वास्तव में शांति, औपनिवेशिक स्वतन्त्रता और निःशस्त्रीकरण की समस्यायें एक दूसरे से निकटतया संबद्ध हैं। उन के हल के लिये यह नई बाडुंग भावना अत्यन्त आवश्यक है।

†**श्री नाथ पाई** (राजपुर) : माननीय सदस्य को जानना चाहिये कि चीन ने ल्हासा में बाडुंग को दफना दिया है।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : मैं जानता हूं और यह भी बता देना चाहता हूं कि हमारी नीति सर्वथा स्पष्ट है। हम भारत चीन विवाद का यथाशीघ्र हल चाहते हैं। हम यह अनेक बार घोषित कर चुके हैं कि यदि भारतीय राज्य क्षेत्र का अतिक्रमण किया जायेगा तो साम्यवादी सब से पहले देश की रक्षा के लिये आगे कदम बढ़ायेंगे।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली) : यह "यदि" क्यों लगाते हैं?

†**सेठ गोविन्द दास** (जबलपुर) : क्या अभी तक हमारे राज्य क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं हुआ है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति । माननीय सदस्यों को सब के विचार जानना चाहिये ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी:** जब देश की रक्षा के लिये आ ह्वान किया जायेगा तब हम देखेंगे कि कौन पहले आ गे आता है ? हमारा देश शांतिपूर्ण तरीकों में विश्वास करता है और हम सरकार की शांति की नीति का समर्थन करते हैं । हमें जो बुरा भला कहा जाता है उस को मैं उपेक्षित कर सकता हूं परन्तु मिथ्या प्रचार करना ठीक नहीं है । कल प्रधान मंत्री ने तीन व्यक्तियों का उल्लेख किया था । उन में से एक व्यक्ति सरकार की जानकारी का प्रतिवाद कर चुका है । दूसरे श्री कृष्ण भट्ट के सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कह सकता । तीसरे व्यक्ति श्री मजूमदार हैं जिन्हें मैं भली प्रकार जानता हूं । वह इस प्रकार की बात कभी नहीं कह सकते हैं । मेरा विचार है कि सरकार का जो सूचना विभाग है वह गलत जानकारी एकत्रित कर लेता है । ऐसी जानकारी के आधार पर दोषारोपण करने से परिस्थिति अनावश्यक रूप से खराब हो जाती है ।

हाल में हमारे एक नेता जो पहले दल के महामंत्री रह चुके हैं, जब हिमाचल प्रदेश गये थे तो हिन्दुस्तान टाइम्स में उन के भाषण का गलत वृत्तान्त प्रकाशित हुआ था जो स्थानीय पत्रों में प्रकाशित वृत्त त से सर्वथा भिन्न था । इस से मालूम होता है कि इस प्रकार का गलत प्रचार जान बूझ कर किया जाता है ।

हम सब अपने सीमान्तों की रक्षा करने के पक्ष में हैं । मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह सीमान्त के राज्यों की समस्याओं के हल की ओर ध्यान दे । पंजाब और आसाम की समस्यायें अत्यन्त जटिल हैं । जहां तक आसाम का संबंध है, वहां नागा क्षेत्र में आज भी युद्ध का वातावरण छाया हुआ है । सरकार को इस ओर अधिक ध्यान देना चाहिये ।

फिर पाकिस्तान का प्रश्न भी सीमान्त से ही संबंधित है । हम पाकिस्तान के साथ मित्रता तो चाहते हैं परन्तु साथ ही यह नहीं चाहते कि उस से हमारा किसी प्रकार अहित हो । हमें पाकिस्तान की ओर से सदा सचेत रहना चाहिये । अमेरीका उसे जो सैनिक सहायता दे रहा है वह एक गंभीर चीज है । पाकिस्तान के राष्ट्रपति काश्मीर के संबंध में भी यदाकदा धमकियां देते रहते हैं । इस पर भी हम पाकिस्तान को बेरूबाड़ी का क्षेत्र हस्तांतरित कर रहे हैं । मेरा निवेदन है कि हमें सीमा त के संबंध में बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिये ।

अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि हमें उपनिवेशवाद के विरुद्ध अपनी लड़ाई को जारी रखना चाहिये । इस संबंध में भारत ने राष्ट्र संघ में जो कार्य किया है वह अत्यन्त प्रशंसनीय है । हमें अफ्रेशियाई एकता के लिये बांडुंग भावना को पुनः जाग्रत करना होगा । विश्व के इतिहास को बदलने के लिये अफ्रेशियाई एकता अत्यन्त आवश्यक है । हमें अधिक वास्तविक नीति अपनाने का प्रयत्न करना चाहिये ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा): चौथे श्वेत पत्र के उपस्थापन के पश्चात् से यह पहिला अवसर है जब कि हमें भारत-चीन से संबंधित प्रश्नों के संबंध में कुछ कहने का अवसर मिला है । प्रधान मंत्री से जब वायु क्षेत्र के उल्लंघन करने के संबंध में प्रश्न पूछे गये तो उन्होंने उन प्रश्नों को यह कह कर टाल दिया कि इस प्रकार के अतिक्रमण महत्वहीन है । इस संबंध में श्वेत पत्र में यह लिखा गया है कि इस प्रकार के अतिक्रमणों के भयंकर परिणाम हो सकते हैं । उक्त श्वेत पत्र में कहा गया है कि वायु सीमा का १०१ बार अतिक्रमण किया गया है किन्तु चीन ने एक मामले में भी अतिक्रमण स्वीकार नहीं किया है और जब भी उन का ध्यान इस ओर दिलाया गया है उन्होंने उल्टा हमारे ऊपर आरोप लगा दिया ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी]

वस्तुतः चीन एक नई चाल चल रहा है और वह चाल यह है कि भारत को उस के पड़ौसी देशों से पृथक कर दिया जाय और अवसर पड़ने पर उस पर आक्रमण कर दिया जाय। इसी उद्देश्य को सामने रख कर चीन ने भारत के पड़ौसी देशों से पृथक पृथक संधियां कर ली हैं, और वह भारत के विरुद्ध प्रचार कर रहा है। चीन के प्रधान मंत्री श्री चाऊ-एन-लाई ने अपने वक्तव्य में यह कहा है कि यद्यपि भारत की जनता चीनी जनता की तरह यह चाहती है कि सीमा संबंधी विवाद का शीघ्रता से हल किया जाय तथापि भारत सरकार इस बात पर रोड़े अटका रही है। इस प्रकार उन्हों ने भारत की जनता और सरकार में विभेद करने का प्रयत्न किया है। मुझ से पूर्व वक्ता ने भी बिल्कुल यही बात कही है कि जनता इस विवाद का हल चाहती है तथापि कुछ लोग इस बात पर रोड़े डाल रहे हैं। उन का आशय यह था कि सरकार इस मामले में बाधा उपस्थित कर रही है।

वस्तुतः सीमावर्ती क्षेत्रों में गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है, वहां भारत विरोधी प्रचार किया जा रहा है और लोगों को इस प्रकार भड़काया जा रहा है कि यदि वहां चीनी आ भी जायेंगे तो वहां के लोगों की स्थिति में और अधिक सुधार होगा। मुझे प्रसन्नता है कि सरकार ऐसी कार्यवाहियों को रोकने के लिये एक कानून बनाने का विचार कर रही है।

मेरा सुझाव है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास के कार्य को सर्वप्रथम पूर्वाधिकता दी जाय। सीमावर्ती इलाके तथा सिक्किम में वहां की सरकार और जनता के सम्बन्धों में सुधार किया जाय। मुझे ज्ञात हुआ है कि सिक्किम की जनता वहां लोकप्रिय सरकार की मांग कर रही है, उनकी मांग को तत्काल पूरा किया जाय, अन्यथा वहां की जनता संतुष्ट नहीं हो सकती है।

अब मैं संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्बन्ध में कुछ बातें कहना चाहता हूं। सबसे प्रमुख समस्या संयुक्त राष्ट्र की संरचना के सम्बन्ध में है। भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निश्चित नीति नहीं अपनायी है। वस्तुतः संयुक्त राष्ट्र का वर्तमान सत्र शीर्ष सम्मेलन की तरह था, क्योंकि उसमें कई देशों के प्रधान उपस्थित थे और अफ्रीका के नव-स्वतंत्र राष्ट्रों को भी वहां पहिली बार अपना प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला था। इस सत्र में कई अच्छी बातें भी सामने आईं पहिली बात यह थी, एशियाई-अफ्रीकी देशों के गुट का, जिसे अब तक कोई महत्व नहीं दिया जाता था, उसका महत्व संयुक्त राष्ट्र के सम्मुख पहिली बार प्रकट हुआ, समस्त देशों ने लगभग एक हो कर संगठित रूप से अपनी मांग प्रकट की। दूसरे भारत की तटस्थता की नीति को उचित सम्मान प्रदान किया गया, और उसे ही विश्व की तनातनी कम करने का एक मात्र अस्त्र स्वीकार किया गया।

हमारे प्रधान मंत्री द्वारा पांच राष्ट्रों की ओर से जो प्रस्ताव रखा गया था, वह वस्तुतः उचित समय में नहीं रखा गया था, स्वयं प्रधान मंत्री को भी उसके स्वीकार किये जाने की बहुत कम आशा थी। अतः वही हुआ जो होना था, किन्तु इससे समस्त विश्व में व्यापक प्रतिक्रिया हुई।

अब मैं कांगो के सम्बन्ध में कुछ बातें कहना चाहता हूं। कांगो में संसद् तथा राज्याध्यक्ष को दबा दिया गया है, उनके स्थान में वहां कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो कांगो की जनता को मान्य हो सके। श्री राजेश्वर दयाल ने अपने प्रतिवेदन में कांगो की संसद् और राज्याध्यक्ष की सत्ता बनाये रखने पर जोर दिया है, वस्तुतः हमें श्री दयाल तथा वहां कार्य कर रहे भारतीय अधिकारियों की प्रसंशा करनी चाहिये जिनके कार्यों से वहां की स्थिति में सुधार हुआ है। हमें यह स्पष्ट करना चाहिये कि हमारी सरकार ऐसी किसी शक्ति के साथ गठबंधन नहीं करेगी जो कांगो में संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों पर रोड़ा अटकायें।

संयुक्त राष्ट्र की संरचना के सम्बन्ध में हमारे प्रधान मंत्री ने कोई स्पष्ट राय व्यक्त नहीं की है। उन्होंने केवल श्री ख्रुश्चेव के सुझाव का विरोध किया है और कहा है कि उनका सुझाव अव्यवहारिक है। मेरा मत यह है कि श्री ख्रुश्चेव का सुझाव न केवल अव्यावहारिक ही है अपितु यह संयुक्त राष्ट्र की कार्यपालिका में भी गुटबन्दी फैलाने का प्रयास है।

वस्तुतः संयुक्त राष्ट्र के विरुद्ध आरोप लगाने का यह पहिला मौका ही नहीं है, जब कभी भी संयुक्त राष्ट्र के समक्ष कोई ऐसा मामला आया जिससे कि इन बड़े राष्ट्रों के हितों को चोट पहुंची, वे तत्काल इसकी आलोचना करने लगे। वस्तुतः निहित स्वार्थों का यही रवैया होता है कि वे विश्व तथा मानव हितों से सम्बन्धित ऐसे मामलों को संयुक्त राष्ट्र के समक्ष नहीं आने देना चाहते हैं, जिन से उनके हितों पर आघात होता है। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि मैं संयुक्त राष्ट्र की संरचना में परिवर्तन करने का विरोधी हूं, निसंदेह जब इस व्यवस्था में विश्व के छोटे छोटे राज्यों को अपने प्रतिनिधित्व करने और अपना दृष्टिकोण रखने का अवसर नहीं मिलता है तो वर्तमान संरचना में परिवर्तन करना आवश्यक है। मेरा यह भी सुझाव है कि बड़े राष्ट्रों से वीटो शक्ति वापस ले ली जाय, क्योंकि इसके कारण कई बार छोटे राष्ट्रों को एक या दूसरे गुट के पक्ष में मतदान देना होता है।

अब मैं सुरक्षा परिषद् के सम्बन्ध में कुछ बातें कहना चाहता हूं। सुरक्षा परिषद् में छह देशों के लिये अस्थायी स्थान हैं, वे भी इस प्रकार भरे जाते हैं कि उसमें एशियाई और अफ्रीकी गुट को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। यह ज्ञात हुआ है कि इस सत्र में अफ्रीकी एशियाई गुट ने यह प्रस्ताव रखा था कि सुरक्षा परिषद् की सदस्यता ११ से बढ़ा कर १३ कर दी जाय और यह प्रस्ताव भी रखा गया था कि आर्थिक और सामाजिक परिषद् में सदस्यता की संख्या १८ से बढ़ा कर २४ कर दी जाय। भारत ने उक्त दोनों प्रस्तावों का विरोध किया। जब कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत इस बात के लिये प्रयत्न कर रहा है कि एशियाई और अफ्रीकी गुट को अधिकाधिक प्रतिनिधित्व मिले, मैं चाहता हूं कि इस बात का स्पष्टीकरण किया जाय कि हमने इस प्रस्ताव का विरोध क्यों किया।

अब मैं आर्थिक सहायता के प्रश्न को लेता हूं। विकासशील देश अधिकाधिक विदेशी सहायता पर निर्भर कर रहे हैं, इस प्रकार इन देशों में बड़े देशों का प्रभाव फैलता जा रहा है। अतः इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि इन देशों को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ही सहायता दी जाय। वस्तुतः यह सुझाव एशियाई समाजवादी सम्मेलन में १९५३ में ही रखा गया था, वस्तुतः यह उचित समय है कि भारत सरकार इस आशय के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तुत करे।

मुझे प्रसन्नता है कि तिब्बत का प्रश्न कार्यसूची में रखा गया है। तथापि यह दुख की बात है भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इस सम्बन्ध में अपना मत देने से इन्कार कर दिया। वस्तुतः भारतीय प्रतिनिधिमंडल इस प्रश्न पर जनता का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है, मेरे विचार से भारत को ऐसी नीति नहीं अपनानी चाहिये कि भारत पर भविष्य में यह आरोप लगे कि इसने ऐसे समय जब कि एक राष्ट्र में मानव अधिकारों को कुचला जा रहा था और वहां की स्वतंत्रता का अपहरण किया जा रहा था, उस राष्ट्र का साथ नहीं दिया। मैं चाहता हूं कि तिब्बत के सम्बन्ध में भारतीय जनता की भावनाओं का सही प्रतिनिधित्व किया जाय।

अपना भाषण समाप्त करने के पूर्व मैं भारतीय प्रतिनिधिमंडल की संरचना के सम्बन्ध में कुछ बातें कहना चाहता हूं। विश्व राजनीति में भारत को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता जा रहा है अतः यह आवश्यक है कि प्रतिनिधिमंडल का चुनाव उचित तरीके पर किया जाय, मेरे विचार से

[श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवदी]

श्री मेनन को प्रतिनिधिमंडल का नेता चुनना ठीक नहीं है, क्योंकि अब यह बात लगभग सभी लोग जान गये हैं कि उनका एक विशेष गुट की ओर रुझान है, अतः उनकी उपस्थिति से भारत की स्थिति संकटपूर्ण हो जाती है, मैं चाहता हूं कि भविष्य में इस पर विचार किया जाय।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मुझे यह जान कर आश्चर्य हुआ कि एक माननीय सदस्य ने हमारे देश की वैदेशिक नीति का केवल इस कारण समर्थन किया है कि हमारी नीति एक विशेष गुट की नीति की तरह है। ऐसा कहना देश की वैदेशिक नीति के साथ अन्याय करना है। हमारी वैदेशिक नीति का न केवल विश्व के राजनीतिज्ञों और समाचार पत्रों ने ही समर्थन किया है अपितु विश्व की करोड़ों जनता ने उसका समर्थन किया है। हमारी वैदेशिक नीति किसी विशेष देश या गुट पर निर्भर नहीं करती अपितु आत्मनिर्भरता और स्वतंत्र विचार का परिणाम है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान सत्र में प्रधान मंत्री का न्यूयार्क जाना बहुत ही अच्छा हुआ। जिन लोगों ने उनके भाषणों को पढ़ा है वे मेरे इस कथन का समर्थन करेंगे कि प्रधान मंत्री उन सभी समस्याओं पर जो कि विश्व को उलझा रही थीं स्पष्ट और प्रभावशाली निर्णय करने में समर्थ रहे। उन्होंने यह उचित ही कहा कि इस समय विश्व को सबसे अधिक आवश्यकता निशस्त्रीकरण और शांति की है। २० राष्ट्रों का वह संकल्प, जो कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेता द्वारा रखा गया था, उचित दिशा की ओर एक कदम था। इसके अतिरिक्त पांच तटस्थ राष्ट्रों के द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव भी जिसे हमारे प्रधान मंत्री द्वारा रखा गया था, स्वीकार नहीं किया गया। उसके मुख्य प्रवर्तक अंग में संशोधन की मांग की गई। यह बहुत दुख की बात है और इससे ज्ञात होता है कि संयुक्त राष्ट्र में बड़े राष्ट्र किस प्रकार का रवैया अपनाते हैं। तथापि विश्व बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है और वह दिन दूर नहीं है जब कि विश्व का नेतृत्व इन निहित स्वार्थ वाले लोगों से हट कर उन राष्ट्रों के पास आ जायेगा जो कि सच्चाई का पक्ष ले सकेंगे।

प्रधान मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो कार्य किया उसका केवल अस्थायी महत्व नहीं है अपितु उसका ऐतिहासिक महत्व है। प्रधान मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान स्वरूप की स्पष्ट आलोचना की जिसे विश्व के करोड़ों व्यक्तियों ने बहुत पसन्द किया।

विश्व के सामने इस समय सब से बड़ी समस्या निःशस्त्रीकरण की है। इसके संबंध में ब्रिटेन तथा अन्य राष्ट्रों द्वारा एक संकल्प रखा गया था, वह बहुत विस्तृत है, वस्तुतः केवल संकल्पों के सहारे निःशस्त्रीकरण नहीं हो सकता है। इसके लिये अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने अपने रायपुर सत्र में जो प्रस्ताव रखा था वह अधिक व्यावहारिक था। इसके अनुसार निःशस्त्रीकरण के कार्यक्रम में दोनों गुटों में संतुलन होना आवश्यक है, इसके अलावा एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र के शस्त्रास्त्रों का निरीक्षण करने का भी अधिकार होना चाहिये। भारत ने भी निःशस्त्रीकरण पर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, यद्यपि उसे अयथार्थ कहा गया तथापि मेरे विचार से निःशस्त्रीकरण प्राप्त करने की दिशा में वह महत्वपूर्ण कदम था।

अब मैं अफ्रीका के प्रश्न को लेता हूं। अफ्रीका के कई देशों को अभी हाल स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। कांगो में निःसंदेह संकट पैदा हो गया है। हमें कांगो की अवस्था पर निहित स्वार्थ वाले साम्राज्यवादी देशों के दृष्टिकोण से विचार करना नहीं है अपितु उस देश में शांति स्थापना तथा वहां के निवासियों में शांति तथा प्रसन्नता पैदा करने की दृष्टि से विचार करना है। मुझे प्रसन्नता है कि कांगो में हमारे देशवासी शांति स्थापना के लिये महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। हमें उनके कार्य पर गर्व है।

---

†मूल अंग्रेजी में

यह दुख का विषय है कि अल्जीरिया के प्रश्न पर अभी तक समझौता नहीं हुआ है। मेरा सुझाव है कि अल्जीरिया के निवासियों को स्वायत्तता का अधिकार प्रदान किया जाय इसके लिये वहां संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी की अध्यक्षता में जनमत संग्रह करवाया जाय। लगभग २० देशों की सरकार ने अल्जीरिया की सरकार को मान्यता कर दी है, इस प्रकार यह समस्या गंभीर होती जा रही है। मैं आशा करता हूं कि जनरल डिगाल की सरकार इस समस्या का सही हल निकालने में समर्थ होगी।

विश्व के उपनिवेशवाद के इतिहास में पुर्तगाल एक काला धब्बा है। पुर्तगाल अब भी १०० वर्ष पुराने तौर तरीके अपना रहा है वहां की जनता भी बलात् सैनिक कानून के अधीन रखी जाती है। अतः वह अपनी इच्छा में व्यक्त नहीं कर पाती है। पुर्तगाल के उपनिवेशवाद को समाप्त करने के लिये विश्व संस्था को कोई कड़ा कदम उठाना चाहिये।

जहां तक संयुक्त राष्ट्र की संरचना का प्रश्न है, यह एक गम्भीर विषय है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र एक बहुत बड़ी संस्था है, अतः इसके गठन में परिवर्तन करने के प्रश्न पर बहुत सावधानी से विचार करना चाहिये। क्योंकि यदि इस सम्बन्ध में जल्दबाजी से काम किया गया तो और भी अधिक आपत्ति खड़ी हो सकती है। तथापि मेरे विचार से सुरक्षा परिषद् के गठन में परिवर्तन होना आवश्यक है। सुरक्षा परिषद् संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख अंग है तथापि उसमें तटस्थ राष्ट्रों के लिये कोई स्थान नहीं है, यदि इसकी रचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो भारत को इसमें प्रतिनिधित्व प्राप्त करने में ३५ वर्ष लग जायेंगे, अतः इस परिषद् की संरचना में इस प्रकार का परिवर्तन करना आवश्यक है कि तटस्थ राष्ट्रों को भी प्रतिनिधित्व मिल सके।

अब मैं दक्षिण अफ्रीका को लेता हूं। वहां की जाति भेद सम्बन्धी नीतियों की समस्त विश्व में आलोचना हुई है, अतः यदि संयुक्त राष्ट्र को अपना अस्तित्व बनाये रखना है और अपनी प्रतिष्ठा कायम रखनी है तो उसे दक्षिण अफ्रीका से जातिभेद को बिल्कुल हटाने का प्रयत्न करना चाहिये।

अन्त में, मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि संयुक्त राष्ट्र की संरचना में प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये सुझावों के अनुसार परिवर्तन किया जायेगा तो निसंदेह उसके अस्तित्व को बल प्राप्त होगा और वह विश्व में शांति, स्वतंत्रता व सुख का प्रसार करने में समर्थ होगी।

†**डा० गोहोकर** (यवतमाल) : संयुक्त राष्ट्र महासभा का पिछला अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण रहा, इसका कारण यह था कि उसमें विश्व के सभी बड़े बड़े देशों के अध्यक्ष मौजूद थे। इस अधिवेशन के दौरान दो महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करने का प्रयत्न किया गया। पहिला विषय अफ्रीका का था। अफ्रीका के सम्बन्ध में, मैं पहले पहल कांगो के प्रश्न को लेने का प्रयत्न करूंगा। कांगो अफ्रीका के बहुत बड़े देशों में से एक है और उसका भविश्य अत्यन्त उज्जवल है। जहां तक कांगो का प्रश्न है हमें यह जान लेना चाहिये कि वहां का स्वतंत्रता आन्दोलन केवल तीन या चार वर्ष पुराना है, केवल इतनी ही अवधि में बेल्जियम ने अपने औपनिवेशिक अधिकार छोड़ कर उन्हें स्वतंत्रता देने का निश्चय किया। बेल्जियम के विचारानुसार उसे यह विश्वास था कि आर्थिक तथा वाणिज्यिक क्षेत्र में उसका प्रभुत्व रहेगा तथापि वहां के प्रधान मंत्री ने वाम पंथी रवैया अख्तयार किया, इसका फल यह हुआ कि बेल्जियम वासियों को अपने परिवार वापस भेजने पड़े, लेकिन जब कांगो की राजधानी लियोपोर्डवील में ही दंगा हो गया और बेल्जियम के परिवारों को खतरा पैदा हो गया तो बेल्जियम को अपनी सेनायें भेजनी पड़ीं। इधर कटांगा के अध्यक्ष श्री शोम्बे व

†मूल अंग्रेजी में

[डा० ग हीकर]

श्री लुमुम्बा के बीच मतभेद बढ़ते गये, और बेल्जियनों की ओर से उन पर दबाव पड़ने का यह प्रभाव हुआ कि उसने कांगो की सरकार से सम्बन्ध विच्छेद कर लिया। इधर श्री लुमुम्बा की स्थिति कमजोर होती गई और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप करने की अपील की। इसी बीच कर्नल मौबूटू ने राज्य का तख्ता उलट देने का प्रयत्न किया ; उसने श्री लमम्बा को कैद करने का भी प्रयत्न किया तथापि वह संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप के कारण सफल नहीं हुआ।

संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान अधिवेशन ने यह निर्णय किया कि कांगो के विरोधी राजनैतिक पक्षों में समझौता करने की दृष्टि से एक समझौता आयोग कांगो जायेगा। श्री केसवूबू ने इस आयोग के प्रति अपनी असहमति प्रगट की है। मेरा विचार है कि यदि कांगो में विदेशी राष्ट्र हस्तक्षेप न करते और वहां के राजनीतिज्ञ अनुभवी होते तो कांगो की दशा इतनी नहीं बिगड़ती। यद्यपि श्री लुमुम्बा ने जनमत संग्रह की अपील की है तथापि मेरा विचार है कि वहां की संकटपूर्ण स्थिति में जनमत संग्रह करवाना ठीक नहीं है, और वहां के संसद् सदस्यों को ही कार्य करने का अवसर दिया जाय।

दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न निःस्त्रीकरण के सम्बन्ध में था। इस सम्बन्ध में श्री ख्रुश्चेव ने यह प्रस्ताव रखा कि आगामी बसंत में इस सम्बन्ध में एक विशेष अधिवेशन किया जाय। उनका यह भी मत था कि दो विरोधी गुटों के दस देशों के अलावा तटस्थ राष्ट्रों के भी पांच सदस्य निशस्त्रीकरण पर विचार करने वाली नई समिति में शामिल किये जायं। इस सम्बन्ध में भारत के प्रतिनिधिमंडल के नेता श्री मेनन ने भी एक ग्यारह राष्ट्रों की ओर से एक प्रस्ताव पेश किया, तथापि उसे भी व्यावहारिक नहीं समझा गया।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान अधिवेशन में संयुक्त राष्ट्र की संरचना में परिवर्तन करने, अल्जीरिया तथा उपनिवेशवाद के प्रश्नों पर भी विचार किया गया। जहां तक संरचना का सम्बन्ध है हम यह अनुभव करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की संरचना में इस प्रकार संशोधन किया जाय कि इससे ऐसे राष्ट्रों के प्रतिनिधित्व को बल मिले जो किसी भी गुट में शामिल नहीं हैं।

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हम ने दोनों शक्ति गुटों से अलग रहने और प्रत्येक प्रश्न पर उसके गुणावगुण की दृष्टि से विचार करने का निर्णय किया है। यह नीति न केवल हमारे हित में है किन्तु विश्व की दृष्टि से भी यह नीति सही है और हमें दृढ़ता के साथ उसका पालन करना चाहिये। लेकिन मैं समझता हूं कि नानऐलाइनमेंट की नीति का एक पर्याय यह भी है कि नानइन्वाल्वमेंट की नीति का पालन करें। दुनियां के ऐसे झगड़ों में जिन के साथ हमारा सीधा सम्बन्ध नहीं है, हम अपने को अलग रखने की कोशिश करें। हमारी इच्छायें कितनी भी अच्छी हों, किन्तु शक्ति गुटों में बैठ और दुनियां में केवल ईमानदारी से भरी हुई छांव के आधार पर हम नहीं चल सकते। मैंने प्रधान मंत्री जी को ४ अक्तूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में भाषण करते सुना। मुझे उन का भाषण सुनकर आनन्द भी हुआ और अभिमान भी। शीत युद्ध के थपेड़ों के अंदर उन की आवाज, जो दिल से निकली और सुनने वालों के दिलों तक घर करती चली गई, शान्ति की आवाज थी, शस्त्रों की झंकार के बीच विवेक और संयम की आवाज थी। उन के मुंह से मानों भारत की आत्मा बोली और उन के भाषणों में मुझे पुराने हिन्दू ऋषियों की शान्ति की उपासना की झलक दिखाई दी। विरोधी दल में होते हुये भी मैं यह बातें कहता हूं, यद्यपि उन के भाषण की बहुत सी बातों से मेरा मतभेद है, और उस मतभेद को मैं आप के सामने रक्खूंगा।

अच्छा होता अगर हमारे प्रधान मंत्री जी की न्यूयार्क यात्रा उस भाषण के बाद समाप्त हो जाती और फिर हम ऐसे मामलों में न फंसते जिन मामलों का निर्णय हमारे हाथ में नहीं है, और जिस में फंसने से हम बुराई के अलावा और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। हम कांगो का उदाहरण लें। हमारे प्रधान मंत्री जी ने बड़े रचनात्मक सुझाव दिये। लोकतंत्र में उन का विश्वास है। भारत एक संसदीय लोकतंत्रवादी देश है। उन्होंने कहा कि कांगो में यूनाइटेड नेशन्स को चाहिये कि वहां की पार्लियामेंट को काम करने में सहायता दें। लेकिन इस के मार्ग में जो कठिनाइयां हैं उनका निराकरण कैसे होगा? क्या यूनाइटेड नेशन्स की फौजें कर्नल मोबूतू की फौजों से लड़ेंगी? क्या हम कांगो के आन्तरिक युद्ध में भाग लेंगे? क्या कांगो में शांति और व्यवस्था बनाये रखने का दायित्व संयुक्त राष्ट्र संघ लेगा? अनेक देशों में पार्लियामेंट को भंग कर सैनिक तानाशाही की स्थापना हो गई। यह ठीक है कि कांगो की स्थिति भिन्न है, मगर हम कहां तक जायेंगे, इस बात का हमें विचार करना चाहिये। हमारे जो अधिकारी कांगो में गये हैं, श्री राजेश्वर दयाल और ब्रिगेडियर रिखी, वे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मगर कांगो की स्थिति ऐसी है कि उस में संयुक्त राष्ट्र संघ भी फंस गया है और उसके साथ हम भी फंस गये। वहां बेल्जियम, जिस के पैर उखड़ गये थे, फिर वापस आना चाहता है। कम्यूनिस्ट देश भी कांगो के बहाने से अफ्रीका की उपजाऊ भूमि को अपने लिय ठीक समझ कर वहां प्रवेश करना चाहते हैं, और अमरीका बेल्जियम का समर्थन करके कांगो में पूंजीवाद को बनाये रखने में मदद दे रहा है क्योंकि स्वयम् कांगो की जनता एकत्रित नहीं है, संगठित नहीं है, प्रधान मंत्री और प्रेजीडेंट आपस में लड़ते हैं। इस पहेली का सफल सुलझाव हम कैसे करेंगे? मेरा निवेदन है कि हमें इस प्रकार के प्रश्नों से अलग रहना चाहिये। मैं जानता हूं कि यह हमारे लिये बहुत कठिन है क्योंकि यूनाइटेड नेशन्स में जो अफ्रीका के नये देश आये हैं वे नेतृत्व के लिये हमारी ओर देखते हैं। और भारत असम्बद्ध राष्ट्रों का नेतृत्व करे यह हमारे लिये भी बड़े गौरव की बात होगी, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि वह नेतृत्व हमारे लिये प्रिय भले ही हो, मगर श्रेय नहीं हो सकता। उस से हमारा अहम् भले ही तुष्ट हो जाय लेकिन वह भारत के हित में नहीं होगा, और मुझे प्रधान मंत्री जी के मुंह से यह सुन कर सन्तोष हुआ कि हम कोई तीसरा गुट बनाना नहीं चाहते हैं। जब तक कि हमारी नीति गुटबन्दी के खिलाफ है हम तीसरा गुट कैसे बना सकते हैं? भले ही वह गुट ऐसे राष्ट्रों का हो जो किसी राष्ट्र से जुड़े हुये न हों। लेकिन जो राष्ट्र जुड़े हुये नहीं हैं वे हमारी तरफ देखते हैं और हमारे प्रधान मंत्री जी उन के स्वभाविक नेता बन गये। पांच राष्ट्रों की ओर से पूर्वी और पश्चिमी नेताओं को मिलाने के लिये जो प्रस्ताव रक्खा गया था यद्यपि वह रक्खा तो पांच राष्ट्रों ने था, मगर यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति चले गये और प्रेजिडेंट नासिर भी न्यूयार्क से बिदा हो गये और अपने बच्चे को हमारे प्रधान मंत्री जी की गोद में छोड़ गये। वह प्रस्ताव जिस स्थिति में रखा गया था, मैं नहीं समझता कि वह ठीक था। रूस और अमरीका के नेता मिलें, यह हमारी इच्छा ठीक है, मगर किस परिस्थिति में मिलें? न रूस के प्रधान मंत्री मिलने के लिये तैयार क्योंकि वे अमरीका से माफी मंगवाना चाहते थे, न अमरीका के राष्ट्रपति मिलने के लिये तैयार क्योंकि वे अपने हवाबाजों की रिहाई चाहते थे। जो मिलने के लिये तैयार नहीं, हम ने उन्हें मिलाने की कोशिश की, और मिलाने की कोशिश इस आधार पर कि अगर वे मिलेंगे नहीं तो बड़ा संकट वहां हो जायेगा। मैं नहीं समझता कि उस समय दुनियां में कोई लड़ाई छिड़ जाने का खतरा संसार के सिर पर मंडरा रहा था। रूस के प्रधान मंत्री भी जानते थे कि अमरीका में चुनाव होने वाले हैं और उन्होंने कहा भी था कि अमरीका के जो नये राष्ट्रपति आयेंगे हम उन से बात करेंगे, और जो अमरीका के राष्ट्रपति थे वे भी चुनाव के कारण निष्प्रभावी हो गये थे। वे इस स्थिति में नहीं थे कि अमरीका की ओर से बोल सकते। मगर हम ने एक प्रस्ताव रक्खा पांच देशों की तरफ से, और उस प्रस्ताव का गलत अर्थ लगाया गया कि हम अमरीका को एम्बैरेस करना चाहते थे। मैं जानता हूं कि यह हमारी इच्छा नहीं थी,

[श्री वाजपेयी]

लेकिन हमें समझना चाहिये कि यदि हम दोनों शक्तिगुटों के बीच मध्यस्थता करना चाहते हैं तो केवल हम उन बातों को ले कर चल सकते हैं जिन में दोनों एकमत हैं। जिन बातों में उन में मतभेद है उन्हें हमें छोड़ देना चाहिये। हम भलाई करने जाते हैं और बुराई हाथ लग जाती है। हमें हवन करते हुये अपने हाथ नहीं जलाने चाहियें।

निःशस्त्रीकरण के सम्बन्ध में भी हमने जो प्रस्ताव रखा है उसमें भी हमने इस बात की सावधानी नहीं रक्खी कि जो पश्चिमी देश हैं, उनमें कम्यूनिस्ट देशों के अचानक आक्रमण का खतरा है, उसका निराकरण कैसे किया जायेगा। अपनी यात्रा में मैं पर्ल हाबर्र गया था, जहां पर दिसम्बर, १९४१ में जापान ने अचानक अमरीका पर आक्रमण किया और २,००० से अधिक अमरीकी नौसैनिकों को जलसमाधि दे दी। अमरीका भ्रमण में मैंने देखा कि अमरीका के दिमाग पर शांति की इच्छा रहते हुए अचानक हमले का भय सवार है। यह भय निराधार हो सकता है, मगर अगर हम चाहते हैं कि विश्व में निःशस्त्रीकरण हो तो इस भय के निराकरण के लिये भी हमें प्रयत्न करना चाहिये और इस लिये कट्रोल हो, इंस्पेक्शन हो। लोकतंत्रवादी देश तो खुले देश हैं, वहां पर इसको देखना सरल है, मगर जो कम्युनिस्ट देश हैं, बंद देश हैं, लौह आवरण में हैं, वे निःशस्त्रीकरण के लिये किये गये समझौतों का कहां पालन करना चाहते हैं, इस के निरीक्षण की व्यवस्था होनी चाहिये। और इस सम्बन्ध में अगर हम सावधानी से काम लेंगे, और जो आशंकायें हैं, भय हैं, उनको ध्यान में रखेंगे, तो विश्व में निःशस्त्रीकरण का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेम्ली में, जैसा हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा, किस तरह के भाषण होते हैं, कैसे हाव भाव दिखाये जाते हैं। मुझे यह देख कर बड़ा ताज्जुब हुआ और दुःख भी हुआ। रूस के प्रधान मंत्री ने, जिनका हम बड़ा आदर करते हैं, क्योंकि वह एक महान् देश के प्रधान मंत्री हैं, वहां जो आचरण किया वह उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला नहीं है, उससे रूस की जनता का भी सम्मान नहीं बढ़ता। किसी देश का प्रतिनिधि विश्व के रंगमंच पर जूता लेकर खड़ा हो जाये तो वह बड़ी लज्जा की बात है। और समय आ गया जब विश्व के राष्ट्रों को इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा में भी कोई आचरण की संहिता बनाई जाये। बोलते बोलते टोकना और फिर अपशब्दों का प्रयोग करना, संयुक्त राष्ट्र संघ को अपने विचारों के प्रचार का एक हथियार बनाना, ये ऐसी प्रवृत्तियां हैं जिनकी निन्दा की जानी चाहिये, और मैं आशा करता था कि भारत का स्वर इसके सम्बन्ध में निकलेगा, लेकिन मुझे यह देखकर ताज्जुब हुआ कि जब हमारे प्रधान मंत्री जी नई दिल्ली वापस आये और उन्होंने एक प्रेस कानफ्रेंस बुलाई तो उसमें किसी पत्र प्रतिनिधि ने कहा कि भारत के एक अखबार ने श्री ख्रुश्चेव ने जो शब्द यूनाइटेड नेशन्स की जनरल असेम्बली में कहे उनकी आलोचना की है, और उस सम्वाददाता ने पूछा कि जो आलोचना की गई क्या उससे भारत और रूस के सम्बन्ध नही बिगड़ेंगे, तो प्रधान मंत्री जी ने यह कहने के बजाय कि भारत में लोकतंत्र है और अखबारों को स्वतंत्रता है, कुछ ऐसे शब्द कहे जिनसे उस अखबार की निन्दा प्रकट होती है। मैं नहीं समझता कि यह कोई तटस्थता का दृष्टिकोण है। रूस के प्रधान मंत्री ने जो कुछ किया उसकी निन्दा की जानी चाहिये। और अगर प्रधान मंत्री जी राजनीति कह कर इस प्रकार की निन्दा करना ठीक नहीं समझते तो जो अखबार या जो व्यक्ति यहां उनकी निन्दा करता है वह रूस और भारत के सम्बन्ध बिगाड़ना चाहता है, यह बात कहना गलत है।

मैं रूस से मित्रता चाहता हूं .....

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसिरहाट) : ओ हो !

श्री वाजपेयी : ओ हो! कहने से काम नहीं चलेगा । हम रूस से मित्रता चाहते हैं, रूस की गुलामी नहीं चाहते । मेरे दूसरे मित्र वह चाह सकते हैं । मैं तो सबसे मित्रता चाहता हूं । लेकिन उस मित्रता का आधार असभ्य व्यवहार का समर्थन नहीं हो सकता, और मैं अपने प्रधान मंत्री जी से यह आशा कर रहा था कि वह अपने संयमित व्यवहार द्वारा संयुक्त राष्ट्रसंघ की जनरल असेम्बली में आचरण का एक आदर्श रखेंगे ।

हमारे प्रधान मंत्री जी ने यूनाइटेड नेशन्स की जनरल असेम्बली में जो भाषण दिया उसमें कम्युनिस्ट चीन को यूनाइटेड नेशन्स में स्थान देने की बात कही । इसकी मुझे कोई शिकायत नहीं है । चीन को यूनाइटेड नेशन्स में जगह मिलनी चाहिये, मिलेगी, देर हो सकती है ।

श्री अ० मु० तारिक (जम्मू तथा काश्मीर) : अंधेर नहीं हो सकता ।

श्री वाजपेयी : इसके लिये यूनाइटेड नेशन्स के द्वार स्वयं खुलने चाहियें, लेकिन मुझ शिकायत इस बात की है कि चीन के साथ हमारा जो संघर्ष है और चीन के आक्रमण से जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, उसको उन्होंने (कन्ट्रोवर्सी) कह कर टाल दिया । क्या चीन के आक्रमण के कारण जो स्थिति उत्पन्न हुई है वह एक विवादमात्र है ? अगर चीन ने भारत की भूमि पर आक्रमण किया है, तो चीन को यूनाइटेड नेशन्स में जगह देने की बात कहते हुये भी प्रधान मंत्री जी को यह कहना चाहिये था कि यद्यपि चीन ने हमारे ऊपर आक्रमण किया है और भारत की १२००० वर्गमील भूमि पर कब्जा कर लिया है, फिर भी हम चीन को जगह देने की बात इसलिये कहना चाहते हैं क्योंकि यूनाइटेड नेशन्स में सबको स्थान मिलना चाहिये । मैं समझता हूं कि अगर वह चीन के आक्रमण का हवाला देते तो यूनाइटेड नेशन्स में चीन को जगह देने की बात को और भी बल मिलता क्योंकि आक्रमण के बावजूद हम कहते कि चीन को यूनाइटेड नेशन्स में स्थान मिलना चाहिये । लेकिन शायद प्रधान मंत्री जी ने कड़े शब्दों का प्रगोग करना ठीक नहीं समझा । और उनके कड़े शब्द शायद लोक-सभा में विरोधी दलों के लिये ही सुरक्षित रखे गये हैं । मगर हम समझते हैं कि स्थिति का स्पष्ट निर्देश होना चाहिये था । हम को एक मौका था कि हम विश्व के जनमत को प्रभावित करते । हमारा चीन के साथ जो संघर्ष है उसको हम दूसरे देशों के सामने रखते । जब तक हम बार बार ऐसा नहीं करेंगे तब तक दूसरे देश चीन के साथ जो हमारा संघर्ष है उसकी वस्तुस्थिति को नहीं समझ सकेंगे । वह समझते हैं कि कोई बड़ा झगड़ा नहीं है, इसीलिये तो भारत चीन को यूनाइटेड नेशन्स में स्थान देने की बात करता है । हमको एक मौका था कि हम इस प्रश्न पर विश्व के जनमत को शिक्षित करते और अपने पक्ष में जाग्रत करते ।

और दुःख की बात यह है कि हमने तिब्बत में मानवाधिकारों के उल्लंघन के सम्बन्ध में थाईलैण्ड और मलाया ने जो शिकायत रखी है उसका समर्थन न करने का फैसला किया है । भारत अगर तिब्बत के राइट आफ सेल्फ डिटरमिनेशन को न मानता तो एक बार समझ में आ सकता था, क्योंकि भारत को यह बात अंग्रेजों से विरासत में मिली है कि तिब्बत पर चीन की स्वेज़रेनटी है । लेकिन जहां तक मानवाधिकारों के उल्लंघन का सवाल है, उसके बारे में तो भारत को चुप बैठ कर नहीं रहना चाहिये । अब यह कहना कि यह प्रश्न तो शीत युद्ध का प्रश्न है और हम नहीं चाहते कि इस प्रश्न पर शीत युद्ध आरम्भ हो, या यह कहना कि चीन वहां नहीं है इस प्रश्न को उठाने का क्या अर्थ होगा, य तर्क मेरी समझ में नहीं आते । यदि चीन वहां नहीं है तो हम क्या करें । लेकिन तिब्बत की जनता के प्रति जो भारत की भ वना है उसको व्यक्त करने का दायित्व तो हम पर है । अगर हम कालोनियलिज्म और साम्राज्यवाद का अन्त करने की बात करते हैं, अगर हम अल्जीरिया में फ्रेंच साम्राज्यवाद के विरुद्ध हैं,

[श्री वाजपेयी]

तो हमारी सीमा से लगा हुआ, हिमालय की चोटियों पर जो एक नया साम्राज्यवाद उदय हो रहा है उसकी ओर से हम अपनी आंखें नहीं मूंद सकते। मेरा निवेदन है कि भारत सरकार को इस सम्बन्ध में अपनी नीति पर पुनर्विचार करना चाहिये।

यह ठीक है कि अगर तिब्बत का प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघ में उठेगा तो उसका कोई हल निकलने वाला नहीं है। मगर हमने वहां ऐसे अनेक सवाल उठाये हैं जिनका हल नहीं निकला, मगर हमको ऐसा करने से यह समाधान तो हुआ कि हमने अपने कर्त्तव्य का पालन किया। जब हम साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरुद्ध सारे संसार में अपनी आवाज़ बुलंद करने का दावा करते हैं तो हम तिब्बत में हो रही घटनाओं के प्रति आंख बंद करके नहीं बैठ सकते।

अध्यक्ष महोदय, मैंने इस बात को भी अनुभव किया कि हमारी विदेशों में प्रचार की जो प्रणाली है उसमें बड़ी कमी है, बड़ी खामी है। उसे और भी पूरा करने की आवश्यकता है। अमरीका के अपने भ्रमण में मैंने देखा कि वहां कश्मीर के सवाल पर लोगों में बड़ा भ्रम है, और भ्रम तथ्यों के बारे में है। अनेक नागरिक मुझे ऐसे मिले जो यह भी नहीं जानते कि देश के बटवारे के बाद अभी भी भारत में करोड़ों मुसलमान बन्धु रहते हैं जिन्हें बराबर के अधिकार प्राप्त हैं। वह समझते हैं कि देश का बटवारा हो गया, पाकिस्तान अलग बन गया और सब मुसलमान वहां चले गये और काश्मीर में भी मुसलमान ज्यादा हैं, इसलिये काश्मीर भी पाकिस्तान में जाना चाहिये। जब मैंने उन्हें बताया कि भारत में अभी भी करोड़ों मुसलमान रहते हैं और काश्मीर के सवाल पर हम साम्प्रदायिक तर्क को मानने के लिये तैयार नहीं हैं, तो वे प्रभावित हुये। लेकिन हमारे प्रधान मंत्री जी ने न्यूयार्क में एक इन्टरव्यू में कह दिया कि जो काश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है उसको हम लेने की कोशिश नहीं करेंगे। हम स्टेटस को को मानते हैं, उसको डिसटर्ब नहीं करेंगे। मैं इस नीति से सहमत नहीं हूं। अगर हम उस हिस्से पर अपने अधिकार को छोड़ देंगे जो आक्रमण से चला गया है तो और स्थानों पर भी आक्रमण से चली गई भूमि पर अपने अधिकार को छोड़ने की बात को बल मिलेगा। और मैं नहीं समझता कि आज की स्थिति में यह नीति ठीक होगी। वैसे भी अभी पाकिस्तान के रवैये में बहुत परिवर्तन होना बाकी है। भारत के हितों का ध्यान न रख कर हम केनाल वाटर देने को मान गये, लेकिन भारत को धन्यवाद देने के बजाय पाकिस्तान के शासक कह रहे हैं कि आपने पानी देकर तो बहुत अच्छा किया मगर पानी जहां से निकलता है वह काश्मीर भी हमको मिलना चाहिये। वह शायद आगे भी बढ़ेंगे। मेरा निवेदन है कि हम पाकिस्तान से अपने सम्बन्धों का सुधार करें, लेकिन इसके लिये आक्रमण के सामने झुका जाये, इसके लिये हम तैयार नहीं हैं। आक्रमण आक्रमण है चाहे वह पाकिस्तान का आक्रमण हो या चीन का आक्रमण हो। आक्रमण से हमारी जो भूमि चली गयी है हमें उसको वापस लेने का प्रयत्न करना चाहिये। अगर हम इसे वापस नहीं ले सकते तो कम से कम उसे देने का सवाल तो नहीं उठता।

जहां तक चीन का प्रश्न है, चीन के साथ हमारा जो विवाद है उस पर हम ने अपने पड़ोसियों को भी शायद ठीक से नहीं बताया है। बर्मा के आदरणीय प्रधान मंत्री जी हमारे देश में आये हुए थे। हम ने उन के वक्तव्यों को पढ़ा। उन्हों ने बार बार चीन के प्रधान मंत्री की सिंसेरिटी की दुहाई दी है। मुझे उस में से यह ध्वनि निकलती मालूम पड़ी कि वह शायद हमारी ईमानदारी पर उतना विश्वास नहीं करते। संस्कृत भाषा में एक पद्धति है कि अगर किसी की दो पत्नियां हैं और यह कहा जाय कि एक पत्नी पतिव्रता है तो बिना कहे उस का यह अर्थ निकलता है कि जो द्वितीय पत्नी है वह शायद पतिव्रता नहीं है। उन प्रधान मंत्री का यह बार बार कहना कि चीन के प्रधान मंत्री ईमानदार हैं, वह समझौता चाहते हैं तो इस में से यह आवाज निकलती है कि शायद हमारे प्रधान मंत्री पर उन को शक है। मैं नहीं समझता कि ऐसा होने का कोई कारण है लेकिन अगर ऐसा है तो हमारे

लिये बड़े दुर्भाग्य की बात है। शायद हम बर्मा के प्रधान मंत्री को भी इस झगड़े के बारे में अपना दृष्टिकोण पूरी तरह से समझा नहीं सके हैं। जो बातचीत चल रही है वह झगड़े को टालने के लिये चल रही है। चीन समझौता नहीं चाहता है। हमारे कम्युनिस्ट नेता प्रोफेसर मुकर्जी कहते हैं कि वह समझौता चाहते हैं तो समझौते का एक ही रास्ता है कि चीन के कब्जे में भारत की जितनी भूमि है उसे चीन खाली कर के चला जाय। अन्य कोई भी समझौता भारत को स्वीकार्य नहीं होगा क्योंकि वह समझौता नहीं होगा, समर्पण होगा। समझौता हम भी चाहते हैं मगर आक्रमण के आधार पर नहीं। चीन के पास नक्शे नहीं हैं। चीन के पास दस्तावेज नहीं हैं इसलिये वह ऐक्चवेलटीज़ को मानने की बात कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि रंगून में वार्ता सफल होगी लेकिन अगर वार्ता सफल नहीं हुई तो चीन के अधिकार में जो भारत की भूमि है उस को वापस लेने के लिये भारत क्या करेगा इस सम्बन्ध में अभी से विचार करने और तैयारी करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।

पंडित ब्रज नारायण "ब्रजेश" (शिवपुरी) : "कृष्णं वन्दे जगदगुरू"

अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रसंघ में संसार की स्थिति के सम्बन्ध में विचार करने के लिये संसार भर के राज्यों के स्वामी, संसार भर के बुद्धिमान् पुरुष एकत्रित हुए। उस में भारतवर्ष के प्रधान मंत्री का जाना और भाग लेना यह परमावश्यक था। मैं समझता हूं कि इस दृष्टि से प्रधान मंत्री वहां गये। उन्हों ने वहां पहुंच कर सभी के साथ सम्पर्क प्रस्थापित किया। राष्ट्रसंघ का दौरा करने के पश्चात् प्रधान मंत्री महोदय जैसे ही राजधानी में वापस आये, लोकसभा के सदस्यों को एकत्रित करके उन्होंने वहां की जो स्थिति थी उस से हमको अवगत कराया। सौभाग्य से मैं भी उस में उपस्थित था। देश की जो अवस्था और स्थिति है उसको सामने रखते हुए मैं यह तो नहीं कह सकता कि प्रधान मंत्री महोदय बिना सोचे विचारे काम कर रहे होंगे। अपनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, देश को सुदृढ़ और सशक्त बनाने के लिये जो करना चाहिये अपनी बुद्धि के अनुसार वे अवश्यमेव कर रहे हैं। परन्तु कभी कभी हम ने जो एक नीति निर्धारित की है उस नीति के बीच में और समय की स्थिति के बीच में संघर्ष खड़ा हो जाता है। संसार में सबसे बड़ा संघर्ष आदर्श और व्यवहार के बीच में आ गया है। यदि कोई विचारक बुद्धिमान् और समझदार व्यक्ति आदर्श को लेकर चलना चाहता है तो व्यवहार उस के हाथ से खिसक जाता है। यदि वह व्यवहार को लेकर चलना चाहता है तो आदर्श उस के हाथ से निकल जाता है।

दुनिया में इस समय राम और रोटी के बीच में झगड़ा खड़ा हो गया है। यदि रोटी पकड़ते हैं तो राम निकल जाते हैं और यदि राम को पकड़ते हैं तो रोटी खिसक जाती है। ऐसी अवस्था की स्थिति में से निकलना यह बड़े कौशल का कार्य है। प्रधान मंत्री जी वहां गये। संसार भर में संघर्ष न हो इसके लिये उन्होंने अपनी आवाज वहां बुलन्द की। इस में दो मत नहीं हो सकते हैं। इस में भी कोई सन्देह नहीं है कि राष्ट्रसंघ का संसार में होना अत्यावश्यक है। सारे संसार में जब किसी न किसी बात में लोग लड़ रहे हैं तो उन का फैसला करने के लिये कोई होना भी तो चाहिये। इसी के लिये राष्ट्रसंघ का निर्माण हुआ और उस राष्ट्र संघ में यदि हम न पहुंचें और पहुंच कर यदि उस का मार्गदर्शन न करें तो वह और भी दुर्बल हो जायगा। हम यह जानते हैं कि राष्ट्रसंघ जितना सशक्त होना चाहिये, जितना बलवान होना चाहिये और स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने की जितनी उस में क्षमता होनी चाहिये उतनी आज उसे प्राप्त नहीं है। राष्ट्रसंघ स्वयं गुटों से दूर हुआ नहीं है। इस पर गुटों का प्रभाव है। एक गुट का प्रभाव यदि कोई देखता है और अपनी चलती देखता है कि नहीं हो रही है तो वह जूता उठा लेता है। ऐसी स्थिति राष्ट्रसंघ में न हो जिस में कि किसी आदमी को बलप्रयोग करने का अवसर मिले। न्याय के साथ अगर हो सके यह स्थिति राष्ट्रसंघ में अवश्य आनी चाहिये। राष्ट्रसंघ में काम करने वाले प्रत्येक सदस्यों के गुटों के बीच में हमें यह

[पंडित ब्रज नारायण "ब्रजेश"]

भावना निर्माण करनी होगी विशेष कर उन देशों में जो कि अभी अभी नये राष्ट्रसंघ के सदस्य बने हैं और जो अभी बलवान और सशक्त नहीं हैं। उनमें यह भावना निर्माण करनी चाहिये कि राष्ट्र संघ में भाग लेकर कोई भी पक्ष अपनी अनुचित बात को राष्ट्रसंघ के द्वारा स्वीकार्य न करा सके। ऐसी स्थिति वहां निर्माण होनी चाहिये। जितने छोटे छोटे राष्ट्र हैं उन्हें संगठित होना पड़ेगा। मैं इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं कि हमें अपना कोई साथी नहीं बनाना चाहिये। तटस्थता का तात्पर्य यह नहीं है कि हम एकाकी रहें अकेले ही हमें रहना चाहिये। हम ने एक नीति निर्धारित की कि हम किसी के साथ नहीं मिलेंगे तो क्या यह अकेले ही हम रहेंगे? हमें दूसरों को भी इस मत का बनाना पड़ेगा और जब वह इस मत के हो जायेंगे तो वह गुट अपने आप बन जायेगा। जैसे अभी मैं कहूं कि मैं हिन्दुस्तान में जो पार्टियां हैं उन में से किसी पार्टी में नहीं रहूंगा। मैं नौनपार्टी मैन हूं तो मैं नौनपार्टी मैन तैयार करूंगा और इस तरह एक नौनपार्टी पार्टी हो जायगी। वह तो स्वाभाविक रूप से हो जायगी। यह कहना कि हमें कोई गुट नहीं बनाना चाहिये, यह कैसे हो सकता है? "संघे शक्ति कलोयुगे"। कलियुग में संगठन में शक्ति है। यदि अमरीका शस्त्रों के कारण ताकतवर है, रूस भी शस्त्रों के कारण ताकतवर है तो हमें संसार के जनबल को लेकर अपने आप को खड़ा करना पड़ेगा। इस के सिवाय कोई दूसरा मार्ग नहीं है।

मुझे प्रधान मंत्री महोदय की वह बात बड़ी पसन्द आई जो उन्होंने अपने भाषण में वहां कही कि यदि यह ताकतवर गुट नहीं मानते हैं तो हम कमजोर लोग इकट्ठे हो कर उन को दबायेंगे। उन को हम समझायेंगे कि तुम्हें किस प्रकार चलना चाहिये। दुर्बलों को बलवान होकर सताते चले जायें और दुर्बल एकत्रित न हों यह बात मैं मानने को तैयार नहीं हूं। इसलिये मैं प्रधान मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि जितने भी दुर्बल, दीन हीन देश हैं उन सब का नेतृत्व हमें प्राप्त हुआ है। मैं यह भी मानने को तैयार हूं कि रूस और अमरीका इन में से कौन प्रथम शक्ति है यह एक विवाद का विषय है लेकिन हम संसार के दीन-हीन देशों का नेतृत्व करने वाले तीसरी शक्ति हैं। इस में कोई सन्देह नहीं है कि संसार में जितने दीन-हीन और दुर्बल देश हैं उन सब के अगुवा हम हैं। सब से अधिक मार हम ने खाई है। सब से अधिक भूखे-नंगे हम हैं और आज भी हम पर सब से अधिक अन्याय हो रहा है। पाकिस्तान भी हम को मारता है। चीन भी हम को मारता है। पाकिस्तान के साथ मैत्री सम्बन्ध हम कायम करते हैं, चीन के साथ हम मैत्री सम्बन्ध कायम करते हैं और दोनों ही उस का बदला हमारे साथ सज्जनता के बजाय दुर्जनता के साथ देते हैं। पाकिस्तान को हम पानी और रुपया दे कर आये। वहां से प्रधान मंत्री लौट कर आये तो वहां के पाकिस्तान के शासक आंख दिखा कर कहते हैं कि काश्मीर की समस्या तो फौज सुलझा लेगी। यह क्या बात हुई? अभी तो आप ने हमारे प्रधान मंत्री के पाकिस्तान पहुंचने पर उन के ऊपर हार और फूलमालायें डालीं और तत्काल उसके बाद आपने गाली देना शुरू कर दिया और धमकियां देना शुरू कर दिया। यह सज्जनता का भाव नहीं है। हम को क्या करना होगा? जो छोटे छोटे देश हैं उन को सब को अपने साथ में लेना होगा। आज जो राष्ट्रसंघ के सदस्य बने हैं, बहुत से अफ्रीकन देश उस में आये हैं तो हमें उन के साथ दौत्य सम्बन्ध प्रस्थापित करने चाहियें और अपने दूतावास वहां स्थापित कर लेने चाहियें। उन को अपनी स्थिति से अवगत कराना चाहिये और उन्हें अपने साथ लेना चाहिये। राष्ट्रसंघ में बहुत बड़ा बहुमत हमारे साथ हो और जो प्रस्ताव हम वहां पर रखें, वह मान्य हो जाये। प्रस्ताव के सम्बन्ध में यह कहा गया है—

प्रस्ताव सदशम् वाक्यम्
सद्भाव सदशम प्रियम्।
आत्मशक्ति समम् कोपम्
यो जानाति स पण्डितः॥

हमारे प्रधान मंत्री महोदय पंडित कहलाते हैं। मैं समझता हूं कि प्रस्ताव क्या रखना चाहिये और कोप किस पर दिखाना चाहिये, यह तो स्वयं जानते ही होंगे। यही समझ कर कोप दिखाना चाहिये। केवल यही कहने से काम नहीं चलेगा कि हम चाइना को देख लेंगे। कैसे देख लेंगे? उसको चरखे से नहीं देखा जा सकता है। चाइना के पास बम हैं, राइफ़ल्ज़ हैं, गन्ज़ हैं, रशा है और वह लौह आवरण में है। उस की भेड़िया वृत्ति प्रत्यक्ष सामने है कि हम ने उस का कुछ बिगाड़ा नहीं है और फिर भी वह चढ़ कर आ गया, हम भाई भाई कहते रहे और वह हम पर आक्रमण कर के यहां आ गया। अब वे कहते हैं कि हम समझौता करने के लिये तैयार हैं। पहले फ़ौजदारी की हम को मार दिया और मारने बाद कहते हैं कि समझौता कर लो। हम को जो घाव हो गये हैं, उस का क्या होगा? उस की दवा आप करते रहना। यह तो समझौते का कोई प्रकार नहीं है। उन्होंने जो भूमि दबाई है, वे उसको छोड़ दें और फिर बात-चीत करें। इस समय जो स्थिति बन गई है, वह बड़ी भयावह है।

रशा और अमरीका को एक साथ मिलाने के लिये हम ने संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव रखा। वह प्रस्ताव न्यायसंगत था और संसार के प्रति सद्भावना प्रकट करने वाला था। यदि रशा और अमरीका, ये दो राष्ट्र नहीं लड़ते हैं, तो फिर संसार में और कोई राष्ट्र नहीं लड़ेंगे। लड़ाई तो इन के बीच में है। छोटे तो व्यर्थ पिस रहे हैं। यह ठीक है कि हमें छोटों के झगड़े में फंसना नहीं चाहिये, बड़ों के झगड़ों में हमें नहीं जाना चाहिये। परन्तु हमने गुरुत्व लिया है और गुरुत्व सदा हमारे पास रहा है। संसार को आदर्श का उपदेश भारतवर्ष देता रहा है। जब दुनिया लड़ने बैठी है, तो शान्ति का सन्देश कौन दे सिवाये भारतवर्ष के? यह ठीक है कि उस के लिये हमें खतरा हो सकता है लेकिन

निन्दन्तु नीतिनिपुणाः यदिवा स्तुवन्तु ।
लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्ठम् ।।
अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा ।
न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम् न धीराः ।।

धीर पुरुष कभी न्याय के पथ से नहीं हटते हैं। संसार का नाश हो जायगा, यदि रशा और अमरीका के बीच समझौता नहीं होगा। इसलिये हम को उस न्याय की बात को कहना पड़ेगा, चाहे थोड़ा बहुत खतरा हमारे ऊपर आता हो। अगर हम पर खतरा आयेगा, तो दुनिया उस खतरे से बचेगी नहीं। भारतवर्ष इस स्थिति में है कि यदि कोई भारतवर्ष को मिटाना चाहेगा, तो उसे यह याद रखना चाहिये कि वह स्वयं भी बच नहीं सकता है। चालीस करोड़ के देश को हानि पहुंचा कर कोई ज़िन्दा नहीं रह सकता है। इस प्रकार का अन्याय और अत्याचार यहां पर नहीं हो सकता है यह हमारा विश्वास है। हमारा देश बड़ा है और अगर चाइना या पाकिस्तान चाहें कि हमें खा जायें, तो वे दोनों मूर्खतापूर्ण स्थिति में हैं। वे हमें खा नहीं सकेंगे। वे खुद अपने मरने का उपाय कर रहे हैं, यह उन्हें समझना चाहिये। हमें कोई डर नहीं है। यदि पाकिस्तान उत्पात करेगा, तो चाइना उस के सिर पर बैठा है, वह उसे खा जायगा और यदि चाइना कुछ करेगा, तो अमरीका ने पाकिस्तान में पहले से ही अपने अड्डे बना लिये हैं। दोनों ने इन्तज़ाम कर लिया है। पर हम यह चाहते हैं कि हमारे सिर पर आप क्यों प्रबन्ध कर रहे हैं। हम तो उपदेश देने वाले हैं। हम दोनों को समझौता कराने के लिये कहते हैं, मगर वे दोनों ही हमारे सिर पर आये हुए हैं। यह उपदेश की वृत्ति जो हमारी सरकार ने अपनाई है, वह अच्छी है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उपदेश देने के साथ साथ भीतर से सशक्त होना भी ज़रूरी है। हमारी अन्तर्राष्ट्रीय नीति राष्ट्रीय नीति पर हावी नहीं होनी चाहिये। केवल कहने से चाइना नहीं भागेगा। अन्तर्राष्ट्रीय नीति का सब से अच्छा उपाय यह होना चाहिये कि संसार को शान्ति का सन्देश और उपदेश दें, लेकिन साथ ही बार्डर पर अपने लोगों को बसा दें और उन को हथियार दे कर उन को सशक्त बनायें। वहां पर अनिवार्य सैनिक शिक्षण कर देना चाहिये।

[पं० ब्रजनारायण ब्रजेश]

वहां पर वार इंडस्ट्रीज़ खोलनी चाहियें और लोगों को धंधे देना चाहियें। वहां के लोगों को राइफ़ल और बम देने चाहियें। फ़ौज कब तक वहां बैठी रहेगी। वहां फ़ौज रखने से ही काम नहीं चलेगा। अपनी जन-संख्या वहां बढ़ानी चाहिये और उस को हथियार देने चाहियें और उन को इस बात की छुट्टी देनी चाहिये कि जब चाइना आये, उस से वे निपट लें। चाइना को कहना चाहिये कि यदि तुम बमों का प्रयोग करोगे, तो हमें कोई गम नहीं है, कोई और दमदार तुम्हारे सामने आ जायेगा, अन्यथा साधारण हमले से बचने की हम में ताकत है।

जहां तक संसार में प्रचार सामग्री का सम्बन्ध है, इस में कोई सन्देह नहीं है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के आधार पर, संसार में शान्ति लाने के लिये भारतवर्ष की जो विशेषता रही है, उस आधार पर अच्छे विद्वान लोग यहां की राजनैतिक स्थिति से लोगों को अवगत कराने के लिये विदेशों में जाने चाहियें। दूतावासों में खास तौर पर इस का प्रबन्ध होना चाहिये। हमारे यहां रशा और अमरीका के जो दूतावास हैं, उन्होंने हज़ारों आदमियों को अपने धन्धे पर लगा रखा है। मुझे पचासों आदमियों से वास्ता पड़ा है, जो अमरीकन एम्बैसी में काम करते हैं और बहुत से तो हमारे भीतरी आफ़िसिज़ में घुस कर वहां से बारीक खबरों को लाने की चेष्टा करते हैं। यह स्थिति रशा और अमरीका ने यहां पैदा कर रखी है। हमारे दूतावास पता नहीं वहां केवल लड़कियों के डांस करवाते हैं, या पता नहीं क्या करवाते हैं। यह हमें मालूम नहीं है। इस प्रकार के नाच-गाने के काम बाहर बन्द होने चाहियें और इस के स्थान पर वास्तविक स्थिति से अवगत कराने के लिये हमारी तरफ़ से द्रव्य खर्च होना चाहिये। हमारे दूतावास जागरूक, सतर्क और सावधान होने चाहिये और जहां हमारे दौत्य सम्बन्ध नहीं हैं, वहां दौत्य सम्बन्ध प्रस्थापित होने चाहियें, खास कर उन नये देशों से, जो अभी अभी राष्ट्र संघ में आयें हैं।

चाइना को राष्ट्रसंघ में लाना परमावश्यक है। इस का समर्थन हम खुले शब्दों में करते रहे हैं और आज भी करना चाहिये। यदि चाइना राष्ट्र संघ में पहुंच जायगा, तो फिर हम वहां पंच-फ़ैसला करा सकेंगे। जब वह राष्ट्र संघ का सदस्य ही नहीं है, तो फिर राष्ट्र संघ उस का फ़ैसला कहां से करेगा, विचार कहां से करेगा। जो भी आदमी वहां होगा, उस का वहां फ़ैसला हो सकेगा। इस-लियें चीन को राष्ट्रसंघ का सदस्य बनाने के लिये जितने ज़ोर से हम आवाज़ उठाते रहे हैं, वह आवाज़ उस के आक्रमण के कारण बिल्कुल नहीं कम होनी चाहिये। उस को राष्ट्र संघ का सदस्य बनाने के लिये अवश्य बोलना चाहिये। रशा राष्ट्र संघ का सदस्य था। जब राष्ट्र संघ विरुद्ध हो गया, तो काश्मीर के मामले में ख्रुशोव साहब ने अपनी वीटो पावर का प्रयोग कर के काश्मीर की समस्या को और उलझने से बचा लिया। अन्यथा राष्ट्र संघ हमारे विरुद्ध होता है और पाकिस्तान संसार में घूस कर अपने प्रति सहानुभूति प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है। इस पर भी हम सोचते हैं कि हम सद्भावना से पाकिस्तान का जीत लेंगे। उस की वृत्ति हमारी अपेक्षा शासन खूब जानता है, क्योंकि वह उस से भिड़ता रहा है और रोज़ उस के साथ व्यवहार करता है। पाकिस्तानी मनोवृत्ति हिन्दु-स्तान में एक दूषित मनोवृत्ति मानी जाने लगी है और उस को हिन्दुस्तान में पनपने नहीं देना चाहिये। पाकिस्तानी मनोवृत्ति हिन्दुस्तान की सरकार के लिये घातक रही है, घातक है और घातक रहेगी, यह मैं निश्चित शब्दों में कहना चाहता हूं। इसलिये पाकिस्तान से सावधान रह कर हमें संसार के जनमत को अपने प्रति जागृत करने का प्रयत्न करना चाहिये

इस के साथ ही साथ हम को तटस्थता की नीति पर बुद्धिमत्तापूर्वक कार्य करना चाहिये। जैसा संयुक्त अरब गणराज्य ने किया है, अगर हम भी वैसा ही करें, तो काम बन सकता है। उस ने रशा और अमरीका दोनों से दोस्ती की। फिर स्वेज़ कैनाल अपने हाथों में ले ली और बाद में कम्यूनिस्टों

को धता बता दिया। दोस्त के दोस्त हैं और माल अपने हाथ में है। दूसरी ओर न हम गोआ ले सके, न काश्मीर ले सके और न ही हम हिमालय को बचा सके। इस का अर्थ यह है कि अपनी नीति को चलाने की पद्धति में, रीति में--जिस को अंग्रेजी में इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं--दुर्बलता है, कमजोरी है। उस के सम्बन्ध में हमारी असावधानी हो जाती है, उस में दृढ़ता की कुछ कमी है, इसलिये हमें मार खानी पड़ती है। मैं प्रधान मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह इस सम्बन्ध में थोड़ी जागरूकता से काम लें। क्यूबा का मामला है, और भी कई मामले हैं, जिन से कुछ बड़ी शक्तियों का सम्बन्ध है। क्यूबा में बहुत सी अमरीकन शूगर कम्पनीज़ का राष्ट्रीयकरण किया गया और अमरीकन्ज़ को फांसी पर चढ़ा दिया गया। हम छोटे भाई को बचाने जायें और बड़ा भाई नाराज़ हो जाये, यह ठीक नहीं है। उस में थोड़ा चुप रहने की आवश्यकता है। उस में कुछ सावधान रहना चाहिये।

रहिमन झगड़ा बड़िन कंह पड़हु बीच जनिधाय।
लड़े लोह पाहन दौ बीच रुई जरि जाय॥

दो पत्थरों के बीच में रुई जल कर नष्ट हो जाती है। उस में थोड़ी राजनैतिक दूरदर्शिता से काम कर लेना चाहिये।

मुझे मालूम हुआ है कि यहां एक एशियन लीगल कनसल्टेटिव कमेटी का निर्माण हुआ है। समाचारपत्रों में भी हम निरन्तर पढ़ते रहते हैं। इस कमेटी का पिछला अधिवेशन कोलम्बो में हुआ था और इस वर्ष यहां हो रहा है। यह कमेटी क्या करती है, इस में कौन कौन से सदस्य हैं, अखबारों में हम पढ़ते हैं, लेकिन यहां तो हमें बताया नहीं जाता है। एशिया के जो दूसरे देश रह गये हैं, उन को इस में क्यों सम्मिलित नहीं किया जाता है, प्रधान मंत्री हम को इस से अवगत करने की कृपा करें। उस को भी बलशाली बनाने की जरूरत है और एशिया को सशक्त बना कर हमें आगे आना चाहिये।

हम ने नार्थ कोरिया का ट्रेड कमीशन कायम किया है, लेकिन साउथ कोरिया ने क्या बिगाड़ा है? हम को दोनों से लाभ उठाना चाहिये। हमारे बड़े व्यापारिक सम्बन्ध में भी नहीं, हैं, इसलिये हमें दोनों से लाभ उठाना चाहिये। इसी प्रकार इज़राइल बन गया है और जब हम सत्य का प्रतिपादन करने चले हैं, तो हम को उस से भी दौत्य सम्बन्ध स्थापित करने चाहियें। एक दो बार प्रधान मंत्री जी ने बात की थी, लेकिन फिर उस को टाल दिया। सत्य के प्रतिपादन के लिये हमें साहस के साथ आगे आना चाहियें और जहां भी हम को देश के लिये लाभ मिल सके, हमें लाभ उठाने की चेष्टा करनी चाहियें। इस सम्बन्ध में कार्य तो किया जा रहा है, लेकिन थोड़ी और सतर्कता और सावधानी बरती जाये, तो भय का कोई कारण नहीं है। हम को देश से भय के वातावरण को निकालना चाहिये और देश के लोगों को सशक्त बनाना चाहिये। मैं समझता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री महोदय अवश्यमेव सफल होंग। भय का कोई कारण नहीं है। देश उनके पीछे है और सारा संसार आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों या तो उन के पीछे आयेगा, अन्यथा नष्ट हो जायगा। इसके सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। उस को शान्ति के मार्ग पर आना पड़ेगा और अगर वह नहीं आता है, तो उस के लिये विनाश का द्वार खुला हुआ है। यही हमारे गुरुत्व का कारण है, जो हम ठीक प्रकार से कर रहे हैं, इस में कोई दो मत नहीं हो सकते हैं। यह एक निर्विवाद चीज़ है। परन्तु इस के लिये हमें थोड़ी सावधानी से प्रयास करना चाहिये। घर वालों को ज्यादा नहीं दबाना चाहिये और बाहर वालों से सावधान रहना चाहिये।

सेठ गोविन्द दास : अध्यक्ष जी, राष्ट्र संघ में हमारे प्रधान मंत्री गये, बहुत सी झिझक के बावजूद, इसे मैं एक ऐतिहासिक घटना मानता हूं। जहां तक राष्ट्र संघ का सम्बन्ध है, संसार में भी और हमारे देश में भी ऐसा मानने वालों में मैं नहीं हूं जो समझते हैं कि राष्ट्रसंघ एक निरर्थक

[सेठ गोविन्द दास]

संस्था है और वह अब तक दुनिया में कुछ नहीं कर सकी । मेरा इस सम्बंध में शुरू से मतभेद रहा है। आज भी है । राष्ट्रसंघ की स्थापना के बाद राष्ट्र संघ अब तक क्या कर सका यह तभी मालूम होता है जब राष्ट्र सं के पहले एक इस प्रकार की जो अन्तर्राष्ट्रीय संस्था थी, लीग आफ नेशंस, उस का हम इतिहास देखें । दुनिया तब टुकड़ों में विभक्त थी, हजारों वर्षों से रही है । यदि हम दुनिया के इतिहास को देखें, मानवता के इतिहास को देखें तो हमें स्पष्ट मालूम होता है कि हमारा देश भी न जाने कितने टुकड़ों में विभक्त था । पहले पहल दुनिया को इकट्ठा लाने का प्रयत्न हुआ १६१४ के संसार व्यापी युद्ध के पश्चात् और उस समय लीग आफ नेशंस की स्थापना हुई । वह अपने कार्य में सफल नहीं हो सकी । दूसरा युद्ध हुआ और उस के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई । लेकिन हमें यह मानना होगा कि लीग आफ नेशंस चाहे युद्ध रोकने में समर्थ न हुई हो, उस ने पहले पहल दुनिया के एकीकरण का एक वायुमंडल बनाया है और यदि हम उस के इतिहास से राष्ट्र संघ के इतिहास की तुलना करें तो हमें स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्र संघ अपने काम में यदि पूर्ण रीति से नहीं तो कुछ न कुछ सफल अवश्य हुआ है ।

हजारों वर्षों से दुनिया में युद्ध चलते रहे हैं। दुनिया का विभाजन रहा है । ऐसी हालत में यदि राष्ट्रसंघ इस को समय अधिक सफलता नहीं मिली तो इसमें खेद की बात नहीं है। इसमें आश्चर्य की बात नहीं है । मैं यह बात इस लिये कहता हूं कि मैं एक छोटा सा साहित्यकार हूं, इसलिये कुछ दूर की बात क. देखता हूं । लीग आफ नेशंस का मैं समर्थक था, राष्ट्र संघ का भी समर्थक हूं । इसकी पूर्ण सफलता और सुखद सफलता तो तभी हो सकता है जब दुनिया की एक सरकार स्थापित हो जाये आज यह कल्पना की चीज़ है । लेकिन दुनिया में चिन्तकों ने, विचारकों ने पहले-पहल कुछ चीज़ों की कल्पना की । पहले पहल वे चीज़ें, महान वस्तुयें कल्पना की वस्तुयें रही हैं । कल्पना का एक आकार साकार हुआ है समय के बाद । दो बातों में से एक बात होगी । या तो हमारे प्रधान मंत्री की शांती-पूर्ण नीति के अनुसार चल कर दुनिया में आगे चल कर एक सरकार की स्थापना होगी या फिर दुनिया का नाश हो जायेगा । वह दुखःद और असफल घटना होगी । मैं तो बड़ा आशावादी व्यक्ति हूं । मैं तो सुखद और सफल बातों की कल्पना किया करता हूं, दुखःद और असफल बातों की नहीं ।

बारूद जिस समय पहले पहल ईजाद हुई तो पहले वह विस्फोटक पदार्थ था जो दुनिया में ईजाद हुआ । कोई उस समय यह नहीं सोचता था कि आगे चल कर वह विस्फोटक पदार्थ एक अणु बम और एक उद्जन बम का रूप ले लेगा । तो एक ही बात हो सकती है, या तो युद्धों की समाप्ति, दुनिया की एक सरकार या फिर उद्जन बम और अणबम से बड़े किसी विस्फोटक पदार्थ का निर्माण जिससे हमारे इस प्लेनट के ही टुकड़े टुकड़े हो जायेंगे ।

इस समय दुनिया दो दलों में विभक्त है और केवल एक भारतवर्ष ही ऐसा देश है—प्रधान देशों में मैं कहता हूं—जो सच्ची शान्ति चाहता है । भारतवर्ष कोई धनवान देश नहीं है, भारतवर्ष कोई बहुत सैनिक दृष्टि से सशक्त देश भी नहीं है । लेकिन भारतवर्ष की एक विशेष प्रकार की परम्परा है, वह शान्ति की परम्परा है कि जिसके कारण भारतवर्ष को संसार की इस समय की स्थिति में एक विशेष प्रकार का स्थान प्राप्त है ।

हमारे प्रधान मंत्री ने जो भाषण संयुक्त राष्ट्र संघ में दिया, जिस प्रकार उन का जाना वहां एक ऐतिहासिक घटना हुई, उसी प्रकार वह भाषण भी वहां का एक ऐतिहासिक भाषण है । मैं ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिवेशनों की कार्रवाइयों को इधर उधर पढ़ने का प्रयत्न किया है । पंडित, जवाहरलाल नेहरू जो के उस भाषण से पूर्व उस प्रकार का संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण हुआ वह कम

से कम मैं ने नहीं पढ़ा है। यद्यपि उनका प्रस्ताव वहां पर गिर गया तो वह तो होने वाली बात थी लेकिन प्रस्ताव ने अपना काम कर दिया। जिस समय महात्मा गांधी दूसरी गोलमेज़ परिषद् में गये थे, उनके जो वहां भाषण हुए थे उस समय जो वह चाहते थे वह नहीं हुआ परन्तु अन्त में उन भाषणों ने अपना असर दिखाया। दूसरी गोल मेज़ परिषद् में महात्मा आंधी कांग्रेस की ओर से भारत-वर्ष के एक मात्र प्रतिनिधि थे। उनकी बात उस समय तो नहीं सुनी गई परन्तु हमने देखा महात्मा गांधी के दूसरी गोलमेज़ परिषद् के भाषणों के अनुसार ही हमारे देश को स्वतंत्रता मिली और आज हम निर्माण कार्य में संलग्न हैं। इसी प्रकार चाहे जो प्रस्ताव पंडित जी ने वहां पर रखा था वह स्वीकृत न हुआ हो लेकिन उस प्रस्ताव को रखने के बाद उन्होंने वहां पर जो भाषण दिया वह दुनियां के विचारकों को, दुनिया के चिन्तकों को एक दिशा में ले जाता है, इसमें सन्देह नहीं है।

निश्शस्त्रीकरण इस समय की सब से बड़ी आवश्यकता है। इसी प्रकार उपनिवेशवाद का अन्त भी सब से बड़ी आवश्यकता है। ये दोनों बातें इस समय सब से महान हैं। एक नई बात इस के बाद हुई और वह है अमरीका के राष्ट्रपति का चुनाव। कैनेडी साहब चुने गये वहां के राष्ट्रपति। लोग एक विशेष प्रकार की दृष्टि से इस चुनाव को देखते हैं। मैं यद्यपि इस चुनाव से कोई बहुत आशा नहीं करता, मैं नहीं समझता कि इस समय दुनिया में जो तनाव है वह कोई विषेष रूप से कम होगा लेकिन कैनेडी साहब तभी सफल माने जायेंगे इतिहास में जब वह निश्शस्त्रीकरण और उपनिवेषबाद का अन्त करने में या निश्शस्त्रीकरण को आगे बढ़ाने में और उपनिवेशवाद के अन्त को आगे बढ़ाने में सफल हो सके। पहले आप जानते हैं एशिया की जागृति हुई। एशिया के देश उस समय बड़े गिरे हुए देश माने जाते थे। रूस को भी मैं बहुत दूर तक एशिया का देश मानता हूं। यदि आप रूस की भौगोलिक स्थिति को देखें तो उस का एक अंश भले ही योरप में है लेकिन उस का अधिक अंश एशिया में है। इस लिये रूस को मैं बहुत दूर तक एशिया का देश मानता हूं। एशिया में पहले पहल जापान की जागृति हुई, उस के बाद रूस की जागृति हुई, फिर भारत वर्ष जगा और उसके बाद चीन जगा। एशिया में जो कुछ हुआ वही आज अफ़्रीका में हो रहा है। अफ़्रीका में जब मैं गया उस समय, सन १९३७ की बात है, एक विचित्र अवस्था थी उसकी। उस समय वहां के भारतवासी अपने हक़ों की बात कहते थे, लेकिन कांग्रेस ने सदा उन से एक बात कही कि अफ़्रीका के उन निवासियों को, जो भारत से गये हैं, अपनी बात अलग नहीं कहनी चाहिये। उन को वहां के मूलनिवासियों से मिल कर सब के हक़ों की बात कहनी चाहिये। सन् १९३७ के बाद के इस २३ वर्षों के जमाने को जब मैं देखता हूं तो वहां बड़ा फ़र्क़ हुआ है। अफ़्रीका में आज छोटे बड़े सब देश जागृत हो रहे हैं। जिस प्रकार एशिया को योरप दबा कर नहीं रख सका, उसी प्रकार अफ़्रीका को अमरीका दबा कर नहीं रख सकेगा, यह मैं कहना चाहता हूं, जिस प्रकार एशिया का उत्थान एक अवश्यम्भावी वस्तु थी, उसी प्रकार अफ़्रीका का उत्थान भी एक अवश्यम्भावी वस्तु है। योरप में इस समय जो दशा है वह हम देख रहे हैं। अमरीका की इस समय सब से ऊंची स्थिति है, इस में सन्देह नहीं। परन्तु मैं तो उस समय की कल्पना करता हूं जिस समय चाहे पंडित जी न हों, मैं न होंऊं, हम में से अधिकांश न हों, किन्तु जिस समय अमरीका का वही हाल होगा जो कि इस समय योरप का हुआ था। चक्रनेमि क्रमेण। जैसा कहा जाता है कि चक्का ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है, उसी प्रकार जागृति अब सारे एशिया और अफ़्रीका की हो कर रहेगी।

जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हम सदा न्याय के संग रहे हैं। जब हम पराधीन थे उस समय भी, आप यदि कांग्रस के प्रस्तावों को देखें, तो आप को मालूम होगा कि हमने उन देशों के साथ, जिन के प्रति अन्याय होता था, सदा अपनी सहानुभूति प्रकट की है। आज भी हमारी वही अवस्था है! कांगो के सम्बन्ध में भी हमें वही कहना पड़ता है। आज कांगो को बहुत बड़ा स्थान मिल गया है। उस की बड़ी चर्चा हो रही है: किसी समय इस प्रकार की स्थिति अन्य देशों की भी थी। कोरिया की भी थी। लेकिन यह छोटी छोटी बातें हैं। कांगो के प्रश्न को मैं बहुत बड़ा प्रश्न नहीं

[सेठ गोविन्ददास]

मानता। मैं अफ्रीका की जागृति को बहुत बड़ा प्रश्न मानता हूं, और कांगो का जो प्रश्न है वह उसके अन्तर्गत एक छोटा सा प्रश्न है। तो हम सदा, यहां तक कि पराधीन ता के समय भी, उन के संग रहे, उस देशों के संग रहे जिन के प्रति अन्याय होता था। आज भी हम उन के संग हैं।

जहां तक हमारा खुद का मामला है, चीन और पाकिस्तान की बातें यहां बहुत कही गईं। मुझे तो आश्चर्य हुआ श्री हीरेन मुकर्जी का भाषण सुनकर। उन का भाषण सुन कर मुझे सदा आश्चर्य होता है और जब कभी वे बोलते हैं उस के बाद मुझ बोलने का मौका भी मिलता है। वे बोले जहां तक साम्यवादी दल का संबंध है, "यदि भारत पर आक्रमण हुआ तो भारतवर्ष के बचाव के लिये साम्यवादी दल सब से पहले आगे बढ़ेगा"। मेरी समझ मे उन का यह "इफ" नहीं आया। आज भी यदि हमारे साम्यवादी भाई चीन का भारत पर आक्रमण नहीं मानते हैं तो वे ऐसा कब मानेंगे, यह मैं समझ नहीं पाता। कल एक वक्त य में पंडित जी ने यहां पर कहा कि उन की इस समय की जो कार्रवाइयां हैं, उन की रिपोर्टें उन के पास आती हैं, लेकिन अभी तक वे कार्रवाइयां देशद्रोह तक नहीं पहुंची हैं। मैं पंडित जी से अत्यन्त .

श्री जवाहरलाल नेहरू : मने ऐसा कब कहा ?

सेठ गोविन्द दास : कल आप ने एक स्टेटमेंट में कहा था।

श्री अन्सार हरवानी : (फतेहपुर) : कुछ और कहा था।

सेठ गोविन्द दास : आप ने यह कहा था कि इतनी दूर वे नहीं पहुंचे हैं कि जिन पर कोई कार्रवाई की जाय।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं ने यह कहा था कि इसका फैसला करना कि क्या हो, यह गौरतलब बात है। मैं कैसे राय दूं, एक फिक्रा देख कर ? अगर कोई कानूनी बात है तो गौर किया जाये और स्टेट गवर्नमेंट्स गौर करती हैं।

सेठ गोविन्द दास : मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं पंडित जी से। पंडित जी की नीति इस तरह की है, जैसा कि महर्षि वाल्मीकि ने कहा "मृदूनि कुसुमादादि" जब यहां हड़ताल होने वाली थी, उस समय भी मैंने यह निवेदन किया था। मैं आज भी कहना चाहता हूं कि साम्यवादियों की जो कार्रवाइयां हैं वे अब इस हद तक पहुंच गई हैं, कि यदि वे किन्तु, परन्तु, लेकिन, अगर, मगर लगावें हमें उनके भुलावे में नहीं आना चाहिये। । समय आ गया है जिस प्रकार हम को अन्य कार्रवाइयां करनी चाहियें, उसी प्रकार से उनके सम्बन्ध में भी हमें बहुत गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

पंडित ब्रजनारायण ब्रजेश : सम्भव है कि कृष्ण की तरह से शिशुपाल को देख रहे हों।

सेठ गोविन्द दास : जहां तक पाकिस्तान का सम्बन्ध है, अभी पंडित जी अय्यूब साहब से मिले। उनसे मिलने के बाद भी अय्यूब साहब ने एक वक्तव्य झाड़ दिया कश्मीर के सम्बन्ध में। मैं इस सम्बन्ध में क्या कहूं, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। हमारे आपस के झगड़ों के सबब से यहां तक नौबत पहुंच गई है कि सन् १९४८ में जो हमारा पाकिस्तान से १८१ करोड़ रु० तक का था वह सन् १९५९ में घट कर ११ करोड़ तक आ गया है। कहां १८५ करोड़ और कहां ११ करोड़। यह स्थिति कोई अच्छी स्थिति नहीं है, यह मैं स्वीकार करता हूं। इसके साथ यह भी कहना चाहता

हूं कि पाकिस्तान से हमारे अच्छे से अच्छे सम्बन्ध रहें, यह तो ठीक है, लेकिन उसी के साथ साथ जहां तक कश्मीर का सम्बन्ध है, हमें जरा भी नहीं झुकना है। हमारे प्रधान मंत्री जी झुकना भी नहीं चाहते। कश्मीर हमारी भूमि है, कश्मीर कानूनी तौर पर हमारे साथ हुआ है। तो जहां तक कश्मीर का सम्बन्ध है, हमको यह मान लेना चाहिये कि उसकी अन्तिम पुष्टि हो चुकी है। कश्मीर हमारा है और हमारा रहेगा।

अन्त में मैं आपसे यह कहूंगा कि मनुष्य का सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ स्थान उसकी ज्ञान शक्ति के कारण है। पहले हर शरद ऋतु में युद्ध में जाना राजाओं का कर्तव्य माना जाता था। आज दुनिया की वह स्थिति नहीं रही। आज यदि कोई युद्ध भी होता है तो उसके लिये बीस दलीलें देनी पड़ती हैं कि विवश होकर हमें युद्ध करना पड़ रहा है। जैसा कि मैंने निवेदन किया हमारे पास फौजी ताकत नहीं, पर हमारे पास शान्ति का दूतत्व है जो भारतवर्ष की हजारों वर्षों की संस्कृति की देन है। भगवान श्रीकृष्ण ने भी यही शान्ति का उपदेश दिया, भगवान महावीर और भगवान बुद्ध ने भी शान्ति का उपदेश दिया, महात्मा गांधी ने भी वही शान्ति का कार्य किया और हम यह आशा करते हैं कि पंडित जी उस संस्कृति के अनुसार चलते हुए वह कार्य कर रहे हैं जो आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों दुनिया में अपना बेजोड़ स्थान रखने वाला है। शान्ति स्थापित होने वाली है क्योंकि यदि शान्ति स्थापित नहीं होती तो दुनियां का कोई भविष्य नहीं है।

†**डा० विजय आनन्द** (विशाखपटनम) : वैदेशिक-कार्यों के बारे में सभा में विवाद २ महीने तीन सप्ताह पहले हुआ था। तब से अब तक संसार में बहुत उथल पुथल हो गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ में बहुत से राज्यों के प्रधान एकत्रित हुए थे और वहां पर केवल हमारे प्रधान मंत्री ही ऐसे व्यक्ति थे जिनकी बातों को ध्यान देकर सुना गया था। मैं समझता हूं कि यदि सभी देशों में सद्भावनायें होतीं तो इस प्रकार के सम्मेलनों के बहुत सुन्दर परिणाम निकल सकते थे।

हमारे प्रधान मंत्री ने अमरीका और रूस जैसे राष्ट्रों के मनोमालिन्य दूर करने का संकल्प संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्तुत किया और उसको प्रस्तुत करते समय जो भाषण दिया वह स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने योग्य है क्योंकि उसकी सराहना सभी देशों में की गई है।

प्रधान मंत्री जी के आज के भाषण से हमें मालूम हुआ है कि श्री राजेश्वर दयाल को संयुक्त राष्ट्रसंघ के महा सचिव ने कांगो के लिये स्वयं चुना है। यह बड़ी ही प्रसन्नता की बात है कि विदेशों में हमारे अधिकारियों की योग्यता को स्वीकार किया जाता है।

चीन द्वारा हमारी वायु सीमा का बहुत उल्लंघन हो रहा है। हमारे विरोधपत्रों से उनके कान पर जूं भी नहीं रेंग रही है। मैं तो इस सिद्धान्त का प्रतिपादक होने के कारण कि जैसे को तैसा, चाहता हूं कि अब हमें चीन को राष्ट्र संघ में स्थान दिलाने की पैरवी नहीं करनी चाहिये और शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिये।

श्री नेहरू जब तक पाकिस्तान में रहे तब तक फील्ड मार्शल अय्यूब खां ने बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें कहीं परन्तु जैसे ही वह भारत में लौटे श्री अय्यूब नें जो वक्तव्य दिया वह बड़ा ही उत्तेजनात्मक है। उन्होंने संयुक्त अरब गणराज्य, सऊदी अरब आदि का १२ दिन का दौरा समाप्त करके लौटने पर संवाददाताओं से कहा कि 'भारत जाने की उनकी कोई तिथि निश्चित नहीं है। जब भी उनका भारत आना लाभदायक होगा वह तभी भारत चलें जायेंगे'। एक संवाददाता ने उनसे पूछा कि अपने दौरे में आपने काश्मीर के बारे में जो कुछ कहा है उसकी भारतीय समाचारपत्रों में बड़ी आलोचना हुई है।'

---

†मूल अंग्रेजी में।

[डा० विजय आनन्द]

प्रेजीडेंट अयूब ने कहा कि 'सच्ची बात हमेशा कड़वी लगती है। परन्तु उन्होंने भारत तथा पाकिस्तान के भले ही के लिए ऐसा कहा है' दौरे के समय श्री अयूब ने कहा था कि पाकिस्तान की सेना काश्मीर का मामला उलझा ही नहीं रहने देगी और जब तक पाकिस्तान का मामला हल नहीं हो जाता है तब तक पाकिस्तान भारत का विश्वास नहीं कर सकता है।

यही बात उनकी ठीक नहीं है कि प्रधान मंत्री के सामने मीठी मीठी और उनके मुड़ते ही विष भरी फुंकार।

बड़ी ही प्रसन्ता की बात है कि श्री केनेडी एक युवक अमरीका का राष्ट्रपति चुन लिया गया है। हमें आशा है कि उनसे भारत का कुछ भला ही होगा।

आज हमारी सह-अस्तित्व की नीति से हमको बड़ा लाभ हुआ है और मैं समझता हूं कि संसार में जो हमारा मान बढ़ा है वह केवल इसी नीति के प्रतिपादन के कारण बढ़ा है। इसलिए यदि हम गांधी जी को 'अहिंसा' का अवतार कहते थे तो हमारे नेहरू जी (सह-अस्तित्व) के अवतार हैं। मैं वैदेशिक-कार्य मंत्रालय को उनके सुन्दर कार्यों के लिए बधाई देता हूं।

†**श्री मुहम्मद इमाम** (चितलदुर्ग) : अध्यक्ष महोदय यह आवश्यक है कि वैदेशिक नीति को दलगत विवादों से दूर रखा जाये क्योंकि सके बारे में मतैक्य होने पर ही राष्ट्र शक्तिशाली हो सकता है और विदेशों में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है।

सभी जानते हैं कि युद्ध के बाद संसार की बड़ी नाजुक स्थिति हो गई। देशों के खण्ड बन गये। एक दूसरे पर से विश्वास उठ गया। और ऐसी स्थिति में केवल संयुक्त राष्ट्र संघ ही ऐसी संस्था रह गई जिससे स्थिति में सुधार किये जाने की आशा हो सकती थी। परन्तु इस संघ के वर्तमान महा सम्मेलन, जिसमें संसार के अधिकांश देशों के प्रधानों ने भाग लिया था, में समस्या सुलझने के स्थान पर और उलझ गई है।

इस सम्मेलन के आरम्भ से पहले कुछ इस प्रकार की घटनायें हो गईं जो बड़ी ही दुखद थीं। शिखर सम्मेलन का न हो सकतना। यू २ विमान की उड़ान। रूस द्वारा अमरीकी प्रजीडेंट को रूस आने का निमंत्रण वापस लेना। रूस द्वारा महा सचिवों को हटाने की मांग। आदि आदि एसी घटनायें थीं जिससे आपसी वैमनस्य बढ़ता ही गया और शांति स्थापना की आशायें ही कम होती गईं।

श्री ख्रुश्चेव ने इस सम्मेलन में केवल यही प्रयत्न किया कि शांति भंग हो और साम्यवादियों का इस विश्व संस्था में एक ग्रुप बन जाये और उनका आदमी संस्था का सचिव बन जाये। यह बड़ी ही अजीब बात है। मैं तो यही समझता हूं कि इस संस्था में जाकर सभी व्यक्तयों को आपसी भेद-भाव भुलाकर शांति व्यवस्था में योग देना चाहिये। परन्तु श्री ख्रुश्चेव ने ऐसा नहीं किया।

हमारे प्रधान मंत्री ने इस सम्मेलन में बड़ा महत्वपूर्ण भाग लिया। उन्होंने अपने भाषण में निशस्त्रीकरण, उपनिवेशवाद, कांगो और संयुक्त राष्ट्र संघ के ढ़ाँचे के बारे में बताया। सभी देश निशस्त्रीकरण चाहते हैं। परन्तु प्रश्न यही सामने आता है निशस्त्रीकरण किस प्रकार किया जाये। उसके लिये आवश्यक है कि सभी देश अविश्वास करना छोड़ दें। हमारे प्रधान मंत्री को ऐसा ही प्रयत्न करना चाहिये जिससे सभी देश एक दूसरे का विश्वास करने लगें।

---

†मूल अंग्रेजी में

अपने भाषण में प्रधान मंत्री ने उपनिवेश वाद के बारे में बताया । मैं चाहता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री को उन पश्चिमी शक्तियों जिन्होंने उपनिवेशो को बना रक्खा है की भर्त्सना करने के साथ उन पश्चिमी शक्तियों की जिन्होंने उपनिवेशों को स्वतंत्रता दे दी है, प्रशंसा करनी चाहिये ।

मुझे इस बात का खेद है कि हमारे प्रधान मंत्री ने उस साम्राज्यवाद की आलोचना नहीं की जिसको रूस फैलाता जा रहा है । पहले पूर्वी यूरोप में १३ से १५ देश थे परन्तु वह सभी अब रूस का अंग बन गये हैं । हमें इस खतरे को समझना चाहिये । क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारा पड़ोसी राज्य चीन भी उसी प्रकार के साम्राज्यवाद को बनाने का इच्छुक है । उसने हमारा ४०,००० वर्गमील का इलाका दबा लिया है । अब भी जब कि दोनों देशों के अधिकारी सीमा सम्बन्धी मामलों पर विचार कर रहे हैं, चीन के प्रधान मंत्री श्री चाउ-एन-लाई यह वक्तव्य दे रहे हैं कि भारत ने चीन का कुछ भाग दबा रखा है । क्या आप इस प्रकार की बातों से आशा करते हैं कि आक्रामक अपने आक्रमण रोक देगा ।

मैं तो यही समझता हूं कि इन बातचीतों से समझौता हो जाने पर भी एक खतरा हमेशा दिखाई देता रहेगा । चीन के तिब्बत पर कब्जा करते ही यह खतरा बढ़ना शुरू हो गया था । अब ऐसा दिखाई देता है कि चीन की आंखे नैपाल, भूटान और सिक्किम के साथ साथ भारत पर भी लगी हुई हैं । इस लिये मेरे विचार से हमें हब ऐसा प्रयत्न करना चाहिये जिससे तिब्बत अपनी पूर्व स्थिति में आजाये और चीन का खतरा खत्म हो जाये ।

हमारे प्रधान मंत्री ने अपने भाषण में चीन के आक्रमण के बारे में कुछ नहीं कहा और इसके विपरीत भारत अब भी यही दुहाई दे रहा है कि चीन को राष्ट्र संघ का सदस्य बना लिया जाये । हमें इस प्रकार की नीति नहीं अपनानी चाहिये जिससे यह आभाष हो कि हम कमजोर हैं और अपने देश के दबे हुये भाग को छुड़ा नही सकते हैं ।

इसके साथ साथ हमें यह भी प्रयत्न करना चाहिये कि हमारे आंतरिक मतभेद दूर हो जायें । यह बड़े दुःख की बात है कि हमारे दुश्मन देश के भीतर ही हैं और चीनी नीति का पूरी तरह समर्थन करते हैं । इस लिये इसके बारे में कठोर कदम उठाया जाना चाहिये जिससे देश की एकता छिन्न भिन्न न हो सके ।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री ने चार अन्य देशों के सहयोग से श्री ख्रुश्चेव तथा श्री आइजन हावर को मिलाने वाले संकल्प को बड़ी योग्यता से राष्ट्र संघ में रखा । परन्तु मैं समझता हूं कि यह संकल्प अव्यवहारिक संकल्प था क्यों कि इन दोनों व्यक्तियों में व्यक्तिगत द्वेष भाव भी हैं । मेरे विचार में यदि राष्ट्र संघ में यह संकल्प पारित भी हो गया होता तो भी यह दोनो नेता आपस में मिलकर शांति से बात चीत नहीं कर सकते थे । मैं तो यहीं समझता हूं कि आस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री का संशोधन अधिक व्यवहारिक था क्योंकि उसमें उन्होने इन दोनो व्यक्तियों के नाम हटाकर रूस तथा अमरीका शब्द रखे थे ।

आज संसार में कुछ ऐसी भावना है कि हमारे प्रधान मंत्री पर साम्यवादी ब्लाक का प्रभाव है क्यों कि उन्होने श्री ख्रुश्चेव की बातों का राष्ट्र संघ में अंशतः समर्थन किया था ।

मेरा अंत में यहीं निवेदन है कि भारत को एक शक्तिशाली देश बनाया जाना चाहिये तभी हमारे दुश्मन हम से दब सकेंगे । इस लिये हमारे प्रधान मंत्री को सह-अस्तित्व की नीति छोड़ कर ऐसी वैदेशिक नीति अपनानी चाहिये जिससे देश की अखण्डत छिन्न भिन्न न हो और कोई इस पर हमला करने का विचार न कर सके ।

†**श्री शिवराज** (चिंगलपट-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : हमारे प्रधान मंत्री ने राष्ट्र संघ में जाकर सभी समस्याओं का पूरी रह अध्ययन किया और उन्होंने आज अपने भाषण में उन सभी पर प्रकाश डाला है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि भारत सरकार संयुक्तराष्ट्र संघ को बनाये रखने का निश्चित रूप से समर्थन करेगी क्योंकि यही एक ऐसी संस्था है जो हाल में ही स्वतंत्र हुए छोटे देशों के हितों का ध्यान रखती है और उनकी मदद करती है।

भारत राष्ट्र संघ में इस समय केवल इसी कारण से गया था जिससे इसका उपयोग शांति स्थापना के लिये किया जा सके। परन्तु श्री ख्रुश्चेव इस लिये वहां गये थे जिससे राष्ट्रसंघ का महत्व और प्रभाव समाप्त हो जाये।

हमारे प्रधान मंत्री ने राष्ट्र संघ के इस सम्मेलन में भाग लेकर भारत की शान बढ़ाई है और एक तरह से तटस्थ अफ्रेशियाई देशों का नेतृत्व किया है। मैं आशा करता हूं कि भारत अफ्रेशियाई देशों के नेता के रूप में शीघ्र ही संयुक्त राष्ट्र संघ में महत्वपूर्ण योग देगा। इस लिये संम्भव है कि इस संस्था के व्यय में भी भारत को अधिक धन देना पड़ जाये।

प्रधान मंत्री ने राष्ट्र संघ द्वारा कांगो में किये गये काम की ओर इशारा किया और बताया कि वहां पर शांति स्थापना के सिलसिले में राष्ट्र संघ ने बड़ा उत्तम काम किया है। परन्तु ऐसा मालूम होता है कि कुछ ऐसी शक्तियां वहां पर काम कर रही हैं जो चाहती हैं कि कांगों में शांति स्थापित न हो सके और वहां की एकता छिन्न भिन्न हो जाये।

इसमें कोई अचम्भे कीबात नहीं है। क्यों कि नये स्वतंत्र राष्ट्रों को छिन्न भिन्न करने की इच्छा कुछ लोगों में रहती है। जब इंडिया का भारत और पाकिस्तान के रूप में विभाजन हुआ था उस समय हम भी ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा था।

प्रधानमंत्री ने उपनिवेश वाद के बार में भी कहा और बताया कि यद्यपि बेल्जियन कांगों को छोड़ गये हैं परन्तु अब फिर धीरे धीरे लौट कर आ रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त कर रहे हैं।

†**श्री शिवराज** : मैं कुछ मिनट और लूंगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : तो आप अपना भाषण कल जारी रखें।

इस के पश्चात् लोक-सभा, बुधवार, २३ नवम्बर, १९६०/२ अग्रहायण, १८८२ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

मंगलवार, २२ नवम्बर, १९६०
१ अग्रहायण, १८८२ (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		७७३—९७
तारांकित प्रश्न संख्या		
३२६	कर्मचारी राज्य बीमा योजना	७७३—७५
३२७	श्रीलंका में विदेशियों पर शुल्क .	७७५—७७
३२८	पटसन कारखानों द्वारा करघों को बन्द करना	७७८—८०
३२९	सीमेंट मजूरी बोर्ड की सिफारिश का परिपालन .	७८०—८२
३३०	भविष्य निधि में दिये जाने वाले अंशदान की रकम में वृद्धि	७८२—८४
३३१	पहाड़ी क्षेत्रों के लियें परामर्शदात्री समिति	७८५—८७
३३२	राष्ट्रीय आय का वितरण .	७८८—९०
३३३	मोरक्को और ट्यूनीशिया को चाय का निर्यात	७९१–९२
३३४	सुरक्षा उपरकरण समिति .	७९२–९३
३३५	निर्यात नीति पुनर्विलोकन् समिति	७९३–९४
३३७	नागा	७९४—९७
प्रश्नों के लिखित उत्तर		७९७—८४१
तारांकित प्रश्न संख्या		
३२५	पूर्व पाकिस्तान में हिन्दू अल्पसंख्यक	७९७
३३६	टेपियोका का निर्यात .	७९७–९८
३३८	तिब्बती शरणार्थी . .	७९८
३३९	कोयला खान क्षेत्रों में मकानों की कमी	७९८–९९
३४०	राक फास्फेट	७९९
३४१	बिजली का अनधिकृत उपयोग .	७९९–८००
३४२	भारत-पाक सीमा	८००
३४३	निर्यात संवर्धन	८००

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

३४४	लोहे के स्पन पाइप बनाने की परियोजना	८०१
३४५	दिल्ली में जमीन की बिक्री सम्बन्धी फाइल का खो जाना	८०१–०२
३४६	चाय का उत्पादन	८०२
३४७	ऊनी कपड़े के मूल्य	८०२
३४८	रूस के साथ व्यापार-समझौता	८०३
३४९	भारत-पाक सीमा घटना	८०३
३५०	चिटगांव में चन्द्रनाथ मन्दिर	८०४
३५१	कच्चे माल की उपलब्धि	८०४
३५२	पश्चिम जर्मनी के साथ व्यापार	८०४–०५
३५३	उड़ीसा में पटसन का कारखाना	८०५
३५४	कार्मिक संघों के बारे में प्रशिक्षण	८०५–०६
३५५	बम्बई उर्वरक कारखाना	८०६
३५६	संयुक्त राष्ट्र संघ के लिये भारतीय प्रतिनिधि मंडल	८०६–०७
३५७	वस्त्र उद्योग मजूरी बोर्ड की सिफारिशें	८०७
३५८	सिलाई की मशीनें बनाने के कारखाने	८०७–०८
३५९	ग्राम्य रोजगार दफ्तर	८०८
३६०	उर्वरकों का उत्पादन	८०८
३६१	ष्टांक नियम	८०८–०९
३६२	पश्चिमी बंगाल में क्षय रोग चिकित्सालय	८०९

अतारांकित
प्रश्न संख्या

५०५	उड़ीसा में मध्यम आय वर्ग गृह-निर्माण योजना	८०९–१०
५०६	पंजाब में उद्योग	८१०
५०७	पंजाब में हथकरघा उद्योग	८१०
५०८	पंजाब में अल्प-आय वर्ग गृह-निर्माण योजना	८१०–११
५०९	क्रिकेट की गेंदे	८११
५१०	सीमेंट बनाने की मशीनें	८११–१२
५११	चीनी बनाने की मशीने	८१२

विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

५१२	कागज बनाने की मशीनें	८१२–१३
५१३	कृषि–यंत्र .	८१३
५१४	मुद्रण-यंत्र . .	८१४
५१५	ढांचों का निर्माण . . .	८१४–१५
५१६	दिल्ली में राज्य व्यापार निगम के कार्यालय के लिये स्थान	८१५
५१७	"धरती की झंकार" नामक चलचित्र	८१५
५१८	मोटरगाड़ियों की बैटरियां	८१५–१६
५१९	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का कार्यभारित कर्मचारी वर्ग	८१६
५२०	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के समन्वय अधिकारी	८१६–१७
५२१	अनधिकृत करघों का सर्वेक्षण .	८१७
५२२	महाराष्ट्र में रेशम उद्योग .	८१७
५२३	घड़ियों का निर्माण . .	८१७
५२४	भारत में पाकिस्तानी राष्ट्रजन . . .	८१८
५२५	भारत-पाक सीमा घटनायें	८१८
५२६	काफी का निर्यात .	८१८–१९
५२७	पंजीकृत शिक्षित बेरोजगार	८१९
५२८	हिमाचल प्रदेश में खादी का उत्पादन	८१९–२०
५२९	पंजाब में निष्क्रान्त इमारतें	८२०
५३०	कानपुर की गन्दी बस्तियों को हटाने की योजना .	८२०
५३१	संसद् भवन के लान .	८२०
५३२	संसद् भवन के केन्द्रीय हाल की मरम्मत .	८२०
५३३	अखिल भारतीय श्रमजीवी वर्ग परिवार आयव्ययक सर्वेक्षण	८२१
५३४	कृत्रिम रबड़ संयंत्र, बरेली . .	८२१
५३५	चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के क्वार्टर	८२१–२२
५३६	केरल में हथकरघा कर्मचारी	८२२
५३७	भारत-पाकिस्तान सीमा . . .	८२२
५३८	दूसरी पंचवर्षीय योजना और उड़ीसा .	८२२–२३
५३९	दमुआ कोयला खान . . .	८२३
५४०	खनिकों के लिये जूते	८२३

विषय **पृष्ठ**

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

५४१	ऐंटीबायोटिक्स बनाने के कारखाने	८२४
५४२	सुपारी का आयात	८२४
५४३	विदेशों में प्रदर्शन-कक्ष	८२५
५४४	आद्यरूप उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, ओखला	८२५
५४५	राजकोट प्रशिक्षण केन्द्र	८२५-२६
५४६	आद्यरूप, उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, हावड़ा और गिंडी	८२६
५४७	सरकारी मुद्रणालयों में प्रोत्साहन बोनस योजना	८२७
५४८	उद्योगों में दुर्घटनायें	८२७
५५०	रोजगार दफ्तरों में पंजीबद्ध व्यक्ति	८२८
५५१	हथकरघे का कपड़ा	८२८-२९
५५२	राष्ट्र मंडल तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता	८२९-३०
५५३	ट्रैक्टरों का निर्माण	८३०
५५४	संयुक्त राष्ट्र सेना	८३०
५५५	पाकिस्तान को फिल्मों का निर्यात	८३१
५५६	दंडकारण्य परियोजना	८३१
५५७	गया में विस्फोट	८३१-३२
५५८	नये उद्योगों के लिये लाइसेंस	८३२
५५९	यूरिया फारमल्डीहाइड रेजिन	८३२-३३
५६०	रुपया भुगतान करार	८३३
५६१	युरेनियम	८३४
५६२	रबड़ के टायरों का आयात	८३४
५६३	संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता	८३४-३५
५६४	राजनयिक संबंध	८३५
५६५	पंजाब के बुनकरों को विद्युत् करघों का संभरण	८३५
५६६	महात्मा गांधी सम्बन्धी फिल्म	८३६
५६७	इटली से उर्वरक	८३६
५६८	भूदान आन्दोलन	८३६
५६९	"विटामिन ए"	८३६-३७
५७०	रोज़गार समितियां	८३७

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

५७१ "फलेंज" का निर्माण . ८३७—३८
५७२ कार्यभारित कर्मचारियों को वेतन का वितरण ८३८
५७३ बाल-प्वाइंट वाले पेन और पैंसिल ८३८-३९
५७४ जीरे से तेल . ८३९
५७५ टेक्साज अन्तर्राष्ट्रीय मेला ८३९-४०
५७६ हथकरघे तथा विद्युत् करघे ८४०
५७७ नई दिल्ली में निर्माण-कार्य ८४०
५७९ 'वेस्पा' स्कूटर ८४०-४१
५८० सरकारी क्वार्टर . ८४१
५८१ बारी से पहले आवास का आवंटन ८४१

स्थगन प्रस्ताव . . . . . ८४२—४६

अध्यक्ष महोदय ने निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों को, जिनकी सूचना उनके सामने बताये गये सदस्यों ने दी थी प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी :—

(१) २० नवम्बर, १९६० को जाकोलरी और सरना स्टेशनों के बीच रेलमार्ग पर विस्फोट	सर्वश्री स० मो० बनर्जी, ब्रजराज सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और आसर,
(२) बेरुबारी का पाकिस्तान को हस्तान्तरित करने के बारे में केन्द्रीय सरकार और पश्चिम बंगाल की सरकार के बीच कथित मत-भेद	सर्वश्री स० मो० बनर्जी, ब्रज राज सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, और आसर
(३) उत्तरी सीमान्त जिलों में भारत-विरोधी प्रचार करने वाले कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में कथित असफलता	श्री बा० चं० कामले

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ८४६-४७

(१) सरकारी भू-गृहादि (अनधिकृत रूप से अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) अधिनियम, १९५८ की धारा १३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २४ सितम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० ए, स० आर० ११०६ में प्रकाशित सरकारी भू-गृहादि (अनधिकृत रूप से अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) संशोधन नियम, १९६० की एक प्रति ।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र (क्रमशः)

(२) समाचारपत्र (मूल्य तथा पृष्ठ) अधिनियम, १९५६ की धारा ३ के अन्तर्गत निकाली गई दिनांक २४ अक्तूबर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२५० में प्रकाशित दैनिक समाचारपत्र (मूल्य तथा पृष्ठ) आदेश, १९६० की एक प्रति ।

(३) निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति :—

(१) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड का वर्ष १९५९-६० का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा-परीक्षित लेखे तथा उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(२) उक्त समवाय के वर्ष १९५९-६० के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(३) सीमेंट सम्बन्धी औद्योगिक समिति के नई दिल्ली में २ अगस्त, १९६० को हुए तीसरे अधिवेशन के मुख्य निष्कर्षों के सारांश की एक प्रति ।

समितियों के लिये निर्वाचन . . . . . ८४७—४८

(१) श्री दासप्पा ने प्रस्ताव किया कि इस सभा के सदस्य प्राक्कलन समिति में काम करने के लिये अपने में से एक सदस्य चुनें । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(२) श्री बर्मन ने प्रस्ताव किया कि इस सभा के सदस्य लोक लेखा समिति में काम करने के लिये अपने में से एक सदस्य चुनें । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक—पुरस्थापित ८४८

(१) रेलवे यात्री किराया (संशोधन) विधेयक ।

(२) औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक ।

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत ८४९

सत्तावनवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ।

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव . . . . . ८५०—८४

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत किया । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

बुधवार, २३ नवम्बर, १९६०/२ अग्रहायण, १८८२ (शक) के लिये कार्यावलि—

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव पर और आगे चर्चा ।

GMGPND—LS III—1383 (Ai)LSD—8-12-60—115